

5

सीमित वितरण हेतु
RESTRICTED

अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
पंचम रिपोर्ट

Fifth Report
of the
Director General of Archives
on the Implementation of the
Public Records Act, 1993

2002



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

Government of India
National Archives of India
New Delhi
2004

सीमित वितरण हेतु
RESTRICTED

अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
पंचम रिपोर्ट

Fifth Report
of the
Director General of Archives
on the Implementation of the
Public Records Act, 1993

2002



भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली
Government of India
National Archives of India
New Delhi
2004

CONTENTS

1. Introductory	1
2. Analysis of The Data : General Observations	2
3. Departmental Records Rooms	3-5
4. Departmental Records Officers	6-8
5. Sharing of Space	9-10
6. Recording, Reviewing and Weeding Out of Semi-Current Records	11-13
7. Indexing of Records	14-17
8. Compilation of Retention Schedules for Records	18-21
9. De-Classification of Classified Records	22-24
10. Defunct Commissions/ Committees	25-27
11. Action initiated by Records Creating Agencies on Appraisal of Non-Current Records	28-30
12. Organisational History	31-34
13. Microfilming of 'A' Category Records	35
14. Appraisal of Non-Current Records	36
15. Reference Media	37
16. Accessions/ Acquisitions of Records	38-39
17. Vetting of Retention Schedules for Records	40
18. Advisory Work	41
19. Training	42-44
20. Archival Awareness	45-47
21. Priorities	48-49

विषय वस्तु

1. प्रस्तावना	1
2. आंकड़ों का विश्लेषण - सामान्य सूचना	2
3. विभागीय अभिलेख कक्ष	3-5
4. विभागीय अभिलेख अधिकारी	6-8
5. स्थान की भागीदारी	9-10
6. अर्धप्रचलित अभिलेखों का अंकन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण	11-13
7. अभिलेखों का सूचीकरण	14-17
8. अभिलेख-प्रतिधारण समय-सूची का संकलन	18-21
9. वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण	22-24
10. निष्क्रिय आयोग/ समितियाँ	25-27
11. अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई	28-30
12. संगठनात्मक इतिहास	31-34
13. 'क' श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण	35
14. अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	36
15. संदर्भ माध्यम	37
16. अभिलेख अवाप्ति/ अधिग्रहण	38-39
17. अभिलेख-प्रतिधारण समय-सूची की पुनरीक्षा	40
18. परामर्शी कार्य	41
19. प्रशिक्षण	42-44
20. अभिलेखीय जागरूकता	45-47
21. प्राथमिकताएँ	48-49

ANNEXURES

ANNEXURE – I

List of Organizations who have furnished information on the Implementation of the Public Records Act, 1993. 50-56

ANNEXURE – II

List of Organizations who have furnished Half-yearly returns on the progress made by them in Recording, Indexing, Reviewing, and Weeding of Semi-current Records. 57-61

ANNEXURE – III

List of Organizations who have furnished half-yearly returns on De-classification of Classified Records. 62-66

ANNEXURE – IV

Names of the Departmental Records Officers who have attended Five/Three day Orientation Course on Records Management during 2002. 67-70

अनुबंध

अनुबंध - I

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची।

50-56

अनुबंध - II

अर्द्धप्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा तथा विनष्टीकरण के सम्बन्ध में की गई प्रगति के बारे में अर्द्धवार्षिक विवरणियाँ प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

57-61

अनुबंध - III

वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्द्धवार्षिक विवरणियाँ भेजने वाले संगठनों की सूची

62-66

अनुबंध - IV

अभिलेख प्रबंधन पर वर्ष 2002 में आयोजित पाँच/ तीन दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम।

67-70

INTRODUCTORY

1.1 National Archives of India is an attached office of the Department of Culture, Ministry of Tourism and Culture. Besides being a sentinel of the documentary heritage of the nation, the Department is the Nodal Agency for the implementation of the Public Records Act, 1993. As per Rule 8 (2) of Public Records Rules, 1997, Director General of Archives, Government of India is required to submit to the Government of India an Annual Report every year on the action taken by the Departmental Records Officers in pursuance of Clause (a) to (l) of the Sub-section (1) of Section 6 of the Public Records Act, 1993. Accordingly, Circular letter No. 16-12/2003-RM dated 21 February, 2003 was issued to 1918 records creating agencies i.e. Ministries/ Departments, Attached and Subordinate Offices of the Government of India, Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. requesting them to furnish the report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997 in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2002 so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of Public Records Act.

1.2 The present report is compiled on the basis of the data received from the records creating agencies falling within the scope of the Act on the action taken by them during the year 2002 on the following aspects:-

1. Setting up of an organised Departmental Records Room;
2. Nomination of Records Officers;
3. Training of Records Officers and Staff;
4. Sharing of space for housing semi-current records;
5. Periodical recording, reviewing, and weeding out of semi-current records;
6. Appraisal of non-current records;
7. Compilation/ revision of Retention Schedule of Records;
8. Periodical review of classified records;
9. Compilation of Annual indices to records;
10. Compilation of Organisational history, and
11. Transfer of Records of Defunct Bodies etc. to National Archives of India.

1.3 Details of information on the aforesaid points have been delineated in the following chapters of the report.

प्रस्तावना

1.1 राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। राष्ट्र की अभिलेखीय विरासत का रक्षक होने के साथ-साथ यह लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के लिए नामित नोडल एजेंसी भी है। लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 8(2) के तहत अभिलेख महानिदेशक को प्रतिवर्ष लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उपधारा 8 के खंड क से ठ के अनुपालन में विभागीय अभिलेख अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर भारत सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन जमा करनी होती है। तदनुसार 1918 अभिलेख सर्जक एजेंसियों यानी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार के सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों इत्यादि को परिपत्र संख्या 16-12/2003-आर एम दिनांकित 21 फरवरी 2003 जारी किया गया जिसमें उनसे वर्ष 2002 के दौरान ऊपर उल्लिखित खंडों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में लोक अभिलेख नियम, 1997 के अनुसार प्रपत्र 5 में भर कर प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया गया जिससे कि अभिलेख महानिदेशक लोक अभिलेख अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार को संकलित कर रिपोर्ट प्रेषित कर सकें।

1.2 प्रस्तुत प्रतिवेदन को अधिनियम की परिधि में आने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2002 के दौरान उनके द्वारा नीचे उल्लिखित पक्षों पर की गई कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है:-

1. संगठित विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना,
2. अभिलेख अधिकारियों का नामांकन,
3. अभिलेख अधिकारियों व स्टाफ का प्रशिक्षण,
4. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों के भंडारण के लिए स्थान की भागीदारी,
5. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों का आवधिक अंकन, पुनरीक्षण, तथा विनष्टीकरण,
6. अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन,
7. अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची का संकलन/ परिशोधन,
8. वर्गीकृत अभिलेखों की आवधिक पुनरीक्षा,
9. अभिलेखों की वार्षिक सूचिका का संकलन,
10. संगठनात्मक इतिहास का संकलन तथा
11. निष्क्रिय निकाय इत्यादि के अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरण।

1.3 प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में उपर्युक्त बिन्दुओं पर सूचना का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है।

ANALYSIS OF THE DATA

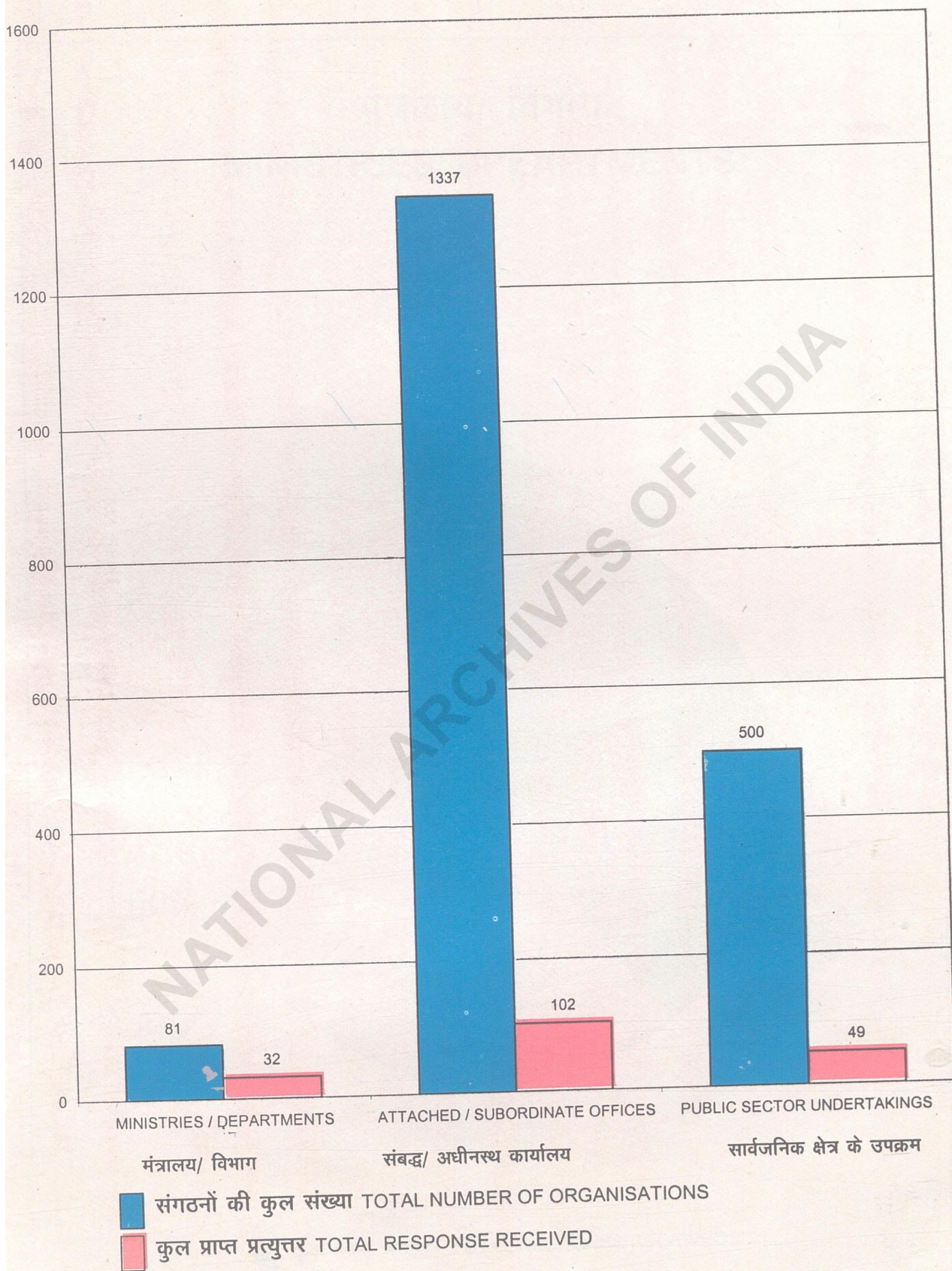
GENERAL OBSERVATIONS

2.1 Information on the implementation of Public Records Act, 1993 for the year 2002 was sought from 1918 Ministries/ Attached/ Subordinate Offices/ Public Sector Undertakings etc. of the Government of India. 183 Organisations have furnished information in respect of the action taken by them on the implementation of the various provisions of the said Act. Response received during the period under report from the various Organisations is indicated below in tabulated form:-

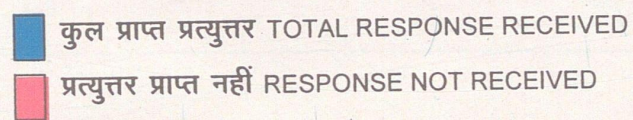
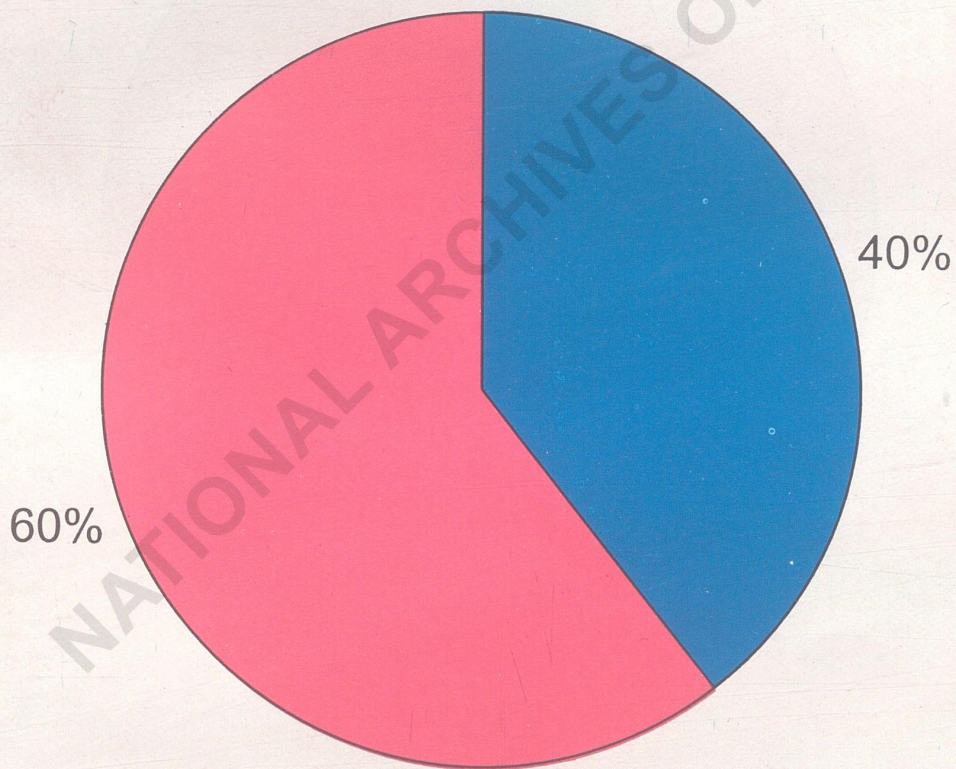
Records Creating Agencies	Total No. of Organisations	Total response received
Ministries/ Departments	81	32
Attached/ Subordinate Offices etc.	1337	102
Public Sector Undertakings etc.	500	49
Total	1918	183

2.2 At the outset it is depressing to note the poor response received from different records creating agencies in submitting their reports. The total response for the present report has gone down to 9.4% as against the total response of 10.5% for the last year's report. Though the response of the Ministries/ Departments has slightly increased this year to 32 as against 20 for the last year's report, the same from the attached/ subordinate offices has gone down to 102 as against 135 for the last year's report. It seems that due attention has not been paid by the records creating agencies in spite of repeated requests made by me as reported in my earlier reports. If this trend continues, I am afraid that the very purpose of regulating the archival and records management activities by a statutory provision would be defeated.

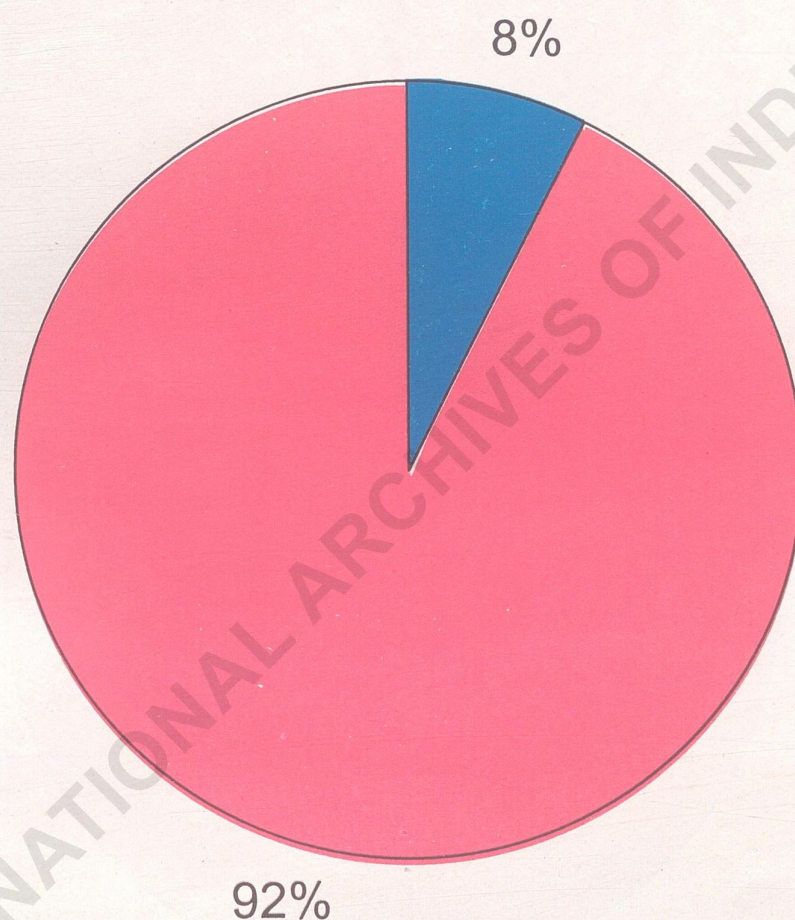
2.3 The names of the Ministries/ Departments/ Offices as well as the Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc. who have furnished information for incorporation in this report may be seen in Annexure I.



मंत्रालय/ विभाग
MINISTRIES/ DEPARTMENTS

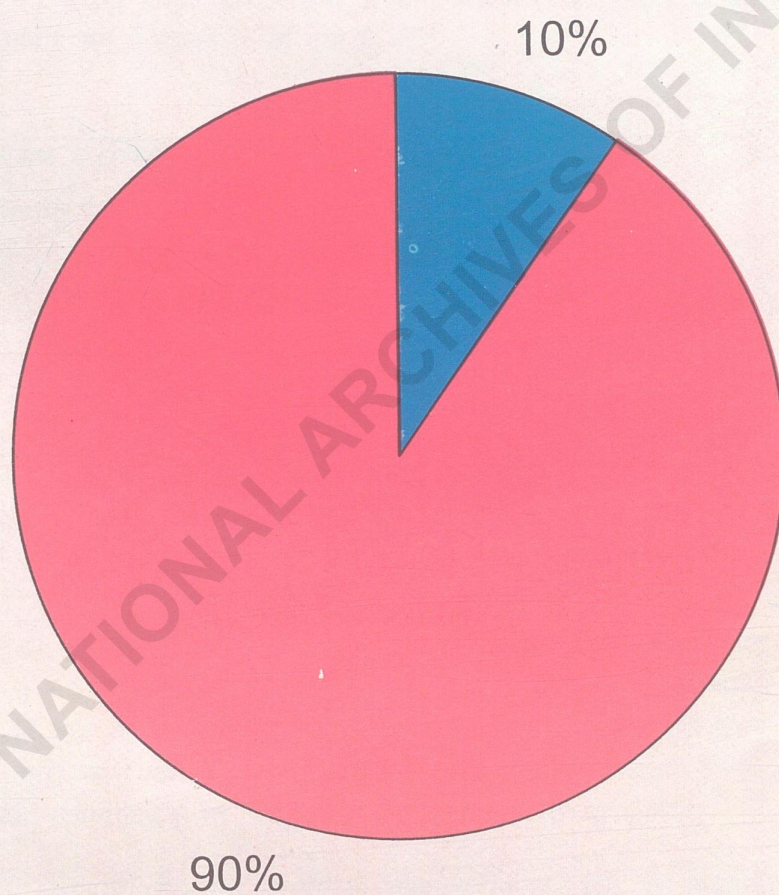


संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय
ATTACHED/ SUBORDINATE OFFICES



■ कुल प्राप्त प्रत्युत्तर TOTAL RESPONSE RECEIVED
■ प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं RESPONSE NOT RECEIVED

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS



कुल प्राप्त प्रत्युत्तर TOTAL RESPONSE RECEIVED
प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं RESPONSE NOT RECEIVED

आंकड़ों का विश्लेषण

सामान्य सूचना

2.1 भारत सरकार के 1918 मंत्रालयों/ सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि से वर्ष 2002 के लिए लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना मांगी गई। उपर्युक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर कार्यान्वयन के संबंध में 183 संगठनों ने कार्रवाई की सूचना प्रेषित की। विभिन्न संगठनों से रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राप्त प्रत्युत्तर को नीचे तालिकाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है -

अभिलेख सर्जक एजेंसियाँ	संगठनों की कुल संख्या	प्राप्त कुल प्रत्युत्तर
मंत्रालय/ विभाग	81	32
संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय इत्यादि	1337	102
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि	500	49
कुल	1918	183

2.2 सबसे पहले तो विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा प्रतिवेदन के प्रेषण को प्राप्त हुआ अल्प प्रत्युत्तर ही अत्यंत निराशाजनक माना जायेगा। पिछले वर्ष के प्रतिवेदन को 10.5% के प्राप्त प्रत्युत्तर की तुलना में प्रस्तुत रिपोर्ट के लिए प्राप्त प्रत्युत्तरों का प्रतिशत गिर कर 9.4% पर आ गया मंत्रालयों/ विभागों का प्रत्युत्तर पिछले वर्ष के प्रतिवेदन के 20 से किंचित् बढ कर 32 हो गया है, जबकि सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों के सिलसिले में यह पिछले वर्ष के प्रतिवेदन के लिए प्राप्त 135 के प्रत्युत्तर से घट कर 102 हो गया। ऐसा जान पड़ता है कि पहले के प्रतिवेदनों में बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो मुझे भय है कि एक सांविधिक प्रावधान के तहत अभिलेखीय तथा अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों के नियमन का मूल उद्देश्य ही समाप्त जायेगा।

2.3 उन मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/समितियों/ निगमों/ सांविधिक निकायों इत्यादि, जिन्होंने इस प्रतिवेदन के लिए सूचनाएँ प्रेषित की हैं, के नाम परिशिष्ट-I में देखे जा सकते हैं।

DEPARTMENTAL RECORDS ROOM

An organized Records Room to centralize and maintain all semi-current records of an organisation is one of the pre-requisites to ensure proper records management system in that organisation. The Sub-Section (2) of Section 5 of Public Records Act, 1993 also makes it mandatory on the part of all the records creating agencies to set up such number of Records Room in such places as it deems fit and place each records Room under the charge of a Records Officer. These Records Rooms facilitate scientific preservation of records and also monitor the timely recording/ reviewing of records. A scrutiny of the response received, however, reveals that in spite of regular prodding by the National Archives of India, the Records Rooms are not maintained properly. Serious efforts are, therefore, required to be taken by the records creating agencies in this regard.

3.2 In all 183 organisations have furnished information, out of which 134 are Ministries/ Departments/ Offices and 48 are Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. The detailed analysis of information received in this regard is given below.

95 Ministries/ Departments/ Offices who have reported that they have well organized Departmental Records Rooms are:- Ministries of Home Affairs, Environment and Forests, Defence, Road Transport and Highways, Water Resources, Health and Family Welfare, Labour, Shipping, Mines, Railways (Railway Board), Civil Aviation, Non-Conventional Energy Sources, Power; Departments of Agriculture and Cooperation, Commerce, Industrial Policy and Promotion, Supply Division (Department of Commerce) Expenditure, Economic Affairs, Personnel and Administrative Reforms, Culture, Fertilizers, Secondary and Higher Education; Planning Commission, Prime Minister's Office, President's Secretariat, Secretariat of Vice President of India, Directorates General of Supply and Disposal, Foreign Trade, Civil Aviation, Central Reserve Police Force, Office of the Controller General of Defence Accounts, Air Headquarters, Directorate of Administration (Naval Headquarters), Coast Guard Headquarters, National Institute of Criminology and Forensic Sciences, Regional Passport Office, and Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, all in New Delhi; BCG Vaccine Laboratory, Central Training Institute for Instructors and Office of the Chief Post Master General, all in Chennai; Development Commissioner of Iron and Steel, Office of Superintending Engineer (Civil) (Ministry of Road Transport and Highways), National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Central Statistical Organisation and Office of the Jute Commissioner, all in Kolkata; Central Board of Film Certification, Advanced Training Institute, Forward Market Commission and Income Tax Settlement Commission, all in Mumbai; Coconut Development Board and Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, both in Kochi; Central Cattle Breeding Farm, Surat; Department of Space and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, both in Bangalore; Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur; Terminal Ballistics Research Laboratory, Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Central Excise Commissionerate, all in Chandigarh; Offices of the Regional Labour Commissioner, Chandigarh and Ajmer; Offices of the Commissioner of Central Excise, Chennai, Mumbai, Aurangabad, Goa and Nagpur; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Offices of the Official Liquidator, U.P. and Uttaranchal High Court, Allahabad and Nainital, Allahabad and High Court of Mumbai, Nagpur; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy and Regional Directorate of

विभागीय अभिलेख कक्ष

किसी संगठन के समस्त अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को केन्द्रीकृत रूप में रखने व उसके रख-रखाव के लिए लिए अभिलेख कक्ष का होना उस संगठन के समुचित अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की एक पूर्व शर्त है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उपधारा (2) के तहत सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी आवश्यकतानुसार संख्या, स्थान आदि तय करते हुए, जहाँ वे उचित समझते हों, एक अभिलेख अधिकारी की सुपुर्दगी में अभिलेख कक्ष की स्थापना करें। ये अभिलेख कक्ष न सिर्फ अभिलेखों के वैज्ञानिक परिरक्षण को संभव बनाते हैं बल्कि नियत समय पर अभिलेखों के अंकन/पुनरीक्षण को भी कार्यरूप देते हैं। प्राप्त प्रत्युत्तरों की जांच से यह पता चलता है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी अभिलेख कक्षों की समुचित देखभाल नहीं की गई। वस्तुतः अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा इस संबंध में गंभीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

3.2 कुल मिलाकर 183 संगठनों ने सूचना भेजी जिसमें से 134 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं तथा 48 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय इत्यादि हैं। इस संबंध में प्राप्त सूचना के विस्तृत विश्लेषण को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है --

95 मंत्रालय/विभाग/कार्यालयों सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष पूर्ण रूप से संगठित हैं, गृह मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन, रक्षा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जल संसाधन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम, जहाजरानी, खान, रेलवे (रेलवे बोर्ड), नागर विमानन, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, विद्युत, कृषि एवं सहकारिता विभाग, वाणिज्य औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, आपूर्ति प्रभाग (वाणिज्य विभाग), व्यय, आर्थिक कार्य, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, संस्कृति, उर्वरक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा; योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, विदेश व्यापार, नागर विमानन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रक्षा लेखा महानियंत्रण कार्यालय, वायु सेना मुख्यालय, प्रशासन निदेशालय (नौ सेना मुख्यालय) तटरक्षक मुख्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान तथा न्यायिक विज्ञान संस्थान, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय तथा विकास आयुक्त कार्यालय, लघु उद्योग, सभी नई दिल्ली में; बी. सी. जी. टीका प्रयोगशाला, केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान तथा मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, सभी चेन्नई में; लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त, अभियंता कार्यालय (सिविल) (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मानचित्रण संगठन, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन तथा पटसन विकास आयुक्त कार्यालय सभी कोलकाता में; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, अग्रिम प्रशिक्षण संस्थान, अग्रवर्ती बाजार आयोग तथा आयकर निर्धारण आयोग सभी मुम्बई में; नारियल विकास बोर्ड तथा केन्द्रीय तटीय मत्स्य तथा अभियांत्रिकी संस्थान, दोनों कोची में; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरत, अंतरिक्ष विभाग तथा केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान दोनों बंगलोर में; क्षेत्रीय सेना उड़नयोग्यता केन्द्र, सुल्तानपुर, सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरात, सभी चण्डीगढ़ में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय चण्डीगढ़ तथा अजमेर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय चेन्नई, मुम्बई, औरंगाबाद, गोवा तथा नागपुर, नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर, शासकीय परिसमापक कार्यालय यू. पी. एवं उत्तरांचल उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा नैनीताल, इलाहाबाद तथा मुम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर, सरदार वल्लभभाई पटेल

Apprenticeship Training, both in Hyderabad; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Directorate General of Light Houses and Light Ships, Noida; Central Water and Power Research Station, Office of the Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare) and National Film Archive of India, all in Pune; Air Port Health Organisation, Thiruchirapalli; Offices of the Port Health Organisation, Marmagoa (Goa) and Mandapam Camp (District Ramanathapuram); Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Vocational Rehabilitation Centres for Handicapped, Mumbai and Jabalpur; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST and Indian Bureau of Mines, both in Nagpur; Liquid Propulsion Systems Centre, Thiruvananthapuram; Offices of the Chief Post Master General, Chennai, Bangalore, Dehradun, Ambala and Lucknow and Patna; Office of the Junior Post Master General, Varanasi; Commission of Railway Safety, Lucknow; Electronics Test and Development Centre, Mohali and Central Institute of Indian Languages, Mysore.

3.3 The following 3 offices have informed that they do not have a well organised Records Room due to shortage of space:- Department of Heavy Industry and Central Pension Accounting Office, both in New Delhi and Office of the Chief Post Master General (Kerala Circle), Thiruvananthapuram.

3.4 The following 6 Organisations have informed that they do not have a separate Records Room:- Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi; Central Reference Library, Kolkata; Offices of the Chief Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar; Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), Allahabad; Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Kochi and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla.

3.5 The following 3 Offices do not feel the necessity of a separate Records Room:- Office of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel and Zonal Council Secretariat, both in New Delhi, and Directorate of Marketing and Inspection (Sub Office), Nasik Road.

3.6 Joint Cipher Bureau, New Delhi has given vague reply.

3.7 The remaining 26 organisations have forwarded 'NIL' information. These are:- Departments of Animal Husbandry and Dairying, Agricultural Research and Education, Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation), Armed Forces Film and Photo Division, Directorate of Public Relations (Ministry of Defence), Office of the Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and NDPS Act, 1985 and Directorate General of Income Tax (Vigilance), all in New Delhi; Offices of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel, Chennai; Superintending Engineer (Ministry of Road Transport and Highways), Chennai and Gandhinagar; Commissioner of Income Tax (C), Kolkata; Custodian of Enemy Property for India and Post Master General (Foreign Mails), both in Mumbai; Random Sample Poultry Performance Testing Centre and Central Poultry Training Institute, both in Bangalore; Regional Vocational Training Institute and Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (District Sambalpur); Sub-Offices of the Directorate of Marketing and Inspection, Bodinayakanur, Lucknow and Guwahati; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Office of the Commissioner of Income Tax (I), Madurai; Port Health Organisation, Raigad; Office of the Joint Director (Central Government Health Scheme), Jabalpur; Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune and Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST, Jabalpur and Jaipur.

3.8 The following 34 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have reported that they have well-organised Departmental Records Rooms:- Food Corporation of India,

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, दोनों हैदराबाद में; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाशपोत महानिदेशालय, नोयडा, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन, वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) तथा राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, सभी पुणे में; विमानपत्तन, स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली, पत्तन स्वास्थ्य संगठन कार्यालय मर्मागोवा (गोवा) तथा मण्डपम कैम्प (जिला रामनाथपुरम), मुख्य अभियंता तथा प्रशासक कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुम्बई तथा जबलपुर अनु. जाति/ ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र तथा भारतीय खान ब्यूरो, दोनों नागपुर में; लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर, तिरुवनन्तपुरम, मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, चेन्नई, बंगलोर, देहरादून, अम्बाला, लखनऊ तथा पटना, कनिष्ठ महापोस्टमास्टर कार्यालय वाराणसी, रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ इलैक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र मोहाली तथा केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।

3.3 निम्नलिखित तीन कार्यालयों ने सूचित किया है कि स्थान की कमी के कारण उनके पास सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष नहीं हैं - भारी उद्योग विभाग तथा केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, दोनों नई दिल्ली में तथा मुख्य महापोस्टमास्टर (केरल सर्कल) कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम।

3.4 निम्नलिखित 6 कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास अलग अभिलेख कक्ष नहीं है—संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, मुख्यमहापोस्टमास्टर, (उड़ीसा सर्कल) कार्यालय, भुवनेश्वर, कल्याण आयुक्त (श्रम कल्याण संगठन) इलाहाबाद, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उपकार्यालय) कोची तथा क्षेत्रीय कार्यालय, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) शिमला।

3.5 निम्नलिखित 3 कार्यालय अलग अभिलेख कक्ष की आवश्यकता नहीं समझते - क्षेत्रीय लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय तथा अंचल परिषद सचिवालय, दोनों नई दिल्ली में, तथा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, (उपकार्यालय) नासिक रोड।

3.6 संयुक्त साइफर ब्यूरो, नई दिल्ली ने अस्पष्ट उत्तर प्रेषित किया है।

3.7 बाकी बचे 26 संगठनों ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की है। ये हैं -- पशुपालन तथा डेयरी विभाग, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, मुख्य लेखा कार्यालय (नागर विमानन मंत्रालय) सक्षम प्राधिकरण, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 कार्यालय तथा आयकर महानिदेशालय, (सतर्कता) सभी नई दिल्ली में; क्षेत्रीय लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय, चेन्नई, अधिशासी अभियन्ता (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) चेन्नई तथा गांधीनगर, आयकर आयुक्त (के) कोलकाता, भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक तथा महापोस्टमास्टर, (विदेशी डाक) दोनों मुम्बई में; यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट पालन कार्य निष्पादन परीक्षण केन्द्र तथा केन्द्रीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान दोनों बंगलोर में; क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म चिपलीमा (जिला - संबलपुर), विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय उपकार्यालय, बोदीनायकनूर, लखनऊ तथा गुवाहाटी, दलहन विकास निदेशालय, भोपाल, आयकर आयुक्त (आई) कार्यालय, मदुरै, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, रायगढ़, संयुक्त निदेशक कार्यालय (केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना) जबलपुर, भारतीय ऊष्ण कंटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे, तथा अ. जा. /ज. जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, जबलपुर तथा जयपुर।

3.8 निम्नलिखित 34 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ सांविधानिक निकाय आदि ने सूचना दी कि उनके विभागीय अभिलेख कक्ष पूर्णतथा संगठित हैं - भारतीय खाद्य निगम, परियोजना संयंत्र निगम लि., भारतीय नर्सिंग परिषद्, भारतीय जनसंचार संस्थान, इस्कान इंटरनेशनल लि., भारतीय रेलवे खान-

Project Equipment Corporation Ltd., Indian Nursing Council, Indian Institute of Mass Communication, IRCON International Ltd., Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., Council of Scientific and Industrial Research and Water Power Consultancy Services (India), Ltd., all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology and Indian Institute of Technology Madras, both in Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd., Falta Special Economic Zone and Hindustan Cables Ltd., all in Kolkata; Mazagaon Dock Ltd., Hindustan Petroleum Corporation Ltd and Cotton Corporation of India Ltd., all in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Ltd., and Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., both in Kochi; Central Silk Board, Bangalore; Bharat Dynamics Ltd., International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials and Sponge Iron India Ltd., all in Hyderabad; Visakhapatnam Dock Labour Board, Dredging Corporation of India and Hindustan Shipyard Ltd., all in Visakhapatnam; National Fertilizers Ltd., Noida; Wild Life Institute of India, Dehradun; Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd., both in Nagpur; National Aluminium Company Ltd. Bhubaneswar and Mormugao Port Trust, Goa.

3.9 Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore has informed that the action is being initiated to set up the Records Room whereas Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Ltd., Mohan (District Almora) has informed that the Records Room is yet to be set up by them.

3.10 There is another category of 11 Public Sector Undertakings who have furnished 'NIL' report. These are:- Rail Tel Corporation of India, New Delhi; Office of the Development Commissioner, MEPZ, Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, Chennai; Indian Rare Earths Ltd., Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research and Shipping Corporation of India Ltd., all in Mumbai; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli; Pasteur Institute of India, Coonoor (Nilgiris, Tamil Nadu); Office of the General Manager Telecom, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Amritsar; National Academy of Sciences India, Allahabad; National Institute for Training of Highway Engineers, Noida and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

3.11 National Institute of Unani Medicine, Bangalore has given vague reply.

पान एवं पर्यटन निगम लि., वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, तथा जल विद्युत परामर्श सेवा (इण्डिया) लि. सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास दोनों चेन्नई में; बंगाल रसायन एवं पेट्रोरसायन लि. स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि., फाल्टा विशेष आर्थिक अंचल तथा हिन्दुस्तान केबल्स लि. सभी कोलकता में; मझगांव डॉक लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., तथा भारतीय कपास निगम लि., सभी मुम्बई में; हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लि. तथा उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लि. दोनों कोची में; केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर, भारत डायनेमिक्स लि., अंतर्राष्ट्रीय उन्नत चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र तथा स्पंज आयरन इंडिया लि. सभी हैदराबाद में; विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., सभी विशाखापत्तनम में; राष्ट्रीय उर्वरक लि., नोयडा भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून, भारत उद्योग निगम लि., रांची, इलैक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा खनिज खोज निगम लि., दोनों नागपुर में; राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर तथा मोर्मुगाव पत्तन न्यास, गोवा ।

3.9 जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर ने सूचित किया है कि अभिलेख कक्ष की स्थापना के संबंध में कार्रवाई की जा रही है जबकि भारतीय औषध फार्मास्यूटिकल्स निगम लि., मोहन, (जिला अल्मोड़ा) ने सूचित किया है उनके द्वारा अभिलेख कक्ष स्थापित करना शेष है ।

3.10 एक अन्य श्रेणी में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों ने शून्य सूचना दी है, ये हैं - रेल दूरसंचार कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया, विकास आयुक्त कार्यालय, एम. ई. पी. जेड. विशेष आर्थिक अंचल तथा तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एच. इ.ओ. यू. में, चेन्नई, भारतीय दुर्लभ मृदा लि., अनुप्रयुक्त सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान समिति तथा भारतीय जलपोत निगम लि. सभी मुम्बई में, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, राय बरेली, पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया, कूनूर (नीलगिरी, तमिलनाडु), दूरसंचार महाप्रबंधक कार्यालय, भारत संचार निगम लि., अमृतसर, भारतीय राष्ट्रीय विमान अकादमी, इलाहाबाद, राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, नोयडा तथा सरदार सरोवर विनिर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा ।

3.11 राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलोर ने अस्पष्ट उत्तर भेजा ।

DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 stipulates that every records creating agency shall nominate one of its officers as Records Officer to discharge the functions as outlined under Section 6(1) of the said Act. The Departmental Records Officer is required to co-ordinate and guide various Sections/ Divisions in an Organisation and also to keep liaison with the Director General of Archives, Government of India, regarding the compilation of records retention schedule for records, appraisal of non-current records, transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for preservation and on other ancillary matters pertaining to records management. Keeping this in view, the National Archives of India has requested all the Ministries/ Departments/ Offices etc. to comply with the said provision of the Public Records Act and nominate one of its officers as Records Officer. As a result of this, 676 Organisations have so far nominated one of their officers as Records Officer. During the period under report 134 Ministries/ Departments/ Offices have furnished the requisite information in this regard. Details of the replies received are given below.

4.2 79 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they have full time trained Departmental Records Officers. These are:- Ministries of Civil Aviation, Defence, Environment and Forests, Health and Family Welfare, Home Affairs, Labour, Mines, Non-Conventional Energy Sources, Parliamentary Affairs, Power, Railways, Road Transports and Highways, Shipping, Water Resources; Departments of Agriculture and Cooperation, Fertilizers, Industrial Policy and Promotion, Commerce, Commerce (Supply Division), Culture, Economic Affairs, Expenditure, Heavy Industry and Personnel and Training; President's Secretariat, Prime Minister's Office and Planning Commission, Directorates General of Civil Aviation, Foreign Trade, Supplies and Disposals and Central Reserve Police Force; Air Headquarters, National Institute of Criminology and Forensic Sciences, Regional Passport Office, Coast Guard Headquarters and Central Pension Accounting Office, all in New Delhi; Office of the Chief Post Master General (Tamil Nadu Circle) and BCG Vaccine Laboratory, both in Chennai; Offices of the Jute Commissioner, Development Commissioner for Iron and Steel, Central Reference Library, National Atlas and Thematic Mapping Organisation and Central Statistical Organisation, all in Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Office of the Commissioner of Central Excise (Mumbai I), Forward Markets Commission, Advance Training Institute, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Central Board of Film Certification, all in Mumbai; Offices of the Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), Allahabad; Chief Post Master General (Haryana Circle), Ambala; Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Department of Space and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, both in Bangalore; Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar; Office of the Regional Labour Commissioner (C), Central Excise Commissionerate, Terminal Ballistics Research Laboratory and Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), all in Chandigarh; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji and Port Health Organisation, Marmagao, both in Goa; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Coconut Development Board and Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), both in Kochi; Commission of Railway Safety, Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office)

विभागीय अभिलेख अधिकारी

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) में यह अनुबंधित है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी उक्त अधिनियम की धारा 6(1) में उल्लिखित प्रकार्यों को अंजाम देने के लिए अपने किसी अधिकारी को विभागीय अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित करेगी। विभागीय अभिलेख अधिकारी को अपने संगठन के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों के साथ समन्वयन व दिशा-निर्देश का कार्य करना पड़ता है। इसके साथ-साथ उसे अभिलेखों की प्रतिधारण सूची के संकलन, अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन, 25 वर्ष से पुरानी स्थाई प्रकृति के अभिलेखों को परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरण तथा अभिलेख प्रबंधन के अन्य आनुषंगिक मुद्दों पर अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार के साथ संपर्क भी बनाये रखना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालय इत्यादि से लोक अभिलेख अधिनियम के उक्त प्रावधान का पालन करने तथा अपने एक अधिकारी को विभागीय अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। इसके परिणामस्वरूप 676 संगठनों ने अभी तक अपने एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 134 मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों ने इस संबंध में आवश्यक सूचना प्रेषित की। प्राप्त उत्तरों का विवरण आगे दिया गया है --

4.2 79 मंत्रालय/विभाग/ कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास पूर्णकालिक प्रशिक्षित विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं, ये हैं - नागर विमानन मंत्रालय, रक्षा, पर्यावरण एवं वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, श्रम, खान, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, संसदीय कार्य, विद्युत, रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, उर्वरक औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, वाणिज्य, वाणिज्य, (आपूर्ति प्रभाग), संस्कृति, आर्थिक कार्य, व्यय, भारी उद्योग तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा योजना आयोग, नागर विमानन महानिदेशालय, विदेश व्यापार, पूर्ति एवं निपटान तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, वायुसेना मुख्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान तथा फोरेंसिक विज्ञान संस्थान, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, तटरक्षक मुख्यालय तथा पेंशन लेखा कार्यालय सभी नई दिल्ली में; मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, (तमिलनाडु सर्कल), बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला दोनों चेन्नई में; पटसन आयुक्त कार्यालय, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मानचित्रण संगठन तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सभी कोलकाता में; भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (मुम्बई-1), कार्यालय, अग्रवर्ती बाजार आयोग, अग्रिम प्रशिक्षण संस्थान, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड, सभी मुम्बई में; कल्याण आयुक्त कार्यालय, श्रम कल्याण संगठन, इलाहाबाद, मुख्य महापोस्टमास्टर (हरियाणा सर्कल), अम्बाला, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद, अंतरिक्ष विभाग तथा केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, दोनों बंगलोर में; मुख्य महापोस्टमास्टर, (उड़ीसा सर्कल) कार्यालय, भुवनेश्वर, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (के) कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरात, सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला तथा उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण वन मंत्रालय) सभी चण्डीगढ़ में; केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी तथा पत्तन स्वास्थ्य संगठन मुर्मुगांव, दोनों गोवा में; क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद, नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर, नारियल विकास बोर्ड तथा विपणन एवं निरीक्षण (उपकार्यालय) निदेशालय, दोनों कोची में;

and Office of the Chief Post Master General (U.P. Circle), all in Lucknow; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs and Indian Bureau of Mines, both in Nagpur; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida, National Film Archive of India, Central Water and Power Research Station and Indian Institute of Tropical Meteorology, all in Pune; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla; Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur and Office of the Chief Post Master General (Kerala Circle), Thiruvananthapuram.

4.3 The under-mentioned 5 Organisations have intimated that their record rooms are placed under the charge of Service Officer, Office Superintendents and Controller etc., These are:- Directorate of Administration (Naval Headquarters), New Delhi has placed its Record Room under the charge of Service Officer. Office of the Official Liquidator U.P. Uttaranchal High Court, Allahabad and Nainital, Allahabad has stated that their record rooms are being manned by the officials of High Court Allahabad. Central Institute of Indian Languages, Mysore has placed its Departmental Records Room under the supervision of a Superintendent. Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair has informed that its Records Room is being managed by a Daftry. Liquid Propulsion Systems Centre, Thiruvananthapuram has intimated that no officer has been nominated as Records Officer but controller himself holds the responsibility.

4.4 The offices mentioned below have informed that since their Offices are very small, no Departmental Records Officers have been nominated so far. These are:- Office of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel and Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation), both in New Delhi; Office of the Superintending Engineer (Chennai Region), Chennai and Offices of the Superintending Engineer (Civil) (Ministry of Road Transport and Highways), Kolkata and Gandhinagar; Office of the Chief Post Master General, Uttaranchal Circle, Dehradun and Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur.

4.5 Secretariat of the Vice President of India, New Delhi has stated that due to voluntary retirement taken by its Records Officer, action is being initiated to appoint someone else as the Records Officer. Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi has informed that they would nominate one of its officer as Records Officer very soon.

4.6 The following 41 officers have given vague/ 'NIL' replies or have stated that the provisions of the Act in this regard are not applicable to them:- Departments of Agricultural Research and Education, Animal Husbandry and Dairying and Secondary and Higher Education; Offices of the Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and NDPS Act, 1985 and Controller General of Defence Accounts; Directorate General of Income Tax (Vigilance), Joint Cipher Bureau, Directorate of Public Relations (Ministry of Defence) and Zonal Council Secretariat, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise (Chennai-I), Office of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel and Central Training Institute for Instructor, all in Chennai; Office of the Commissioner of Income Tax (C), Kolkata; Income Tax Settlement Commission (Mumbai- I) and Office of the Post Master General (Foreign Mails), both in Mumbai; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Offices of the Chief Post Master General, (Karnataka Circle) Bangalore and (Bihar Circle), Patna; Central Poultry Training Institute, Random Sample Poultry Performance Testing Centre and Regional Vocational Training Institute for Women, all in Bangalore; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Sub-Offices of

रेलवे सुरक्षा आयोग, विपणन एवं निरीक्षण, (उपकार्यालय) निदेशालय तथा मुख्य महापोस्टमास्टर, (यू.पी. सर्कल), सभी लखनऊ में; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, इलैक्ट्रॉनिक परीक्षण तथा विकास केन्द्र मोहाली, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय तथा भारतीय खान ब्यूरो, दोनों नागपुर में; प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत महानिदेशालय, नोयडा, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान स्टेशन तथा भारतीय ट्रापिकल मेटेयोरोलॉजी संस्थान सभी पुणे में; क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) शिमला, क्षेत्रीय सेना उड़नयोग्यता केन्द्र, सुल्तानपुर तथा मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय (केरल सर्कल), तिरुवनन्तपुरम ।

4.3 निम्नलिखित 5 संगठनों के सूचना दी है कि उनके अभिलेख कक्ष सेवा अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक तथा नियंत्रक आदि के प्रभार में हैं, ये हैं -- प्रशासन निदेशालय (नौ सेना मुख्यालय), नई दिल्ली ने अपने अभिलेख कक्ष का प्रभार सेवा अधिकारी को दिया है । शासकीय परिसमापक कार्यालय, यू.पी. तथा उत्तरांचल उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा नैनीताल, इलाहाबाद ने सूचित किया कि उनके अभिलेख कक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकारियों की देखरेख में हैं, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने अपना विभागीय अभिलेख कक्ष अधीक्षक के नियंत्रण में दिया है, मुख्य अभियंता तथा प्रशासक कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर ने सूचित किया कि उनके अभिलेख कक्ष की देखरेख दफ्तरी द्वारा की जा रही है । लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर, तिरुवनन्तपुरम ने सूचना प्रेषित की है कि उनके यहाँ कोई भी अधिकारी अभिलेख अधिकारी के तौर पर नामित नहीं किया गया है, नियंत्रक स्वयं इस जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं ।

4.4 नीचे दिए गये कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके कार्यालयों ने अभी तक कोई विभागीय अभिलेख अधिकारी नामित नहीं किया है, ये हैं -- क्षेत्रीय लौह एवं इस्पात आयुक्त कार्यालय, प्रधान लेखा कार्यालय (नागर विमानन मंत्रालय), दोनों नई दिल्ली में; अधीक्षक अभियंता कार्यालय (चेन्नई क्षेत्र), चेन्नई तथा अधीक्षक अभियंता (सिविल) कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय), कोलकाता एवं गांधी नगर, मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, उत्तरांचल सर्कल, देहरादून तथा संयुक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जबलपुर ।

4.5 उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उसके अभिलेख अधिकारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण किसी अन्य को अभिलेख अधिकारी के पद पर तैनात किये जाने पर कार्रवाई की जा रही है । विकास अधिकारी कार्यालय, लघु उद्योग, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उसके अधिकारियों में से एक को अभिलेख अधिकारी के पद पर जल्द ही नामित किया जाएगा ।

4.6 निम्नलिखित 41 अधिकारियों ने अस्पष्ट/ 'शून्य' सूचना भेजी है, अथवा कहा है कि इस संबंध में अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते -- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, पशुपालन तथा डेयरी, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, सक्षम प्राधिकरण, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा एन. डी. एस. अधिनियम, 1985 कार्यालय तथा सेना लेखा महानियंत्रक, आयकर महानिदेशालय (सतर्कता) संयुक्त साइफर ब्यूरो, जन संपर्क निदेशालय (रक्षा मंत्रालय) तथा आंचलिक परिषद सचिवालय, सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय (चेन्नई), क्षेत्रीय लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय तथा केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, सभी चेन्नई में; आयकर आयुक्त (के) कार्यालय, कोलकाता, आयकर निपटारा आयोग (मुम्बई-1) तथा महापोस्टमास्टर कार्यालय (विदेशी डाक), दोनों मुम्बई में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर, मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय (कर्नाटक सर्कल) बंगलोर तथा (बिहार सर्किल) पटना, केन्द्रीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट पालन कार्य निष्पादन प्रशिक्षण केन्द्र, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान सभी बंगलोर में; दलहन विकास निदेशालय, भोपाल, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय उपकार्यालय, बोदीनायाकानूर, गुवाहाटी तथा नासिक रोड, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, अ.जा./ ज.जा. अनुशिक्षण

the Directorate of Marketing and Inspection, Bodinayakanur, Guwahati and Nasik Road; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad; Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST, Jaipur, Jabalpur and Nagpur; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi; Office of the Commissioner of Income Tax (I), Madurai; Office of the Official Liquidator, High Court of Mumbai, Nagpur; Office of the Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare), Pune; Port Health Organisations, Raigad and Mandapam Camp, (District Ramanathapuram); Central Cattle Breeding Farms, Chiplima (District Sambalpur) and Dhamrod (District Surat); Airport Health Organisation, Thiruchirapalli and Office of the Junior Post Master General, Varanasi.

4.7 As regards the Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc., the position regarding the appointment of Departmental Records Officers, is as follows :-

4.8 The following 34 Public Sector Undertakings have full time Departmental Records Officers:- Project Equipment Corporation Ltd., Food Corporation of India, Indian Institute of Mass Communication, IRCON International Ltd., Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd., Council of Scientific and Industrial Research and Water and Power Consultancy Services (India) Ltd., all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Indian Institute of Technology, Madras, and Office of the Development Commissioner, MEPZ, Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, all in Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd. and Hindustan Cables Ltd., all in Kolkata; Indian Rare Earths Ltd., Mazagaon Dock Ltd., Hindustan Petroleum Corporation Ltd. and Cotton Corporation of India Ltd., all in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Ltd., and Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., both in Kochi; Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research and Central Silk Board, both in Bangalore; Bharat Dynamics Ltd., International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials and Sponge Iron India Ltd., all in Hyderabad; Dredging Corporation of India and Hindustan Shipyard Ltd., both in Visakhapatnam; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd., both in Nagpur; National Fertilizers Ltd. Noida; Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi; National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar; Mormugao Port Trust, Goa; National Academy of Sciences India, Allahabad and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

4.9 Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam has informed that the Records Officer is being nominated.

4.10 National Institute of Unani Medicine, Bangalore has sent vague reply.

4.11 The following 12 Public Sector Undertakings have forwarded 'NIL' report. These are:- Indian Nursing Council and Rail Tel Corporation of India Ltd., both in New Delhi; Falta Special Economic Zone, Kolkata; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research and Shipping Corporation of India Ltd., both in Mumbai; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Airfield, Rae Bareilly; Wildlife Institute of India, Dehradun; Pasteur Institute of India Coonoor (Nilgiris, Tamil Nadu); Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd., Mohan (District Almora); Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Office of the General Manager Telecom, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Amritsar and National Institute for Training of Highway Engineers, Noida.

सह मार्गदर्शन केन्द्र, जयपुर, जबलपुर तथा नागपुर, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर, केन्द्रीय मत्स्य नाटिकल एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, कोची, आयकर आयुक्त, (आई) कार्यालय, मदुरै, शासकीय परिसमापक कार्यालय, मुम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर, वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पुणे, पत्तन स्वास्थ्य संगठन रायगढ़ तथा मण्डपम कैम्प (जिला-रामनाथपुरम), केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा (जिला संबलपुर) तथा धामरोड़, (जिला सूरत), विमापत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली तथा कनिष्ठ महापोस्ट मास्टर कार्यालय, वाराणसी ।

4.7 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सांवेधानिक निकाय आदि के बारे में विभागीय अभिलेख अधिकारियों की नियुक्ति की स्थिति निम्नानुसार है:-

4.8 निम्नलिखित 34 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूर्णकालिक अभिलेख अधिकारी हैं - प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया, भारतीय जनसंचार संस्थान, इरकान इंटरनेशनल लि., भारतीय रेलवे खानपान तथा पर्यटन निगम लि., वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, तथा जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं, (भारत) लि., केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा विकास आयुक्त कार्यालय, एम. ई. पी. जेड., विशेष आर्थिक अंचल तथा एच.ई.ओ.यू., तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, सभी चेन्नई में; बंगाल केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल लि. तथा हिन्दुस्तान केबल लि., सभी कोलकाता में; भारतीय दुर्लभ मृदा लि., मझगांव डॉक लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. तथा भारतीय कपास निगम लि., सभी मुम्बई में; हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. तथा त्रावणकोर उर्वरक एवं रसायन लि. दोनों कोची में; जवाहरलाल नेहरू अग्रवर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड, दोनों बंगलोर में; भारत डायनेमिक्स लि., अन्तर्राष्ट्रीय अग्रिम चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र तथा स्पांज आयरन इंडिया लि., सभी हैदराबाद में; ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., दोनों विशाखापट्टनम में; केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा खनिज खोज निगम लि., दोनों नागपुर में; राष्ट्रीय उर्वरक लि., नोयडा, भारी अभियांत्रिकी निगम लि., रांची, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर, मोर्मुगाव पत्तन न्यास, गोवा; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद तथा सरदार सरोवर विनिर्माण कमेटी, वदोदरा ।

4.9 विशाखापट्टनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापट्टनम ने सूचित किया है कि अभिलेख अधिकारी नामित किया जा रहा है ।

4.10 राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलोर ने अस्पष्ट उत्तर दिया है ।

4.11 निम्नलिखित 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने स्लून्स सूचना प्रेषित की है, ये हैं - भारतीय नर्सिंग परिषद् तथा भारतीय रेल तेल निगम लि., दोनों नई दिल्ली में; फाल्टा विशेष आर्थिक अंचल, कोलकाता; अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग इलैक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान सोसायटी, भारतीय जल पोत निगम लि. दोनों मुम्बई में; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज वायु क्षेत्र रायबरेली; भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून; पाश्चर इस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया कूनूर (नीलगिरी, तमिलनाडु); इण्डियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लि., मोहन (जिला अलमोड़ा), इलैक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे; दूरसंचार महाप्रबंधक कार्यालय, भारत संचार निगम लि., अमृतसर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, नोयडा ।

SHARING OF SPACE

It has been observed that during their semi-current stage the records are not well cared for by the records creating agencies. Especially in the case where a separate Departmental Records Room has not been organised, either these records are dumped in the corridors or stacked haphazardly in the almirahas. These types of conditions are not conducive to the health of the records and as a result many of these records, containing valuable information may perish. Keeping all these problems in mind, National Archives of India has been inviting all the organisations to share space in its Annexe building at New Delhi and also in its Regional Office at Bhopal and Records Centres at Jaipur, Pondicherry and Bhubaneswar.

5.1 In all 134 Ministries/ Departments/ Offices and 49 Public Sector Undertakings have forwarded information in this regard. The information gleaned from these replies is detailed below:- 14 offices have informed that they are willing to share space at various places, 1 has informed that their Head Office may be contacted, remaining have sent 'NIL' replies.

5.2 The organisations that are willing to share space at New Delhi are:- Ministries of Health and Family Welfare, Shipping, Mines, and Civil-Aviation; Departments of Animal Husbandry and Dairying and Economic Affairs; Directorates General of Foreign Trade, and Civil Aviation, all in New Delhi. The Central Reference Library and National Atlas and Thematic Mapping Organisation, both in Kolkata and Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle) Bhubaneswar have also shown their willingness to share space at our Regional Centre at Bhubaneswar; Coconut Development Board, Kochi wants to keep their Annual Reports and other publications at our Records Centre, Pondicherry whereas National Film Archive of India, Pune and Office of the Salt Commissioner, Jaipur want to share space at our Records Centre, Jaipur.

5.3 Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Guwahati has informed that their Head Office may be contacted.

5.4 The remaining Organisations have sent 'NIL' information.

5.5 As far as Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. are concerned, only the Office of the Development Commissioner, MEPZ, Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, Chennai is willing to share the space for its records holdings.

5.6 The following 36 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. are unwilling to share records storage space for one reason or the other. These are:- Food Corporation of India, Indian Nursing Council, Indian Institute of Mass Communication, IRCON International Ltd., Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., Council of Scientific and Industrial Research and Water Power Consultancy Services (India) Ltd., all in New Delhi; Indian Institute of Technology, Madras, Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd., Falta Special Economic Zone and Hindustan Cables Ltd., all in Kolkata; Indian Rare Earths Ltd., Society for

स्थान की भागीदारी

ऐसा पाया गया है कि अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अर्धप्रचलित अवस्था में अभिलेखों की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं की जाती, और ऐसा, विशेष रूप से तब होता है जब उनके यहाँ अलग से विभागीय अभिलेख कक्ष की व्यवस्था करने पर ध्यान नहीं दिया जाता तथा अभिलेखों को कॉरिडोर में अथवा आलमीरा इत्यादि में बेतरतीबी से संग्रहित कर दिया जाता है। इस प्रकार की दशाएँ अभिलेख के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होतीं तथा परिणामस्वरूप मूल्यवान सूचना वाले बहुत सारे अभिलेख नष्ट हो जाते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार सभी संगठनों को अपने नई दिल्ली स्थित सौध भवन अथवा भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय या जयपुर, पांडिचेरी एवं भुवनेश्वर स्थित केन्द्रों में स्थान की भागीदारी के लिए आमंत्रित करता रहा है।

5.1 कुल मिला कर 134 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 49 उपक्रमों ने इस संबंध में सूचना अग्रसारित की। उनके प्रत्युत्तरों से निर्गत सूचना का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:- 14 कार्यालयों ने सूचना दी कि वे विभिन्न स्थानों पर स्थान की भागीदारी के लिए इच्छुक हैं, 1 ने सूचित किया कि इस संबंध में उनके मुख्यालय से संपर्क किया जाना चाहिए। शेष ने 'शून्य' उत्तर प्रेषित किया।

5.2 वे संगठन जो नई दिल्ली में स्थान की भागीदारी के लिए इच्छुक हैं, इस प्रकार हैं - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जहाजरानी, खान तथा नागरिक विमानन मंत्रालय, पशुपालन व डेयरी तथा आर्थिक कार्य विभाग, विदेश व्यापार तथा नागरिक विमानन महानिदेशालय, सभी नई दिल्ली स्थित। केन्द्रीय संदर्भ ग्रंथागार तथा राष्ट्रीय एटलस व थीमैटिक मानचित्र संगठन, दोनों कोलकाता स्थित तथा मुख्य महापोस्टमास्टर (उड़ीसा सर्किल) भुवनेश्वर ने भी हमारे भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में स्थान की भागीदारी के लिये अपनी इच्छा प्रदर्शित की है; नारियल विकास बोर्ड, कोची अपने वार्षिक प्रतिवेदनों तथा अन्य प्रकाशनों को पांडिचेरी स्थित हमारे अभिलेख केन्द्र में रखना चाहते हैं, जबकि राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे तथा नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर हमारे जयपुर स्थित अभिलेख केन्द्र में स्थान की भागीदारी करना चाहते हैं।

5.3 विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय (उपकार्यालय) गुहावाटी ने सूचित किया कि उनके मुख्यालय से संपर्क किया जाना चाहिए।

5.4 शेष संगठनों ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की।

5.5 जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि का संबंध है, सिर्फ विकास आयुक्त कार्यालय, एम ई पी जेड, विशेष आर्थिक अंचल तथा एच.ई.ओ.यू. तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चेन्नई अपने अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी के इच्छुक हैं।

5.6 निम्नलिखित 36 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सांविधानिक निकायों ने किसी एक या अन्य वजह से भंडारण-स्थान की भागीदारी के लिये अनिच्छा जाहिर की, ये हैं -- भारतीय खाद्य निगम, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय जनसंचार संस्थान, इरकान इंटरनेशनल लि., भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम लि., वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा जल विद्युत परामर्शी सेवाएं (इण्डिया) लि., सभी नई दिल्ली में; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई; बंगाल केमिकल तथा फार्मास्यूटिकल्स लि., स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि., फाल्टा विशेष आर्थिक अंचल,

Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Shipping Corporation of India Ltd. and Cotton Corporation of India Ltd. all in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Ltd., Ambalamugal and Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., both in Kochi; Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research and Central Silk Board, both in Bangalore; Bharat Dynamics Ltd and Sponge Iron India Ltd., both in Hyderabad; Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam; Mineral Exploration Corporation Ltd, Nagpur; National Fertilizers Ltd., and National Institute for Training of Highway Engineers, both in Noida; Heavy Engineering Corporation Ltd, Ranchi; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Airfield, Rae Bareilly; Wildlife Institute of India, Dehradun; Pasteur Institute of India, Coonoor (Nilgiris, Tamil Nadu); Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd., Mohan (District Almora); National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar; National Academy of Sciences India, Allahabad; Mormugao Port Trust, Goa and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

5.7 There is yet another category of Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. who have forwarded the information that the sharing of space is not necessary or not required by them. These are:- Project Equipment Corporation Ltd, New Delhi; Hindustan Petroleum Corporation Ltd, Mumbai; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad; Dredging Corporation of India and Visakhapatnam Dock Labour Board, both in Visakhapatnam and Central Board for Workers Education, Nagpur.

5.8 4 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have intimated that it is not applicable to them. These are:- Rail Tel Corporation of India Ltd., New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Chennai; Mazagaon Dock Ltd., Mumbai; and Office of the General Manager Telecom, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Amritsar.

5.9 Chennai Port Trust, Chennai and National Institute of Unani Medicine, Bangalore have sent vague replies.

तथा हिन्दुस्तान केबल्स लि., सभी कोलकाता में; भारतीय दुर्लभ मृदा लि., अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग, इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान समिति, भारतीय जलपोत निगम लि., तथा भारतीय कपास विकास निगम लि., सभी मुम्बई में; हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., अंबालमुगल तथा उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लि., दोनों कोची में; जवाहरलाल नेहरू अग्रिम वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड, दोनों बंगलोर में; भारत डायनेमिक्स लि. तथा स्पांज आयरन इंडिया लि., दोनों हैदराबाद में; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापट्टनम, खनिज खोज निगम लि., नागपुर, राष्ट्रीय उर्वरक लि. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, दोनों नोयडा में; भारी अभियांत्रिकी निगम लि., रांची, इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र पुणे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज वायुक्षेत्र, रायबरेली; भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून, पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लि., कूनूर (नीलगिरी, तमिलनाडु); भारतीय औषध फार्मास्यूटिकल निगम लि., मोहन (जिला अल्मोड़ा); राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद; मोर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा तथा सरदार सरोवर विनिर्माण सलाहकार समिति, वदोदरा ।

5.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांवेधानिक निकायों आदि की एक अन्य श्रेणी है जिन्होंने कहा कि वे स्थान की भागादारी की आवश्यकता नहीं समझते, ये हैं -- प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कॉरपोरेशन लि., नई दिल्ली; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि., मुम्बई; अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद; भारतीय ड्रेजिंग निगम तथा विशाखापट्टनम डॉक लेबर बोर्ड, दोनों विशाखापट्टनम में तथा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर ।

5.8 सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उपक्रमों/सांवेधानिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता:- भारतीय रेल टेल निगम लि., नई दिल्ली; केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई; मझगांव डॉक लि., मुम्बई तथा दूरसंचार महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि., अमृतसर ।

5.9 चेन्नई पत्तन न्यास तथा राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलोर ने अस्पष्ट उत्तर प्रेषित किया है।

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS

Every Records Creating Agency creates records in their day to day transaction. To segregate the important records from those of ephemeral ones and also for their proper management/ maintenance, their timely recording/ reviewing/ weeding are the essential steps which are required to be taken by all records creating agencies. The Section 6 (1) (b) of Public Records Act, 1993 and Rule 9 of Public Records Rule, 1997 stipulate that no record shall be destroyed without being recorded and reviewed. Rule 9 (1) of the Public Records Rules, 1997 further stipulates that each records creating agency should furnish half-yearly returns on the subject. Accordingly, a Circular letter No. 16-5/2003-RM dated 21 February, 2003 was issued to all the Ministries/ Departments/ Offices including Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. A list of organisations who have sent information may please be seen in Annexure II. In response to another Circular letter 16-12/2003-RM dated 21 February 2003, 134 Ministries/ Departments/ Offices and 49 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have sent information. The analysis of information is given below.

6.1 99 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they are attending the job. These are:- Ministries of Civil Aviation, Defence, Environment and Forests, Health and Family Welfare, Home Affairs, Labour, Mines, Non-Conventional Energy Sources, Parliamentary Affairs, Power, Road Transport and Highways, Shipping, Water Resources, and Railways (Railway Board); Departments of Animal Husbandry and Dairying, Agriculture and Cooperation, Fertilizers, Industrial Policy and Promotion, Commerce, Supply Division (Department of Commerce), Economic Affairs, Heavy Industry, Secondary and Higher Education, Personnel and Training and Culture; Planning Commission, President's Secretariat, Secretariat of the Vice President of India, Prime Minister's Office; Directorates General of Civil Aviation, Supply and Disposal, Foreign Trade and Central Reserve Police Force; Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation), Armed Forces Film and Photo Division, Directorate of Public Relations (Ministry of Defence), Air Headquarters, Joint Cipher Bureau, Regional Passport Office, Zonal Council Secretariat, National Institute of Criminology and Forensic Sciences and Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, all in New Delhi; Regional Development Commissioner for Iron and Steel, Delhi and Chennai; B.C.G. Vaccine Laboratory and Central Training Institute for Instructors, both in Chennai; Central Reference Library, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Central Statistical Organisation, Development Commissioner for Iron and Steel and Office of the Jute Commissioner, all in Kolkata; Forward Markets Commission, Central Board of Film Certification, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Advanced Training Institute, all in Mumbai; Department of Space, Central Poultry Training Institute and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, all in Bangalore; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi; Sub-Offices of the Directorate of Marketing and Inspection, Kochi, Bodinayakanur, Nasik Road, Lucknow and Guwahati; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat); Directorate of Pulses Development, Bhopal; Commission of Railway Safety, Lucknow; Offices of the Chief Post Master General, Chennai, Bhubaneswar, Ambala, Lucknow and Patna, Junior Post Master General, Varanasi; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Terminal

अर्धप्रचलित अभिलेखों का अंकन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण

प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी अपने रोजमर्रा के कार्यकलाप के दौरान अभिलेखों का सृजन करती है। महत्वपूर्ण अभिलेखों को अल्पकालिक अभिलेखों से अलग करने तथा उनके सही प्रबंधन/ रख-रखाव के लिए अभिलेखों का समय पर अंकन/ पुनरीक्षण/ विनष्टीकरण कतिपय ऐसे कदम हैं, जिन्हें प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी द्वारा उठाया जाना आवश्यक होता है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1) (ख) तथा लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 9 में यह अनुबंधित है कि किसी भी अभिलेख को बिना अंकित व पुनरीक्षित किये विनष्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार लोक अभिलेख नियम, 1997 में यह भी अनुबंधित है कि इस संबंध में प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी द्वारा अर्धवार्षिक विवरण भेजा जायेगा। तदनुसार, एक परिपत्र संख्या 16-5/2003-आर.एम. दिनांकित 21 फरवरी 2003 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सांविधिक निकायों इत्यादि सहित मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों को प्रेषित किया गया। सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची को परिशिष्ट-II पर देखा जा सकता है। इसी प्रकार एक अन्य परिपत्र संख्या 16-12/2003 आर.एम. दिनांकित 21 फरवरी 2003 के प्रत्युत्तर में 134 मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों तथा 49 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि ने सूचना प्रेषित की। सूचना का विश्लेषण आगे प्रस्तुत किया जा रहा है -

6.1 99 मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों ने सूचित किया कि वे इस कार्य को कर रहे हैं - ये हैं - नागर विमानन, रक्षा, पर्यावरण एवं वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, श्रम, खान, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, संसदीय कार्य, विद्युत, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन तथा रेल (रेलवे बोर्ड) मंत्रालय; पशुपालन तथा डेयरी, कृषि एवं सहकारिता, उर्वरक, औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नयन, वाणिज्य, पूर्ति प्रभाग (वाणिज्य विभाग) संसदीय कार्य, भारी उद्योग, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण तथा संस्कृति विभाग; योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय; नागर विमानन, पूर्ति एवं निपटान, विदेश व्यापार तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय; प्रधान लेखा कार्यालय, (नागर विमानन मंत्रालय) सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, जन संपर्क निदेशालय (रक्षा मंत्रालय), वायु सेना मुख्यालय, ज्वाइंट साइफर ब्यूरो, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, आंचलिक परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र तथा विधि विज्ञान संस्थान तथा विकास आयुक्त कार्यालय, लघु उद्योग, सभी नई दिल्ली में; लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त, दिल्ली तथा चेन्नई; बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला तथा केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, दोनों चेन्नई में; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मानचित्रण संगठन, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त तथा पटसन आयुक्त कार्यालय, सभी कोलकाता में; अग्रवर्ती बाजार आयोग, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, सभी मुम्बई में; अंतरिक्ष विभाग, केन्द्रीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, सभी बंगलोर में; केन्द्रीय मत्स्य नाविक तथा अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, कोची, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय उप-कार्यालय, कोची, बोदीनायकनूर, नासिक रोड, लखनऊ तथा गुवाहाटी; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत); दलहन विकास निदेशालय, भोपाल; रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ, मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, चेन्नई, भुवनेश्वर, अम्बाला, लखनऊ तथा पटना, अवर

Ballistic Research Laboratory, Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Central Excise Commissionerate, all in Chandigarh; Offices of the Commissioner of Central Excise, Chennai and Aurangabad; Central Excise and Customs, Panaji and Nagpur; Offices of the Salt Commissioner, Jaipur; Official Liquidator, U.P. and Uttaranchal High Court Allahabad and Nainital, Allahabad; Port Health Organisation, Marmagoa (Goa); Air Port Health Organisation, Thiruchirapalli; Offices of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Senior Regional Director, (Ministry of Health and Family Welfare), Indian Institute of Tropical Meteorology and Central Water and Power Research Station, all in Pune; Central Institute of Indian Language, Mysore; Offices of the Regional Labour Commissioner (C), Ajmer and Chandigarh; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jabalpur; Office of the Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), Allahabad; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida and Liquid Propulsion Systems Centre, Thiruvananthapuram.

6.2 The other 35 Organisations have furnished 'NIL' reports. These are:- Departments of Agriculture Research and Education and Expenditure; Office of the Controller General of Defence Accounts, Directorate of Administration (Naval Headquarters), Office of the Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and NDPS Act, 1985, Central Pension Accounting Office, Director General of Income Tax (Vigilance) and Coast Guard Headquarters, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Income Tax (C), Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Office of the Post Master General (Foreign Mails), Income Tax Settlement Commission and Office of Commissioner of Central Excise, all in Mumbai; Random Sample Poultry Performance Testing Centre and Regional Vocational Training Institute for Women, both in Bangalore; Coconut Development Board, Kochi; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (District Sambalpur); Offices of the Chief Post Master General, Thiruvananthapuram, Bangalore and Dehradun; Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur; Offices of the Commissioner of Income Tax (I), Madurai; Official Liquidator, High Court of Mumbai, Nagpur; Port Health Organisations, Goa and Raigad; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Regional Directorate of Apprenticeship Training, both in Hyderabad; National Film Archive of India, Pune; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur; Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST, Nagpur and Jaipur and Offices of the Superintending Engineer (Ministry of Road Transport and Highways), (Chennai Region) Chennai, (Civil) Kolkata and Gandhinagar.

6.3 In all 49 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have furnished information, out of which 24 have reported that they are attending the job. These are : Food Corporation of India, Indian Institute of Mass Communication, IRCON, International Ltd., Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., Council of Scientific and Industrial Research and Water Power Consultancy Services (India) Ltd., all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Office of the Development Commissioner MEPZ, Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, Chennai and Indian Institute of Technology Madras, all in Chennai; Mazagaon Dock Ltd., Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Shipping Corporation of India Ltd. and the Cotton Corporation of India Ltd., all in Mumbai; Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Kochi, Central Board for Workers Education, Nagpur; National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar; International

महापोस्टमास्टर, वाराणसी; इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, मोहाली; सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) तथा केन्द्रीय उत्पाद कमिशनरात, सभी चण्डीगढ़ में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, शुल्क आयुक्त कार्यालय, चेन्नई तथा औरंगाबाद; केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क, पणजी तथा नागपुर; नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर; शासकीय परिसमापक उ.प्र. तथा उतरांचल उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा नैनीताल, इलाहाबाद; पत्तन स्वास्थ्य संगठन मार्मागोवा (गोवा); विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली, संयुक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर; वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान तथा केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन, सभी पुणे में; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (के) कार्यालय, अजमेर तथा चण्डीगढ़; अ. जा. /अ.ज. जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, जबलपुर; कल्याण आयुक्त कार्यालय (श्रम कल्याण संगठन) इलाहाबाद; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, मुख्य अभियंता तथा प्रशासक, अण्डमान लक्षदीप बंदरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; प्रकाशस्तंभ तथा प्रकाशपोत महानिदेशालय, नोयडा तथा लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर, तिरुवनन्तपुरम ।

6.2 अन्य 35 संगठन जिन्होंने 'शून्य' सूचना भेजी है, इस प्रकार हैं -- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा एवं व्यय विभाग; रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय, प्रशासन निदेशालय (नौ सेना मुख्यालय) सक्षम प्राधिकरण, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 कार्यालय, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, आयकर महानिदेशक (सतर्कता) तथा तटरक्षक मुख्यालय, सभी नई दिल्ली में; आयकर आयुक्त (के) कार्यालय, कोलकाता; भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, महापोस्टमास्टर (विदेश डाक), आयकर निपटारा आयोग तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, सभी मुम्बई में; यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट पालन कार्य निष्पादन परीक्षण केन्द्र तथा क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, दोनों बंगलोर में, नारियल विकास बोर्ड, कोची; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा (जिला संबलपुर); मुख्य महापोस्टमास्टर, तिरुवनन्तपुरम, बंगलोर तथा देहरादून; सेना उड़न योग्यता क्षेत्रीय केन्द्र, सुल्तानपुर, आयकर आयुक्त कार्यालय (स) मदुरै; शासकीय परिसमापक मुम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, गोवा तथा रायगढ़; क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) शिमला, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, दोनों हैदराबाद में; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर; अ.जा./ अ.ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, नागपुर तथा जयपुर तथा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) (चेन्नई क्षेत्र) चेन्नई, (सिविल) कोलकाता तथा गांधीनगर ।

6.3 सूचना प्रेषित करने वाले कुल 49 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सांख्यिक निकायों आदि में से 24 ने सूचित किया है कि वे यह कार्य में कर रहे हैं -- भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जन संचार संस्थान, इरकान इंटरनेशनल लि०, भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम लि., वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा जल विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लि., सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, विकास आयुक्त कार्यालय एम. ई. पी. जेड., विशेष आर्थिक अंचल तथा एच. इ. ओ. यू., तमिलनाडु पाण्डिचेरी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चेन्नई तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, सभी चेन्नई में; मझगांव डॉक लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि., सभी मुम्बई में; रसायन एवं उर्वरक त्रावणकोर लि., कोची; केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर; राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; अन्तर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण

Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad; The National Academy of Sciences India, Allahabad; Mormugao Port Trust, Goa; Dredging Corporation of India and Visakhapatnam Dock Labour Board, both in Visakhapatnam; Central Silk Board, Bangalore; Sardar Sarovar Construction Advisory Committees, Vadodara and Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd., Mohan (District Almora).

6.4 Project Equipment Corporation Ltd. and Indian Nursing Council, both in New Delhi; Hindustan Cables Ltd., Kolkata; Wildlife Institute of India, Dehradun and National Institute of Unani Medicine, Bangalore have sent vague replies.

6.5 Chennai Port Trust, Chennai has intimated that it is following its own procedure whereas Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur has informed that steps are being taken for recording/ reviewing and weeding of semi-current records.

6.6 The following 15 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have forwarded 'NIL' reports:- Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd. and Falta Special Economic Zone, all in Kolkata; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research and Indian Rare Earths Ltd., both in Mumbai; Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore; Bharat Dynamics Ltd., and Sponge Iron India Ltd., both in Hyderabad; Hindustan Shipyard Ltd. Visakhapatnam; National Fertilizers Ltd. and National Institute for Training of Highway Engineers, both in Noida; Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Pasteur Institute of India, Coonoor (Nilgiris, Tamil Nadu) and Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Airfield, Rae Bareli.

धात्विकी तथा नव्य सामग्री विज्ञान अकादमी इलाहाबाद, मोर्मुगाव पत्तन न्यास, गोवा, भारतीय ड्रेजिंग निगम लि. तथा विशाखापट्टनम डाक श्रमिक बोर्ड, विशाखापट्टनम, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर, सरदार सरोवर विनिमार्ण सलाहकार कमेटी, वदोदरा तथा भारतीय औषध फार्मास्यूटिकल निगम लि., मोहन (जिला अल्मोडा) ।

6.4 परियोजना सामग्री निगम लि. तथा भारतीय नर्सिंग परिषद दोनों नई दिल्ली में; हिन्दुस्तान केबल्स लि., कोलकाता; भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून तथा यूनानी औषध संस्थान, बंगलोर ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है ।

6.5 चेन्नई पत्तन न्यास ने सूचित किया है कि वे अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं जबकि खनिज खोज निगम लि. नागपुर ने बताया है कि अर्द्धप्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण/पुनरीक्षा तथा छंटाई के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं ।

6.6 निम्नलिखित 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की है -- बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि., स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि. तथा फाल्टा विशेष आर्थिक अंचल, सभी कोलकाता में; अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग-इलैक्ट्रानिकी अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान समिति तथा भारतीय दुर्लभ मृदा लि., दोनों मुम्बई में; जवाहर लाल नेहरू अग्रवर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र बंगलोर, भारत डायनेमिक्स लि. तथा स्पंज आयरन इण्डिया लि., दोनों हैदराबाद में; हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापट्टनम; राष्ट्रीय उर्वरक लि. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, दोनों नोयडा में; भारी अभियांत्रिकी निगम लि., रांची; इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे; भारतीय चारागाह संस्थान, कूनूर (नीलगिरि, तमिलनाडु); तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, फुर्सतगंज वायुक्षेत्र, रायबरेली ।

INDEXING OF RECORDS

For an efficient administration, a records creating agency often depends on the efficacy of its information retrieving mechanism. Any information which already exists in records should be expeditiously culled out when it is required so as to facilitate the decision-making process. One of the important retrieving tools is the indices to records. Keeping this in view, I have been emphasizing in my earlier reports as well, that top priority should be given by the Records Creating Agencies for compiling Indices of A, B and C-10, Category of records. However, the response received from the organisations is not very encouraging as the analysis of the information shows no appreciable change in the existing situation.

7.1 The National Archives of India vide its Circular letter No. 16-12/2003-RM dated 21 February, 2003 requested all Records Creating Agencies to furnish information in this regard. In all 134 Ministries/ Departments/ Offices and 49 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have responded. Out of these, 11 organisations have informed that they are preparing indices, 33 have furnished 'NIL' information, 4 have informed that they are following Functional Filing System, 64 have informed that they are not doing it, 4 have felt that it is not necessary, 13 have informed that it is not applicable to them, 2 are not attending to the job whereas 3 have given vague replies. Details of the replies received are given below.

7.2 The following 11 organisations, who are attending the job, are:- National Atlas Thematic and Mapping Organisation, Kolkata; Forward Markets Commission and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, both in Mumbai; Regional Vocational Training Institute for Women, Bangalore; Offices of the Chief Post Master General (Karnataka Circle) Bangalore, (Orissa Circle) Bhubaneswar, and (Bihar Circle) Patna; Office of the Commissioner of Central Excise, Nagpur; Commission of Railway Safety, Lucknow; Port Health Organisation, Marmagoa (Goa) and Office of the Salt Commissioner, Jaipur.

7.3 The Organisations who have furnished 'NIL' information are:- Ministries of Labour and Water Resources; Departments of Industrial Policy and Promotion, Agricultural Research and Education, Commerce and Personnel and Training; Prime Minister Office, Armed Forces Film and Photo Division, Directorate of Public Relations (Ministry of Defence), Office of the Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and NDPS Act, 1985; and Directorate General of Income Tax (Vigilance), all in New Delhi; Central Training Institute for Instructors, Chennai; Offices of the Superintending Engineer (Ministry of Road Transport and Highways), (Chennai Region) Chennai, (Civil) Kolkata and Gandhinagar; Central Statistical Organisation, Kolkata. Office of the Commissioner of Income Tax, Office of the Post Master General (Foreign Mails), Income Tax Settlement Commission, all in Mumbai; Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST, Jaipur and Nagpur; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla; Offices of the Chief Post Master General, (U.P. Circle) Lucknow; (Kerala

अभिलेखों का सूचीकरण

दक्ष प्रशासन के लिए अभिलेख सर्जक एजेंसी को बहुधा अपनी सूचना अभिप्राप्ति-तंत्र की कुशलता पर निर्भर रहना पड़ता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए यह जरूरी है कि अभिलेखों में निहित सूचना आवश्यकता पड़ने पर त्वरित गति के साथ निकाली जा सके। और इस कार्य में सूचना अभिप्राप्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है अभिलेखों की सूची। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पूर्व के अपने भी प्रतिवेदनों में भी मैं इस बात पर बल देता रहा हूँ कि अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा क, ख तथा ग-10 श्रेणी के अभिलेखों के सूची सेंकलन कार्य को सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए। लेकिन इस संबंध में संगठनों की ओर से प्राप्त उत्तर बहुत उत्साहवर्धक नहीं है क्योंकि उनके द्वारा प्रेषित सूचना के विश्लेषण से विद्यमान स्थिति में कोई प्रशंसनीय बदलाव आता नहीं दीखता।

7.1 राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2003 के परिपत्र संख्या 16-12/2003-आर. एम. के माध्यम से सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को इस संबंध में सूचना प्रेषित करने का आग्रह किया। कुल मिलाकर 134 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 49 उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि ने सूचना प्रेषित की। इनमें से 11 संगठनों ने यह सूचित किया कि वे सूची तैयार कर रहे हैं, 33 ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की, 4 ने सूचित किया कि वे प्रकार्यात्मक संचिका प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं, 64 ने बताया कि वे इस कार्य को नहीं कर रहे, 4 ने यह महसूस किया कि यह आवश्यक नहीं है, 13 ने सूचित किया कि यह उन पर लागू नहीं होता है, 2 इस कार्य को नहीं कर रहे हैं जबकि 3 ने अस्पष्ट उत्तर प्रेषित किया। प्राप्त उत्तरों का विवरण नीचे दिया जा रहा है --

7.2 निम्नलिखित 11 संगठन इस कार्य को कर रहे हैं -- राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता; अग्रवर्ती बाजार आयोग तथा विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दोनों मुम्बई में; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलोर; मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय (कर्नाटक सर्कल), बंगलोर, (उड़ीसा सर्कल), भुवनेश्वर तथा (बिहार सर्कल), पटना; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर; रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ; पत्तन स्वास्थ्य संगठन मार्मागोवा (गोवा) तथा नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर।

7.3 वे संगठन जिन्होंने 'शून्य' सूचना प्रेषित की है, इस प्रकार हैं -- श्रम, जल संसाधान, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, वाणिज्य तथा कार्मिक तथा प्रशिक्षण मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, जन संपर्क निदेशालय (रक्षा मंत्रालय), सक्षम प्राधिकरण, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 कार्यालय तथा आयकर निदेशालय (सतर्कता), सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई; अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) (चेन्नई क्षेत्र), चेन्नई, (सिविल) कोलकाता एवं गांधी नगर; केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता; आयकर आयुक्त कार्यालय, महापोस्टमास्टर कार्यालय (विदेश डाक) आयकर निपटारा आयोग, सभी मुम्बई में; अ.जा./ अ.ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, जयपुर तथा नागपुर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, अजमेर; क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद;

Circle), Thiruvananthapuram; Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Commissioner of Income Tax (I), Madurai; Central Excise Commissionerate, Chandigarh; Central Institute of Indian Languages, Mysore and Directorate of Pulses Development, Bhopal.

7.4 Four Ministries/ Departments have reported that they are following Functional Filing system. These are:- Ministries of Civil Aviation, Road Transport and Highways and Shipping, and the President's Secretariat, all in New Delhi.

7.5 Supply Division (Department of Commerce), New Delhi; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Mumbai; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida and Office of the Official Liquidator U.P. and Uttaranchal High Court Allahabad and Nainital, Allahabad do not feel it necessary to compile the indices to records.

7.6 The following 13 Organisations have informed that it is not applicable to them. These are:- Ministry of Defence, Directorate General of Supplies and Disposal and Regional Passport Office, all in New Delhi; Advanced Training Institute, Mumbai; Port Health Organisation, Thiruchirapalli; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Bangalore; Sub-Offices of the Directorate of Marketing and Inspection, Kochi, Nasik Road, Lucknow, and Guwahati and Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat).

7.7 The following 66 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they are not compiling the indices to their records:- Ministries of Environment and Forests, Health and Family Welfare, Home Affairs, Mines, Non-Conventional Energy Sources, Parliamentary Affairs, Power and Railways (Railway Board); Departments of Animal Husbandry and Dairying, Agriculture and Cooperation, Fertilizers, Expenditure, Economic Affairs, Heavy Industry and Culture; Secretariat of the Vice-President of India, Planning Commission, Offices of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel, New Delhi and Chennai; Development Commissioner, Small Scale Industries, Directorates Generals of Civil Aviation, Central Reserve Police Force and Foreign Trade, Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation), Directorate of Administration (Naval Headquarters), Air Headquarters, Central Pension Accounting Office, Coast Guard Headquarters, Zonal Council Secretariat and National Institute of Criminology and Forensic Sciences, all in New Delhi; Offices of the Commissioner of Central Excise, Chennai and Mumbai; BCG Vaccine Laboratory, Chennai; Offices of the Jute Commissioner, Development Commissioner for Iron and Steel and Central Reference Library, all in Kolkata; Central Board of Film Certification, Mumbai; Terminal Ballistics Research Laboratory and Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Office of the Regional Labour Commissioner (C), all in Chandigarh; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; Central Water and Power Research Station, Indian Institute of Tropical Meteorology and Office of the Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare), National Film Archive of India, all in Pune; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering and Coconut Development Board, both in Kochi; Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Bodinayakanur; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (District Sambalpur); Office of the Junior Post Master General, Varanasi and Chief Post Master General (Haryana Circle) Ambala and (Uttaranchal Circle) Dehradun; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur;

विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र जबलपुर; क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), शिमला; मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय (यू. पी. सर्कल) लखनऊ; केरल सर्कल, तिरुवनन्तपुरम; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद; आयकर आयुक्त (आ) मदुरै, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरात, चण्डीगढ़; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर तथा दलहन विकास निदेशालय, भोपाल ।

7.4 चार मंत्रालयों/विभागों ने सूचित किया है कि वे प्रकार्यात्मक फाइल प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं, ये हैं -- नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्रालय तथा राष्ट्रपति सचिवालय, सभी नई दिल्ली में ।

7.5 पूर्ति प्रभाग (वाणिज्य विभाग), नई दिल्ली; भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, मुम्बई ; प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाशपोत महानिदेशालय, नोयडा, शासकीय परिसमापक कार्यालय, यू. पी., तथा उत्तरांचल उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा नैनीताल, इलाहाबाद अभिलेखों की सूची के संकलन को आवश्यक नहीं समझते हैं ।

7.6 निम्नलिखित 13 संगठनों ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता । ये हैं -- रक्षा मंत्रालय, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, सभी नई दिल्ली में; अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; मुख्य अभियंता तथा प्रशासक कार्यालय, अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट पालन कार्य निष्पादन परीक्षण केन्द्र, बंगलोर; विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय उपकार्यालय, कोची, नासिक रोड, लखनऊ तथा गुवाहाटी एवं केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत) ।

7.7 निम्नलिखित 66 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय ने सूचना दी है कि वे अभिलेखों के सूची संकलन का कार्य नहीं कर रहे हैं, पर्यावरण एवं वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, खान, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, संसदीय कार्य, विद्युत तथा रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड); पशुपालन तथा डेयरी, कृषि तथा सहकारिता, उर्वरक, व्यय, आर्थिक कार्य, भारी उद्योग तथा संस्कृति विभाग, उपराष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नई दिल्ली तथा चेन्नई; विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नागर विमानन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय, प्रधान लेखा अधिकारी (नागर विमानन मंत्रालय), प्रशासन निदेशालय (नौ सेना मुख्यालय), वायु सेना मुख्यालय, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, तटरक्षक मुख्यालय, आंचलिक परिषद सचिवालय तथा राष्ट्रीय अपराध शास्त्र तथा विधि विज्ञान, सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय चेन्नई तथा मुम्बई; बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, चेन्नई; पटसन आयुक्त कार्यालय, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त तथा केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, सभी कोलकाता में; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुम्बई; सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला तथा उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(के), सभी चण्डीगढ़ में; केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, बंगलोर; केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान स्टेशन, भारतीय ऊष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा क्षेत्रीय अवर निदेशक (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखगार, सभी पुणे में; केन्द्रीय मत्स्य पालन नाविक एवं अभियांत्रिकी संस्थान तथा नारियल विकास बोर्ड, दोनों कोची में; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय(उपकार्यालय) बोदीनायकनूर; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा(जिला-सम्बलपुर); कनिष्ठ महापोस्टमास्टर कार्यालय, वाराणसी तथा मुख्य महापोस्टमास्टर (हरियाणा सर्कल) अम्बाला तथा (उत्तरांचल सर्कल) देहरादून; इलैक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, मोहाली; सेना उडन योग्यता क्षेत्रीय केन्द्र, सुल्तानपुर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा आयुक्त कार्यालय, पणजी(गोवा); शासकीय

Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji (Goa); Official Liquidator, High Court of Mumbai and Indian Bureau of Mines, both in Nagpur; Port Heath Organisations, District Raigad, Mandapam Camp (District Ramanathapuram) and Goa; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, both in Jabalpur; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad; Liquid Propulsion Systems Centre, Thiruvananthapuram and Office of the Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), Allahabad.

7.8 Department of Space and Central Poultry Training Institute, both in Bangalore, have informed that they have not started the work of indexing of files as yet.

The following Departments have furnished vague replies.

7.9 Department of Secondary and Higher Education, New Delhi has stated that instructions have been issued for preparing indices to records. Chief Post Master General, (Tamil Nadu Circle), Chennai has informed that the registers of records are not being maintained whereas Joint Cipher Bureau, New Delhi has stated that they have records of secret nature.

7.10 In all 49 Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations etc. have responded to the Circular letter of this Department, out of which only 3 have informed that they are doing the job. These are:- Water Power Consultancy Services (India) Ltd., New Delhi; Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai and Visakhapatnam, Dock Labour Board, Visakhapatnam.

7.11 Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur and Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd, Mohan (District Almora) have intimated that the work will be taken up whereas National Institute of Unani Medicine, Bangalore has sent vague reply.

7.12 The following 7 Organisations have informed that it is not applicable to them:- IRCON, International Ltd. and Rail Tel Corporation of India Ltd., both in New Delhi; Cotton Corporation of India Ltd. and Mazagaon Dock Ltd., both in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Ltd., Ambalamugal (Kochi); Office of the General Manager, Telecom, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Amritsar and Dredging Corporation of India, Visakhapatnam.

7.13 Chennai Port Trust, Chennai has informed that it is following its own procedure.

7.14 Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi; Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore and Bharat Dynamics Ltd. Hyderabad have reported that the work is in progress.

7.15 The following 32 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have furnished 'NIL' reports:- Project Equipment Corporation Ltd., Food Corporation of India, Indian Nursing Council, Indian Institute of Mass Communication and Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Office of the Development Commissioner MEPZ, Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, and Indian Institute of Technology Madras, all in Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd., Falta Special Economic Zone and Hindustan Cables Ltd., all in Kolkata; Indian Rare Earths Ltd., Society For

परिसमापक, मुम्बई उच्च न्यायालय तथा भारतीय खान ब्यूरो, दोनों नागपुर में; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, जिला रायगढ़, मण्डपम कैम्प (जिला रामनाथपुरम) तथा गोवा, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा अ. जा. /अ.ज. जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, दोनों जबलपुर में; सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम्स सेंटर, तिरुवनन्तरपुरम तथा कल्याण आयुक्त कार्यालय (श्रम कल्याण संगठन), इलाहाबाद ।

7.8 बंगलोर स्थित अंतरिक्ष विभाग तथा केन्द्रीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान, दोनों ने सूचित किया है कि उन्होंने फाइलों के सूचीकरण का काम अभी तक शुरू नहीं किया है ।

निम्नलिखित विभागों ने अस्पष्ट उत्तर प्रेषित किया है:

7.9 माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ने बताया कि अभिलेखों के सूचीकरण के अनुदेश जारी कर दिए गये हैं। मुख्य महापोस्टमास्टर (तमिलनाडु सर्कल), चेन्नई ने सूचना दी कि उन्होंने अभिलेखों के रजिस्टर नहीं बनाये हैं जबकि ज्वाइंट साइफर ब्यूरो, नई दिल्ली ने बताया कि उनके पास गोपनीय प्रकृति के अभिलेख हैं ।

7.10 इस विभाग के परिपत्र का कुल 49 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / कमेटी / निगमों आदि ने उत्तर दिया, जिनमें से 3 ने बताया कि वे यह कार्य कर रहे हैं, ये हैं -- जल विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लि., नई दिल्ली; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., मुम्बई तथा विशाखापट्टनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापट्टनम ।

7.11 खनिज उत्खनन निगम लि., नागपुर तथा भारतीय औषध फार्मास्यूटिकल निगम लि., मोहन (जिला अल्मोड़ा) ने बताया कि कार्य आरंभ किया जाएगा जबकि राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलोर ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है ।

7.12 निम्नलिखित 7 संगठन हैं जिन्होंने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता -- इस्कान इंटरनेशनल लि. तथा भारतीय रेल टेल निगम लि., दोनों नई दिल्ली में; भारतीय कपास निगम लि. तथा मझगांव डॉक लि., दोनों मुम्बई में; हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन लि., अंभालमुगल (कोची); महाप्रबंधक कार्यालय, दूरसंचार, भारत संचार निगम लि., अमृतसर; भारतीय ड्रेजिंग निगम लि., विशाखापट्टनम ।

7.13 चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई ने बताया कि वे अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं ।

7.14 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली; जवाहरलाल नेहरू अग्रवर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर तथा भारत डायनेमिक्स लि., हैदराबाद ने सूचना दी है कि कार्य प्रगति पर है ।

7.15 निम्नलिखित 32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की है -- परियोजना सामग्री निगम लि., भारतीय खाद्य निगम, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय जन संचार संस्थान, तथा भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम लि., सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, विकास आयुक्त एम. इ. पी. जेड. कार्यालय, विशेष आर्थिक इकाई तथा एच.इ.ओ.यू. तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, सभी चेन्नई में; बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि., स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि., फाल्टा विशेष आर्थिक अंचल तथा हिन्दुस्तान केबल लि., सभी कोलकाता में; भारतीय दुर्लभ मृदा लि., अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान समिति तथा भारतीय जहाजरानी निगम लि., सभी मुम्बई में; उर्वरक तथा रसायन त्रावणकोर लि., कोची; राष्ट्रीय उर्वरक लि., तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, दोनों नोयडा में; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, फुर्सतगंज वायुक्षेत्र, रायबरेली,

Applied Microwave Electronics Engineering and Research and the Shipping Corporation of India Ltd., all in Mumbai; Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Kochi; National Fertilizers Ltd. and National Institute for Training of Highway Engineers, both in Noida; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Airfield, Rae Bareli; Wildlife Institute of India, Dehradun; Pasteur Institute of India, Coonoor (Nilgiris, Tamil Nadu); Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Central Board for Workers Education, Nagpur; National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials and Sponge Iron India Ltd., both in Hyderabad; National Academy of Sciences India, Allahabad; Mormugao Port Trust, Goa; Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam; Central Silk Board, Bangalore and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून, भारतीय चारागाह संस्थान, कूनूर (नीलगिरि, तमिलनाडु); भारी अभियांत्रिकी निगम लि., रांची; इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे; केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर; राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; अन्तर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र तथा स्पंज आयरन इण्डिया लि., दोनों हैदराबाद में; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद; मोर्मुगाव पत्तन न्यास; गोवा, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापट्टनम; केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर तथा सरदार सरोवर विनिर्माण सलाहकार कमेटी, वदोदरा ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULE FOR RECORDS

A well prepared records retention schedule which prescribes retention periods of various records groups is an important administrative tool in the hands of the administrators for maintaining a reasonable ratio between the records of vital importance and those which are of ephemeral nature. Keeping this in view, Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993, lays down that all records creating agencies should frame a Retention Schedule for Records and get it vetted by the National Archives of India. Further, revision of such retention schedule after every fifth year becomes absolutely essential as new subjects are likely to be included or some old subjects to be excluded due to administrative changes in the organisation and retention period for such records groups have to be determined accordingly.

8.1 In response to our Circular No. 16-12/2003-RM dated 21 February, 2003, 134 Ministries/ Departments etc. and 49 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have responded. A detailed analysis of the replies is given below.

8.2 The following 56 offices have informed that they have compiled retention schedule. These are:- Ministries of Civil Aviation, Defence, Environment and Forests, Home Affairs, Labour, Mines, Non-Conventional Energy Sources, Parliamentary Affairs, Power, Railways (Railway Board), Road Transport and Highways and Shipping; Departments of Agriculture and Cooperation, Commerce, Culture, Economic Affairs, Expenditure, Fertilizers, Industrial Policy and Promotion, Personnel and Training and Secondary and Higher Education; Prime Minister's Office, Planning Commission, Directorates General of Civil Aviation, Central Reserve Police Force, Supplies and Disposal and Foreign Trade and Zonal Council Secretariat, all in New Delhi; Office of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel and BCG Vaccine Laboratory, both in Chennai; Central Statistical Organisation, Central Reference Library and National Atlas and Thematic Mapping Organisation, all in Kolkata; Central Board of Film Certification, Forward Markets Commission and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, all in Mumbai; Department of Space, Office of the Chief Post Master General (Karnataka Circle) and Central Poultry Training Institute, all in Bangalore; Office of the Chief Post Master (Orissa Circle), Bhubaneswar; Sub-Offices of the Directorate of Marketing and Inspection, Bodinayakanur and Guwahati; Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Terminal Ballistics Research Laboratory, both in Chandigarh; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped Jabalpur; Office of the Salt Commissioner Jaipur; Commission of Railway Safety, Lucknow; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Indian Bureau of Mines and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST all in Nagpur; National Film Archive of India, Pune; Port Health Organisation, Mandapam Camp (District Ramanathapuram), Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat) and Airport Health Organisation, Thiruchirapalli Airport, Thiruchirapalli.

अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची का संकलन

अति महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं अस्थाई प्रकृति के अभिलेखों के बीच एक उपयुक्त अनुपात कायम रखने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से निर्मित अभिलेख प्रतिधारण सूची, जिसमें विभिन्न अभिलेख समूहों की प्रतिधारण अवधि बताई जाती है, प्रशासकों के पास एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक हथियार के तौर पर कार्य करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1)(ड.) में यह अनुबंधित है कि सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को अभिलेखों की प्रतिधारण सूची बनानी चाहिए तथा उन्हें उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा पुनरीक्षित करवाना चाहिए। इसके अलावा इस प्रतिधारण सूची में प्रत्येक पांच वर्ष में संशोधन किये जाने की भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उस अवधि के दौरान संगठन में प्रशासनिक बदलावों के कारण नवीन विषयों का समावेश हो सकता है तथा कतिपय पुराने विषय हटा दिये जा सकते हैं। अतएव अभिलेखों की प्रतिधारण के अवधि के निर्धारण में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

8.1 हमारे परिपत्र संख्या 16-12/2003 आर. एम. दिनांक 21 फरवरी 2003 के प्रत्युत्तर में 134 मंत्रालयों/ विभागों आदि तथा 49 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सांविधिक निकायों आदि ने सूचना भेजी, उनके उत्तरों का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है -

8.2 निम्नलिखित 56 कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख प्रतिधारण समय सूची का संकलन कर लिया है। ये हैं — नागर विमानन, रक्षा, पर्यावरण एवं वन, गृह, श्रम, खान, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत संसदीय कार्य, विद्युत, रेलवे (रेलवे बोर्ड), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता, वाणिज्य, संस्कृति, आर्थिक कार्य व्यय, उर्वरक, औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नयन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नागर विमानन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पूर्ति एवं निपटान तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा आंचलिक परिषद सचिवालय, सभी नई दिल्ली में; लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त तथा बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, दोनों चेन्नई में; केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मानचित्रण संगठन, सभी कोलकाता में; केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, अग्रवर्ती बाजार आयोग तथा विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, सभी मुम्बई में; अंतरिक्ष विभाग, मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय (कर्नाटक सर्कल) तथा केन्द्रीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान, सभी बंगलोर में; मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय (उड़ीसा सर्कल), भुवनेश्वर; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय) बोदीनायकनूर तथा गुवाहाटी; उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) तथा सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, दोनों चण्डीगढ़ में; क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर; नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर, रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ; लाल बहादुर शासकीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क आयुक्त कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो तथा अ.जा./ अ.ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, सभी नागपुर में; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम कैम्प (जिला रामनाथपुरम), केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड (जिला सूरत) तथा विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली, विमानपत्तन, तिरुचिरापल्ली।

8.3 The under-mentioned 8 offices have reported that they are following their own Departmental Records Retention Schedules. These are:- Department of Animal Husbandry and Dairying, Supply Division (Department of Commerce) and Central Pension Accounting Office, all in New Delhi; Central Training Institute for Instructors, Chennai; Office of the Chief Post Master General (Haryana Circle), Ambala and (U.P. Circle), Lucknow; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jabalpur and Directorate of Marketing and Inspection, (Sub-Office), Lucknow.

8.4 Ministry of Water Resources, New Delhi has stated that they have not prepared retention schedule so far. However action in this regard has already been initiated.

8.5 Air Headquarters, New Delhi plans to compile retention schedule in consultation with National Archives of India.

8.6 Central Excise Commissionerate, Chandigarh has requested for guidance in compiling Retention Schedule.

8.7 Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Kochi has stated that suitable action will be taken.

8.8 59 Offices have sent 'NIL' reports. These are:- Ministry of Health and Family Welfare, Departments of Agricultural Research and Education and Heavy Industry; President's Secretariat, Secretariat of the Vice-President of India, Offices of the Controller General of Defence Accounts, Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and NDPS Act, 1985, Development Commissioner, Small Scale Industries, Regional Development Commissioner for Iron and Steel, Directorate of Administration (Naval Headquarters), Armed Forces Film and Photo Division, Joint Cipher Bureau, Directorate General of Income Tax (Vigilance), National Institute of Criminology and Forensic Sciences, Regional Passport Office, Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation), Directorate of Public Relations (Ministry of Defence) and Coast Guard Headquarters, all in New Delhi; Office of the Chief Post Master General (Tamil Nadu Circle) and Office of the Commissioner of Central Excise (Chennai-I), both in Chennai; Office of the Commissioner of Income Tax (C) and Development Commissioner for Iron and Steel, both in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise (Mumbai-I), Office of the Custodian of Enemy Property for India, Office of the Post Master General (Foreign Mails), Income Tax Settlement Commission and Advanced Training Institute, all in Mumbai; Office of the Official Liquidator U.P. and Uttaranchal High Court, Allahabad and Nainital and Office of the Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), both in Allahabad; Office of Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Office of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Random Sample Poultry Performance Testing Centre and Regional Vocational Training Institute for Women, all in Bangalore; Office of Regional Labour Commissioner (C), Chandigarh; Office of the Chief Post Master General (Uttaranchal Circle), Dehradun; Offices of the Superintending Engineer (Ministry of Road Transport and Highways), (Chennai Region) Chennai, Kolkata and Gandhinagar; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji (Goa); Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jaipur, Coconut Development Board and Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, both in Kochi; Office of the Commissioner of Income Tax (I), Madurai; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Indian Institute of Tropical Meteorology, Central Water and Power Research Station and Office of Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare)

8.3 नीचे उद्धृत 8 कार्यालयों ने सूचना दी है कि वे अपने विभागीय प्रतिधारण समयसूची का अनुसरण कर रहे हैं। ये हैं — पशु पालन तथा डेयरी विभाग, पूर्ति प्रभाग(वाणिज्य विभाग) तथा केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई, मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय (हरियाणा सर्कल) अम्बाला तथा (यू. पी. सर्कल) लखनऊ, अ. जा. / अ.ज. जा. अनुशिक्षण सह मार्ग दर्शन केन्द्र, जबलपुर तथा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय), लखनऊ।

8.4 जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उन्होंने अभी तक प्रतिधारण समयसूची तैयारी नहीं की है तथापि इस संबंध में कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

8.5 वायुसेना मुख्यालय की राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श करके प्रतिधारण समय सूची के संकलन की योजना है

8.6 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरात, चण्डीगढ़ ने प्रतिधारण समय-सूची के संकलन में मार्गदर्शन का अनुरोध किया है।

8.7 विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय), कोची ने बताया कि उपयुक्त कार्रवाई कर ली जाएगी।

8.8 59 कार्यालयों ने 'शून्य' सूचना दी है। ये हैं - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा तथा भारी उद्योग विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, सक्षम प्राधिकरण, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी(सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय, प्रशासन निदेशालय (नौ सेना मुख्यालय) सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, ज्वाइंट साइफर ब्यूरो, आयकर महानिदेशालय (सतर्कता), राष्ट्रीय अपराध शास्त्र तथा विधि विज्ञान संस्थान, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, प्रधान लेखा कार्यालय (नागर विमानन मंत्रालय) जन संपर्क निदेशालय (रक्षा मंत्रालय) तटरक्षक मुख्यालय, सभी नई दिल्ली में; मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय(तमिलनाडु सर्कल) तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय(चेन्नई-1), दोनों चेन्नई में; आयकर आयुक्त(के) कार्यालय तथा लौह एवं विकास आयुक्त, दोनों कोलकाता में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय(मुम्बई-1), भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, महापोस्टमास्टर कार्यालय(विदेश डाक), आयकर निपटारा आयोग तथा अग्रवर्ती संस्थान, सभी मुम्बई में; शासकीय परिसमापक कार्यालय, उ.प्र. तथा उत्तरांचल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा नैनीताल एवं कल्याण आयुक्त कार्यालय (श्रम कल्याण संगठन), दोनों इलाहाबाद में; क्षेत्रीय कल्याण आयुक्त(केन्द्रीय) कार्यालय अजमेर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद; केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट पालन कार्य निष्पादन परीक्षण केन्द्र तथा क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सभी बंगलोर में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (के), चण्डीगढ़; मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, (उत्तरांचल सर्कल), देहरादून; अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) (चेन्नई क्षेत्र), चेन्नई, कोलकाता तथा गांधीनगर; सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी (गोवा), सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद; अ. जा. / अ.ज. जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, जयपुर, नारियल विकास बोर्ड तथा केन्द्रीय मत्स्य नाविक तथा अभियांत्रिकी प्रशिक्षण केन्द्र, दोनों कोची में; आयकर आयुक्त(स) कार्यालय, मदुरै, इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र मोहाली; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर; प्रकाशपोत तथा प्रकाशस्तंभ महानिदेशालय, नोयडा; मुख्य अभियंता तथा प्रशासक कार्यालय, अण्डमान लक्षद्वीप बन्दरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; भारतीय ऊष्णकटिबन्धीय मौसम विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान स्टेशन तथा वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय(स्वास्थ्य तथा

all in Pune; Port Health Organisation, District Raigad and Marmagao (Goa); Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (District Sambalpur); Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur; Liquid Propulsion Systems Centre and Office of the Chief Post Master General (Kerala Circle), both in Thiruvananthapuram and Office of the Junior Post Master General, Varanasi.

8.9 The following 6 Organisations have reported that this procedure is not applicable to them:- Directorate of Pulses Development, Bhopal; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Office of the Official Liquidator, High Court of Mumbai, Nagpur; Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Nasik Road; Office of the Post Master General (Bihar Circle), Patna and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla.

8.10 Office of the Jute Commissioner, Kolkata has furnished vague reply.

8.11 As regards Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. are concerned, out of 49 organisations who have furnished information in this regard, 12 have informed that they have prepared Retention Schedule for records. These are:- Council of Scientific and Industrial Research and Water Power Consultancy Services (India) Ltd., both in New Delhi; Office of the Development Commissioner, MEPZ, Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., Kolkata; Mazagaon Dock Ltd., and Cotton Corporation of India Ltd., both in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Ltd., Ambalamugal and Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., both in Kochi; Visakhapatnam Dock Labour Board and Hindustan Shipyard Ltd., both in Visakhapatnam; Central Board for Workers Education, Nagpur and National Academy of Sciences India, Allahabad.

8.12 Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Ltd., Mohan (District Almora); National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar; Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore; Mineral Exploration Corporation Ltd, Nagpur and Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad have informed that they are initiating action for compilation of records retention schedule.

8.13 IRCON International Ltd., New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai and Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai have stated that they are following their own procedure.

8.14 The following 3 organisations have intimated that it is not applicable to them:- Rail Tel Corporation of India Ltd., New Delhi; Office of the General Manager Telecom, Bharat Sanchar Nigam, Ltd., Amritsar and Dredging Corporation of India, Visakhapatnam.

8.15 The following undertakings have sent vague reply:- Hindustan Cables Ltd., Kolkata; National Fertilizers Ltd., Noida; National Institute of Unani Medicine and Central Silk Board, both in Bangalore and Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi.

8.16 21 organisations have forwarded 'NIL' reports. These are:- Project Equipment Corporation Ltd., Food Corporation of India, Indian Nursing Council, Indian Institute of Mass Communication and Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology and Indian Institute of Technology Madras, both in Chennai; Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd. and Falta Special Economic Zone, both in Kolkata; Indian Rare Earths Ltd., Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research and Shipping Corporation of India Ltd., all in Mumbai; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials and Sponge Iron India Ltd., both in Hyderabad; Indira Gandhi Rashtriya

परिवार कल्याण मंत्रालय), सभी पुणे में; पत्तन स्वास्थ्य संगठन जिला रायगढ़ तथा मार्मागोवा (गोवा); केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा (संबलपुर), सेना उड़नयोग्यता क्षेत्रीय केन्द्र, सुल्तानपुर, लिक्विड प्रपल्शन केन्द्र तथा मुख्य महापोस्टमास्टर (केरल सर्कल), दोनों तिरुवनन्तपुरम में तथा कनिष्ठ महापोस्टमास्टर, वाराणसी ।

8.9 निम्नलिखित 6 संगठनों ने सूचित किया है कि यह प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होती - दलहन विकास निदेशालय, भोपाल; संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर; शासकीय परिसमापक, कार्यालय, मुम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय) नासिक रोड, महापोस्टमास्टर कार्यालय (बिहार सर्कल) पटना तथा क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), शिमला ।

8.10 पटसन आयुक्त कार्यालय, कोलकाता ने अस्पष्ट उत्तर प्रेषित किया है ।

8.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सांविधिक निकाय के 49 संगठन, जिन्होंने इस संबंध में सूचना भेजी है, में से 12 ने सूचना दी है कि अभिलेख प्रतिधारण समयसूची तैयार की जा चुकी है । ये हैं - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा जल विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लि., दोनों नई दिल्ली में; विकास आयुक्त कार्यालय एम. ई. पी. जेड., विशेष आर्थिक अंचल तथा एच ई ओ यू तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह, चेन्नई; बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि., कोलकाता; मझगांव डॉक लि. तथा भारतीय कपास निगम लि., दोनों मुम्बई में; हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन केमिकल लि., अंबाला मुगल तथा उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लि., दोनों कोची में; विशाखापट्टनम डॉक लेबर बोर्ड तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., दोनों विशाखापट्टनम में, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर तथा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद ।

8.12 भारतीय औषध फार्मास्यूटिकल्स निगम लि., मोहन (जिला अल्मोडा); राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; जवाहरलाल नेहरू अग्रवर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर; खनिज उत्खनन निगम लि., नागपुर तथा भारत डायनेमिक्स लि., हैदराबाद ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख प्रतिधारण समय सूची के संकलन का कार्य शुरू कर दिया है ।

8.13 इस्कान इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली, चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि., मुम्बई ने बताया कि वे अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं ।

8.14 निम्नलिखित 3 संगठनों ने सूचित किया कि यह उन पर लागू नहीं होता है । भारतीय रेल टेल निगम लि., नई दिल्ली, दूरसंचार महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि., अमृतसर तथा भारतीय ट्रेजिंग निगम, विशाखापट्टनम ।

8.15 निम्नलिखित निकायों ने अस्पष्ट सूचना दी है - हिन्दुस्तान केबल्स लि., कोलकाता; राष्ट्रीय उर्वरक लि., नोयडा राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड, दोनों बंगलोर में तथा भारी अभियांत्रिकी निगम लि., रांची ।

8.16 21 संगठनों ने 'शून्य' सूचना दी है । ये हैं -- परियोजना सामग्री निगम लि., भारतीय खाद्य निगम, भारतीय नर्सिंग परिषद भारतीय जन संचार संस्थान तथा भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम लि., सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास दोनों चेन्नई में; स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि. तथा फाल्टा विशेष आर्थिक अंचल, दोनों कोलकाता में; भारतीय दुर्लभ मृदा लि., अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी

Uran Akademi, Fursatganj Airfield, Rae Bareli; Wildlife Institute of India, Dehradun; Pasteur Institute of India, Coonoor (Nilgiris, Tamil Nadu); Mormugao Port Trust, Goa; National Institute for Training of Highway Engineers, Noida; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara and Centre for Materials and Electronics Technology, Pune.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान समिति एवं भारतीय जहाजरानी निगम लि., सभी मुम्बई में; अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र तथा स्पंज आयरन इण्डिया लि., दोनों हैदराबाद में; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, फुर्सतगंज देहरादून; रायबरेली, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, भारतीय चारागाह संस्थान, कूनूर (नीलगिरी तमिलनाडु), मोरमूगाव पत्तन न्यास, गोवा; राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, नोयडा; सरदार सरोवर विनिर्माण सलाहकार कमेटी, वदोदरा तथा इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS

Each Ministries/ Departments/ Offices do create certain classified records to ensure secrecy in its transactions of sensitive nature. However, as the sensitivity of the matter is subject to change with time, all such classified records are to be periodically reviewed. Thus, declassification of classified records becomes one of the important aspects of records management. The Section 6 (1) (f) of the Public Records Act, 1993 to be read with Rule 7 of Public Records Rules, 1997 makes it mandatory for all records creating agencies falling under its purview to initiate action to de-classify their classified records. In order to implement these provisions, a Circular letter No. 16-12/2003-RM dated 21 February, 2003 was issued to all the records creating agencies. Replies received in this regard are not encouraging as only 134 Ministries/ Departments/ Offices and 49 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. responded. A detailed analysis of the information received is given below.

9.1 The offices who are de-classifying their records are:- Ministries of Civil Aviation, Defence, Home Affairs, Labour and Water Resources; Departments of Agriculture and Cooperation, Expenditure, Economic Affairs, Personal and Training and Culture; Commerce (Supply Division), Prime Minister's Office, Planning Commission, Air Headquarters and Coast Guard Headquarters, all in New Delhi; Offices of the Chief Post Master General, Chennai, Bhubaneswar, Bangalore and Patna; Development Commissioner for Iron and Steel and National Atlas and Thematic Mapping Organisation, both in Kolkata; Forward Markets Commission, Mumbai; Department of Space, Bangalore; Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Guwahati; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Commissioner of Railways Safety, Lucknow; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji (Goa); Airport Health Organisation, Thiruchirappalli; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie and Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair.

9.2 Nine offices have sent vague information. Directorate General of Foreign Trade, New Delhi will furnish information in due course. Armed Forces Film and Photo Division and Joint Cipher Bureau, both in New Delhi, have stated that they have Classified Films with them. Directorate of Administration (Naval Headquarters), New Delhi has kept their papers in their Records Room. Ministry of Environment and Forest and Department of Secondary and Higher Education, New Delhi have issued instructions to its sections to declassify records whereas Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi has recently started declassifying its records. Office of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel, New Delhi has informed that it is a small office having no classified records. Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi, will furnish information after their officers undergo training in this regard.

9.3 The following organisations have forwarded 'NIL' information:- Ministries of Mines, Parliamentary Affairs, Power, Non-Conventional Energy Sources, Railways (Railway Board) Road Transport and Highways, Shipping and Health and Family

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण

प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय में संवेदनशील प्रकृति के कार्य की गोपनीयता बरतने के लिए कतिपय वर्गीकृत अभिलेखों का निर्माण होता है। पर चूंकि किसी भी मुद्दे की संवेदनशीलता वक्त के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है, अतः इस प्रकार के समस्त अभिलेखों की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए। यही वजह है कि वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1997 की धारा 6 (1)(च) के अनुसार उसकी परिधि में आने वाली समस्त अभिलेख सर्जक एजेंसियों के लिए यह अभिदेशात्मक है कि वे अपने वर्गीकृत अभिलेखों को विवर्गीकृत करने की प्रक्रिया आरंभ करें। इन प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 21 फरवरी, 2003 को सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को एक परिपत्र, संख्या 16-12/2003-आर. एम जारी किया गया। इस संबंध में प्राप्त उत्तर उत्साहवर्धक नहीं रहे। सिर्फ 134 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 49 उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि ने प्रत्युत्तर भेजा। प्राप्त सूचना के विश्लेषण का ब्योरा आगे दिया गया है -

9.1 वे कार्यालय, जो अपने अभिलेखों का विवर्गीकरण कर रहे हैं, इस प्रकार हैं -- नागर विमानन, रक्षा, गृह, श्रम तथा जल संसाधन मंत्रालय; कृषि एवं सहकारिता, व्यय, आर्थिक कार्य, कार्मिक एवं प्रशिक्षण तथा संस्कृति विभाग, वाणिज्य(पूर्ति विभाग); प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, वायुसेना मुख्यालय तथा तटरक्षक मुख्यालय, सभी नई दिल्ली में; मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, चेन्नई, भुवनेश्वर, बंगलोर तथा पटना; लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त तथा राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मानचित्रण संगठन, दोनों कोलकाता में; अग्रवर्ती बाजार आयोग, मुम्बई; अंतरिक्ष विभाग, बंगलोर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय(उप कार्यालय), गुवाहाटी; दलहन विकास निदेशालय, भोपाल; रेलवे सुरक्षा आयुक्त, लखनऊ; सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी (गोवा); विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर; विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर; भारतीय राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी तथा मुख्य अभियंता तथा प्रशासक, अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर।

9.2 9 कार्यालयों ने अस्पष्ट सूचना प्रेषित की है -- विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली समय आने पर सूचना प्रेषित कर देगे, सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग तथा ज्वाइंट साइफर ब्यूरो, दोनों नई दिल्ली में, ने सूचित किया है कि उनके पास वर्गीकृत फिल्में मौजूद हैं, प्रशासन निदेशालय(नौ सेना मुख्यालय) ने अपने अभिलेखों को अभिलेख कक्ष में रखा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली ने अपने अनुभागों को अभिलेखों को विवर्गीकृत करने के निर्देश जारी कर दिए हैं जबकि, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय, नई दिल्ली ने अपने अभिलेखों का विवर्गीकरण अभी शुरू किया है। लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय ने सूचित किया कि उनका एक छोटा कार्यालय है और उनके पास वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं। केन्द्रीय मत्स्य नाविक तथा अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, कोची अपने अधिकारियों के प्रशिक्षण के पश्चात् इस संबंध में सूचना भेजेगा।

9.3 निम्नलिखित संगठनों ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की है - खान, संसदीय कार्य, विद्युत, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, रेल(रेलवे बोर्ड), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी तथा स्वास्थ्य एवं

Welfare; Departments of Agricultural Research and Education, Animal Husbandry and Dairying, Fertilizers, Industrial Policy and Promotions, Commerce and Heavy Industry; President's Secretariat, Secretariat of Vice President of India, Directorates General Civil Aviation and Supplies and Disposals; Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation), Controller General of Defence Accounts, Directorate of Public Relations (Ministry of Defence), Regional Passport Office, Office of the Competent Authority Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and NDPS Act, 1985; Central Pension Accounting Office, Office of Directorate General of Income Tax (Vigilance); Zonal Council Secretariat, National Institute of Criminology and Forensic Sciences and Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, all in New Delhi; Office of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel, B.C.G. Vaccine Laboratory and Central Training Institute for Instructors, all in Chennai; Offices of the Superintending Engineer (Ministry of Road Transport and Highways), Chennai, Kolkata and Gandhinagar; Central Statistical Organisation, Offices of the Jute Commissioner, Commissioner of Income Tax (C) and Central Reference Library, all in Kolkata; Offices of the Custodian of Enemy Property for India, Post Master General (Foreign Mails), Income Tax Settlement Commission; Central Board of Film Certification, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Advanced Training Institute, all in Mumbai; Central Water and Power Research Station, National Film Archive of India and Office of the Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare), Indian Institute of Tropical Meteorology, all in Pune; Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Central Poultry Training Institute and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, all in Bangalore; Liquid Propulsion Systems Centre, Thiruvananthapuram; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; Office of the Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), Allahabad; Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST Jaipur, Nagpur and Jabalpur; Offices of the Regional Labour Commissioner (C) Ajmer and Chandigarh; Regional Directorate of Apprenticeship Training and Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, both in Hyderabad; Offices of the Port Health Organisation, Mandapam Camp (District Ramanathapuram), Marmagao (Goa) and Raigad; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Regional Office of (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla; Offices of the Official Liquidator, U.P and Uttaranchal High Court, Allahabad and Nainital, Allahabad and High Court of Mumbai, Nagpur; Offices of the Commissioner of Central Excise, Chennai, Mumbai and Aurangabad; Central Excise and Customs, Nagpur Central Excise Commissionerate and Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forest) and Terminal Ballistic Research Laboratory, all in Chandigarh; Commissioner of Income Tax (I), Madurai; Salt Commissioner, Jaipur; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Offices of the Chief Post Master General, Ambala, Lucknow, Thiruvananthapuram and Dehradun; Junior Post Master General, Varanasi; Coconut Development Board, Kochi; Sub-Offices of the Directorate of Marketing and Inspection, Kochi, Bodinayakanur, Nasik Road and Lucknow; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat) and Chiplima (District Sambalpur) and Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur.

9.4 The analysis of information received from 49 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. in this regard is as follows. In all 8 organisations have intimated that they are doing the de-classification of files; 2 have informed that the work is in process; 3 have forwarded vague reply; 2 have replied that they are following their own system and 6 have reported that it is not applicable to them whereas 'NIL' information has been forwarded by 28 organisations.

परिवार कल्याण मंत्रालय; कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, पशुपालन तथा डेयरी, उर्वरक, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, वाणिज्य एवं भारी उद्योग विभाग; राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नागर विमानन तथा पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, प्रधान लेखा कार्यालय(नागर विमानन मंत्रालय) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, सक्षम प्राधिकरण, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी(सम्पत्ति समपहरण), अधिनियम, 1976 तथा एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 कार्यालय, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, आयकर महानिदेशालय(सतर्कता) कार्यालय, आंचलिक परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान तथा विकास आयुक्त कार्यालय, लघु उद्योग, सभी नई दिल्ली में; लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बी. सी. जी. टीका प्रयोगशाला, केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, सभी चेन्नई में; अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) चेन्नई, कोलकाता तथा गांधीनगर; केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, पटसन आयुक्त कार्यालय, आयकर आयुक्त(के) कार्यालय तथा केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, सभी कोलकाता में; भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, महापोस्टमास्टर (विदेश डाक) आयकर निपटारा आयोग, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, सभी मुम्बई में; केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार तथा वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, सभी पुणे में; यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट पालन कार्य निष्पादन परीक्षण केन्द्र, केन्द्रीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, सभी बंगलोर में; लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम्स सेंटर, तिरुवनन्तपुरम; प्रकाशपोत एवं प्रकाशस्तंभ महानिदेशालय, नोयडा; कल्याण आयुक्त कार्यालय(श्रम कल्याण संगठन), इलाहाबाद; अ. जा./अ.ज. जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, जयपुर, नागपुर, तथा जबलपुर; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(के) अजमेर तथा चण्डीगढ़; क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय तथा सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, दोनों हैदराबाद में; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम कैम्प (जिला रामनाथपुरम), मार्मागोवा(गोवा) तथा रायगढ़; संयुक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर; क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) शिमला; शासकीय परिसमापक, उ.प्र. तथा उत्तरांचल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा नैनीताल, इलाहाबाद तथा उच्च न्यायालय, मुम्बई, नागपुर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, चेन्नई, मुम्बई तथा औरंगाबाद; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क, नागपुर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरात तथा उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) तथा सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, सभी चण्डीगढ़ में; आयकर आयुक्त (स), मदुरै; नमक आयुक्त, जयपुर; इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, मोहाली; मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, अम्बाला, लखनऊ, तिरुवनन्तपुरम तथा देहरादून; कनिष्ठ महापोस्टमास्टर, वाराणसी; नारियल विकास बोर्ड, कोची; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय) कोची, बोदीनायकनूर, नासिक रोड, लखनऊ; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड(जिला सूरत) तथा चिपलीमा (जिला संबलपुर) तथा क्षेत्रीय सेना उड़नयोग्यता केन्द्र, सुल्तानपुर।

9.4 इस संबंध में 49 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों से प्राप्त सूचना का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है- 8 संगठनों ने सूचित किया कि वे अपनी फाइलों का विवर्गीकरण कर रहे हैं, 2 ने सूचना दी कि कार्य प्रगति पर है, 3 ने अस्पष्ट उत्तर प्रेषित किया है, 2 ने बताया कि वे अपनी पद्धति अपना रहे हैं तथा 6 ने बताया कि यह उन पर लागू नहीं होता जबकि 28 संगठनों ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की।

9.5 निम्नलिखित 8 संगठनों ने बताया कि उनके पास वर्गीकृत अभिलेख हैं तथा वे विविर्गीकरण का कार्य कर रहे हैं- भारतीय जन संचार संस्थान, भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम लि.,

9.5 The following 8 Organisations have informed that they are having classified records and doing the job of de-classification:- Indian Institute of Mass Communication, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., and Water Power Consultancy Services (India), Ltd., all in New Delhi; Office of the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry; Andaman and Nicobar Island Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. and Falta Special Economic Zone, both in Kolkata; Mazagaon Dock Ltd., Mumbai and Mormugao Port Trust, Goa.

9.6 The other category of organisations, who feel that it is not applicable to them, are:- IRCON International Ltd and Rail Tel Corporation of India Ltd., both in New Delhi; Cotton Corporation of India Ltd., Mumbai; Dredging Corporation of India, Visakhapatnam; Office of the General Manager Telecom, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Amritsar and Hindustan Organic Chemicals Ltd., Ambalamugal (Kochi).

9.7 Chennai Port Trust, Chennai and Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai have informed that they are following their own system.

9.8 Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad and Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi have informed that the work is in process.

9.9 National Institute of Unani Medicine and Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, both in Bangalore and Sponge Iron India Ltd., Hyderabad have furnished vague reply.

9.10 The following 28 organisations have forwarded 'NIL' reports:- Project Equipment Corporation Ltd., Food Corporation of India, Indian Nursing Council and Council of Scientific and Industrial Research, all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology and Indian Institute of Technology Madras, both in Chennai; Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd. and Hindustan Cables Ltd., both in Kolkata; Indian Rare Earths Ltd., Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research and Shipping Corporation of India Ltd., all in Mumbai; Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Kochi; Central Silk Board, Bangalore; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd., both in Nagpur; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad; Hindustan Shipyard Ltd. and Visakhapatnam Dock Labour Board, both in Visakhapatnam; National Fertilizers Ltd. and National Institute for Training of Highway Engineers, both in Noida; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Air Field, Rae Bareli; Wildlife Institute of India, Dehradun; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar; The National Academy of Sciences India, Allahabad; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara; Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd., Mohan, (District Almora) and Pasteur Institute of India, Coonoor (Nilgiris, Tamil Nadu).

तथा जल विद्युत परामर्शी सेवाएं(भारत)लि., सभी नई दिल्ली में; विकास आयुक्त कार्यालय, एम. ई. पी. जेड. विशेष आर्थिक अंचल तथा एच. ई. ओ. यू. तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चेन्नई; बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि., फाल्ता विशेष आर्थिक अंचल, दोनों कोलकाता में; मझगांव डॉक लि., मुम्बई तथा मोर्मुगाव पत्तन न्यास, गोवा ।

9.6 संगठनों की एक अन्य श्रेणी है जो यह महसूस करती है कि यह उन पर लागू नहीं होता है, निम्न हैं- इस्कॉन इंटरनेशनल लि. तथा भारतीय रेल टेल निगम लि., दोनों नई दिल्ली में; भारतीय कपास निगम लि., मुम्बई; भारतीय ड्रेजिंग निगम, विशाखापट्टनम; महाप्रबन्धक दूरसंचार, भारत संचार निगम लि., अमृतसर तथा हिन्दुस्तान अकार्बनिक रसायन लि., अबंलामुगल (कोची) ।

9.7 चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि. मुम्बई ने सूचित किया है कि वे अपनी पद्धति अपना रहे हैं ।

9.8 भारत डायनेमिक्स लि., हैदराबाद तथा भारी अभियांत्रिकी निगम लि. रांची ने सूचित किया कि कार्य प्रगति पर है ।

9.9 राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान तथा जवाहरलाल नेहरू अग्रवर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, दोनों बंगलोर में, तथा स्पंज आयरन इण्डिया लि. हैदराबाद ने अस्पष्ट उत्तर दिया है ।

9.10 निम्नलिखित 28 संगठनों ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की -- परियोजना सामग्री निगम लि., भारतीय खाद्य निगम, भारतीय नर्सिंग परिषद तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, दोनों चेन्नई में; स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि. तथा हिन्दुस्तान केबल्स लि., दोनों कोलकाता में; भारतीय दुर्लभ मृदा लि., अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान तथा भारतीय जहाजरानी निगम लि., सभी मुम्बई में; उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लि., कोची; केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर; केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा खनिज उत्खनन निगम लि., दोनों नागपुर में; अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. तथा विशाखापट्टनम डाक श्रमिक बोर्ड दोनों, विशाखापट्टनम में; राष्ट्रीय उर्वरक लि. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, दोनों नोयडा में; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, फुरसतगंज वायु क्षेत्र, रायबरेली; भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून; इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे; राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद; सरदार सरोवर विनिर्माण सलहाकार कमेटी, वदोदरा; भारतीय औषध निगम लि0, मोहन (जिला अल्मोड़ा) तथा भारतीय चारागाह संस्थान, कूनूर (नीलगिरि, तमिलनाडु) ।

DEFUNCT COMMISSIONS/ COMMITTEES

In pursuance of Section 3(2) (n) to be read with Section 6(1) (l) of Public Records Act, 1993, National Archives of India continued its efforts to gather information on the records created by various defunct Commissions/ Committees set up by the Government of India from time to time. Needless to say that the importance of these records lies in the course of writing history, specially on areas pertaining to financial, judicial, Administration of Government of India (including Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings etc.).

10.1 In response to a Circular letter 16-7/2002 dated 24 June, 2002 issued to all Ministries/ Departments of the Government of India, the following organisations have furnished information:- Ministry of Defence and Department of Expenditure have sent positive information. Ministry of Defence has records of two defunct bodies, viz. Expert Classification Committee and Special Surplus Disposal Committee in its custody whereas Department of Expenditure has the records of Expenditure Reforms Commission in its Records Room. Ministry of Home Affairs, New Delhi has issued instructions to all its sections in this regard. Department of Chemicals has sent information with regard to its 24 Commissions/ Committees. Department of Post has informed that it has in its custody the records of the two defunct committees, viz. Expert Committee on Excellence in Postal Service and Justice Talwar Committee on Postal Extra-Departmental System.

10.2 In response to another Circular letter No. 16-12/2003-RM dated 21 February, 2003, 134 Ministries/ Departments and 49 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have furnished information. The following 125 Organisations have furnished 'NIL' reports:- Ministries of Environment and Forests, Road Transport and Highways, Water Resources, Health and Family Welfare, Shipping, Labour, Parliamentary Affairs, Non-Conventional Energy Sources, Civil Aviation, Mines, Railways (Railway Board) and Power; Departments of Secondary and Higher Education, Fertilizers, Culture, Heavy Industry, Personnel and Training, Economic Affairs, Animal Husbandry and Dairying, Agricultural Research and Education, Agriculture and Cooperation, Commerce, Industrial Policy and Promotion; Supply Division (Department of Commerce), President's Secretariat, Secretariat of Vice President of India, Prime Minister's Office, Planning Commission, Directorates General of Civil Aviation, Supply and Disposals, Foreign Trade, Central Reserve Police Force and Income Tax (Vigilance); Armed Forces Film and Photo Division, Directorate of Public Relations (Ministry of Defence), Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation), Air Headquarters, Joint Cipher Bureau, Office of the Controller General of Defence Accounts, Regional Passport Office, Central Pension Accounting Office, Office of the Competent Authority Smugglers and Foreign Exchange Manipulator (Forfeiture of Property) Act, 1976 and NDPS Act, 1985, Coast Guard Headquarters, Zonal Council Secretariat, National Institute of Criminology and Forensic Sciences and Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, all in New Delhi; Offices of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel, New Delhi and Chennai; BCG Vaccine Laboratory and Central Training Institute for Instructors, both in Chennai; Offices of the Chief Post Master General (Tamil Nadu Circle) Chennai, (Orissa Circle) Bhubaneswar, (Haryana Circle) Ambala, (U.P. Circle) Lucknow, (Kerala Circle) Thiruvananthapuram, (Karnataka Circle) Bangalore,

निष्क्रिय आयोग/ समितियां

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ढ) के साथ पठित धारा (6)(ठ) के अनुपालन में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित और अब निष्क्रिय हो चुके आयोगों/ समितियों द्वारा सृजित अभिलेखों के संबंध में सूचना एकत्रित करने का अपना प्रयास जारी रखा। यहाँ यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं कि इन अभिलेखों का महत्व भारत सरकार (मंत्रालय/ विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि) के विशेषकर वित्तीय, न्यायिक, प्रशासनिक क्षेत्र का इतिहास तैयार करने में बहुत अधिक होता है।

10.1 दिनांक 24 जून, 2002 को जारी परिपत्र संख्या 16-7/2002 के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित संगठनों ने सूचना का प्रेषण किया -- रक्षा मंत्रालय तथा व्यय विभाग ने सकारात्मक सूचना भेजी। रक्षा मंत्रालय के पास दो निष्क्रिय निकायों, यथा- विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति तथा विशेष अधिशेष निपटान समिति के अभिलेख हैं, जबकि व्यय विभाग के अभिलेख कक्ष में व्यय सुधार आयोग के अभिलेख मौजूद हैं। गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने इस संबंध में अपने सभी अनुभागों को निर्देश जारी किये हैं। रसायन विभाग ने अपने 24 आयोगों/समितियों के संबंध में सूचना भेजी है। डाक विभाग ने सूचित किया है कि उनके पास दो निष्क्रिय निकायों, यथा- डाक सेवा में उत्कृष्टता के लिये विशेषज्ञ समिति तथा डाक विभागेतर प्रणाली पर न्यायमूर्ति तलवार समिति के अभिलेख मौजूद हैं।

10.2 एक अन्य परिपत्र संख्या 16-12/2003 आर. एम. दिनांक 21 फरवरी, 2003 के प्रत्युत्तर में 134 मंत्रालयों/विभागों तथा 49 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचना प्रेषित की। निम्नलिखित 125 संगठनों ने सूचना प्रेषित की -- पर्यावरण एवं वन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जल संसाधन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जहाजरानी, श्रम, संसदीय कार्य, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, नागर विमानन, खान, रेल (रेलवे बोर्ड) तथा विद्युत मंत्रालय; माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, उर्वरक, संस्कृति, भारी उद्योग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, आर्थिक कार्य, पशुपालन तथा डेयरी, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, कृषि एवं सहकारिता, वाणिज्य, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन विभाग; पूर्ति प्रभाग, (वाणिज्य विभाग), राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नागर विमानन, पूर्ति एवं निपटान, विदेश व्यापार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा आयकर (सतर्कता) महानिदेशालय, सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, जन सम्पर्क निदेशालय (रक्षा मंत्रालय), प्रधान लेखा कार्यालय (नागर विमानन मंत्रालय), वायु सेना मुख्यालय, ज्वाइंट साईफर ब्यूरो, रक्षा लेखा महानियंत्रक, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, सक्षम प्राधिकरण, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पति समपहरण) अधिनियम 1976 तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 कार्यालय, तटरक्षक मुख्यालय, आंचलिक परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान तथा विकास आयुक्त कार्यालय लघु उद्योग, सभी नई दिल्ली में; लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नई दिल्ली तथा चेन्नई; बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला तथा केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, दोनों चेन्नई में; मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, (तमिलनाडु सर्किल) चेन्नई, (उड़ीसा सर्किल) भुवनेश्वर, (हरियाणा सर्किल) अम्बाला, (यूपी. सर्किल) लखनऊ, (केरल सर्किल) तिरुवनंतपुरम (कर्नाटक सर्किल) बंगलोर, (उत्तरांचल सर्किल) देहरादून तथा (बिहार सर्किल) पटना; पोस्टमास्टर कार्यालय (विदेश डाक), मुम्बई तथा कनिष्ठ

(Uttaranchal Circle), Dehradun and (Bihar Circle) Patna; Offices of the Post Master (Foreign Mail), Mumbai and Junior Post Master General, Varanasi; Offices of the Commissioner of Income Tax, Kolkata and Madurai; Central Reference Library, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Central Statistical Organisation, Development Commissioner for Iron and Steel, Jute Commissioner all in Kolkata; Offices of the Superintending Engineer (Ministry of Road Transport and Highways) (Chennai Region) Chennai, (Civil) Kolkata and Gandhinagar; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Forwards Markets Commission Income Tax Settlement Commission, Advanced Training Institute and Central Board of Film Certification, all in Mumbai; Offices of the Commissioner of Central Excise, Chennai, Mumbai; Aurangabad; Central Excise and Customs, Panaji (Goa) and Nagpur; Department of Space, Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Central Poultry Training Institute and Regional Vocational Training Institute for Women, all in Bangalore; Offices of the Regional Labour Commissioner, Ajmer and Chandigarh; Coconut Development Board and Central Institute of Fisheries Nautical Engineering Training, both in Kochi; Sub-Offices of the Directorate of Marketing and Inspection, Kochi, Bodinayakanur, Nasik Road, Lucknow and Guwahati; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat) and Chiplima (District Sambalpur); Directorate of Pulses Development, Bhopal; Commissioner of Railway Safety, Lucknow; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur; Terminal Ballistics Research Laboratory, Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forest) and Central Excise Commissionerate, all in Chandigarh; Offices of the Salt Commissioner, Jaipur; Official Liquidator, U.P. and Uttaranchal High Court Allahabad and Nainital, Allahabad and High Court of Mumbai, Nagpur; Port Health Organisations, Mandapam Camp (District Ramanathapuram), Marmagao (Goa) and Raigad; Airport Health Organisation, Thiruchirapalli; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla; Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Office of the Senior Regional Director, (Ministry of Health and Family Welfare), National Film Archive of India and Indian Institute of Tropical Meteorology, Central Water Power Research Station, all in Pune; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy and Regional Directorate of Apprenticeship Training, both in Hyderabad; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Director General of Lighthouses and Lightships, Noida; Liquid Propulsion Systems Centre, Thiruvananthapuram; Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST, Jabalpur, Nagpur and Jaipur; Vocational Rehabilitation Centres for Handicapped, Jabalpur and Mumbai and Office of the Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), Allahabad.

10.3 In all 49 Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations etc. responded in this regard, out of which 40 have furnished 'NIL' information; one has sent vague reply, one has informed that it is following its own procedure whereas 7 organisations have intimated that it is not applicable to them. The analysis of the information is detailed here under:-

10.4 The following 40 organisations have furnished 'NIL' information:- Project Equipment Corporation Ltd., Food Corporation of India, Indian Nursing Council, Indian Institute of Mass Communication, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., Council of Scientific and Industrial Research and Water Power Consultancy Services (India) Ltd, all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Office of the Development Commissioner, MEPZ, Special Economic Zone

महापोस्टमास्टर, वाराणसी; आयकर आयुक्त, कोलकाता तथा मदुरै; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मानचित्रण संगठन, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त पटसन आयुक्त, सभी कोलकाता में; अधीक्षण अभियन्ता (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) (चेन्नई क्षेत्र), चेन्नई, (सिविल) कोलकाता तथा गांधीनगर; भारतीय शुत्र सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, अग्रवर्ती बाजार आयोग, आयकर निपटारा आयोग, अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सभी मुम्बई में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त आयुक्त कार्यालय, चेन्नई, मुम्बई, औरंगाबाद; केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी (गोवा) तथा नागपुर; अंतरिक्ष विभाग, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट पालन कार्य निष्पादन व शिक्षण संस्थान, केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, केन्द्रीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान तथा क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सभी बंगलोर में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय, अजमेर तथा चण्डीगढ़; नारियल विकास बोर्ड, तथा केन्द्रीय मत्स्य नाविक अभियांत्रिकी प्रशिक्षक, दोनों कोची में; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय) बोदीनायकनूर, नासिक रोड, लखनऊ तथा गुवाहाटी; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म धामरोड (जिला सूरत), चिपलीमा (जिला संबलपुर); दलहन विकास निदेशालय, भोपाल; रेलवे सुरक्षा आयुक्त, लखनऊ; इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, मोहाली; क्षेत्रीय सेना उड़न योग्यता केन्द्र, सुल्तानपुर; सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरात, सभी चण्डीगढ़ में; नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर; शासकीय परिसमापक कार्यालय, उ.प्र. तथा उत्तरांचल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं नैनीताल, इलाहाबाद तथा मुम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम कैम्प (जिला रामनाथपुरम) मार्मागोवा (गोवा) तथा रायगढ़; विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली; क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), शिमला; संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर; वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार तथा भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान स्टेशन, सभी पुणे में; सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण संस्थान, दोनों हैदराबाद में; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; मुख्य अभियंता तथा प्रशासक, अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत महानिदेशक, नोयडा; लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम्स सेंटर, तिरुवनन्तपुरम; अ.जा./ अ.ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, जबलपुर; नागपुर तथा जयपुर; विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर एवं मुम्बई तथा कल्याण आयुक्त कार्यालय (श्रम कल्याण संगठन) इलाहाबाद।

10.3 इस संबंध में 49 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/समितियों/निगमों आदि ने उत्तर दिया। उनमें से 40 ने रूखून्य- सूचना दी, 1 ने अस्पष्ट उत्तर दिया, एक ने सूचित किया कि वे अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं, जबकि 7 संगठनों में सूचित किया कि यह उन पर लागू नहीं होता। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है --

10.4 निम्नलिखित 40 संगठनों ने रूखून्य- सूचना प्रेषित की - परियोजना सामग्री निगम लि., भारतीय खाद्य निगम, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय जन संचार संस्थान, भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम लि., वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान तथा जल विद्युत परामर्शी सेवाएँ, (भारत) लि., सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, विकास आयुक्त कार्यालय, एम. ई. पी. जेड., विशेष आर्थिक अंचल तथा एच. ई. ओ. यू., तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चेन्नई तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, सभी चेन्नई में; बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स लि., स्मिथ स्टैनिसट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.,

and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island Chennai and Indian Institute of Technology Madras, all in Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd., Falta Special Economic Zone and Hindustan Cables Ltd., all in Kolkata; Indian Rare Earths Ltd., Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Hindustan Petroleum Corporation Ltd. and Shipping Corporation of India Ltd., all in Mumbai; Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Kochi; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Air Field, Rae Bareilly; Bharat Dynamics Ltd., International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials and Sponge Iron India Ltd., all in Hyderabad; Wildlife Institute of India, Dehradun; Pasteur Institute of India, Coonoor (Nilgiris, Tamil Nadu); Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd., Mohan (District Almora); Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd., both in Nagpur; National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar; Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research and Central Silk Board, both in Bangalore; National Academy of Sciences India, Allahabad; Mormugao Port Trust, Goa; Dredging Corporation of India, Visakhapatnam Dock Labour Board and Hindustan Shipyard Ltd., all in Visakhapatnam; National Institute for Training of Highway Engineers, Noida and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

10.5 National Institute of Unani Medicine, Bangalore has sent vague reply.

10.6 Chennai Port Trust has informed that it is following its own system.

10.7 Seven organisations have informed that it is not applicable to them. These are:- IRCON, International Ltd and Rail Tel Corporation of India Ltd., both in New Delhi; Mazagaon Dock Ltd. and Cotton Corporation of India Ltd., both in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Ltd., Ambalamugal (Kochi); National Fertilizers Ltd., Noida and Office of the General Manager Telecom, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Amritsar.

फाल्टा विशेष आर्थिक अंचल तथा हिन्दुस्तान केबल्स लि., सभी कोलकाता में; भारतीय दुर्लभ मृदा लि., अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग इलैक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान समिति, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., तथा भारतीय जहाजरानी निगम लि., सभी मुम्बई में; रसायन एवं उर्वरक त्रावणकोर लि., कोच्ची; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, फुरसतगंज वायु क्षेत्र, रायबरेली; भारत डायनेमिक्स लि., अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र तथा स्पंज आयरन इण्डिया लि., सभी हैदराबाद में; भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून; भारतीय चारागाह संस्थान, कूनूर (नीलगिरि, तमिलनाडु); इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लि., मोहन (जिला अल्मोड़ा); भारी अभियांत्रिकी निगम लि., रांची; इलैक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे; उत्खनन निगम लि., केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, तथा खनिज उत्खनन निगम लि., दोनों नागपुर में; राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; जवाहरलाल नेहरू अग्रवती वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड, दोनों बंगलोर में; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद; मोरुगाव पत्तन न्यास, गोवा; भारतीय ट्रेडिंग निगम, विशाखापट्टनम; डॉक श्रम बोर्ड तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., सभी विशाखापट्टनम में; राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, नोयडा तथा सरदार सरोवर विनिर्माण सलाहकार कमेटी, वदोदरा ।

10.5 राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलोर ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है ।

10.6 चेन्नई पत्तन न्यास ने सूचित किया है कि वे अपनी पद्धति अपना रहे हैं ।

10.7 सात संगठनों ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता । ये हैं - इस्कॉन इंटरनेशनल लि., भारतीय रेल टेल निगम लि., दोनों नई दिल्ली में; मझगांव डॉक लि. तथा भारतीय कपास निगम लि., दोनों मुम्बई में; हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन लि., अंबालमुगल (कोची); राष्ट्रीय उर्वरक लि., नोयडा तथा महाप्रबंधक, दूरसंचार, भारत संचार निगम लि., अमृतसर ।

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Appraisal of non-current records of the Ministries/ Departments/ Offices in collaboration with the National Archives of India, is a statutory requirement stipulated under Section 6(1) (c) of the Public Records Act, 1993. The process helps in saving precious shelf space by weeding out records of ephemeral nature while ensuring the safe up-keep and preservation of records of enduring value. Keeping this in view the National Archives of India has been making its diligent efforts to guide and advise the records creating agencies on this aspect and accordingly a Circular letter No. 16-12/2003-RM dated 21 February, 2003 was issued to all records creating agencies seeking information on this subject. The information thus received helped the National Archives of India in chalking out its programme for undertaking appraisal of these records.

11.1 In response to the above-said Circular, 134 Ministries/ Departments etc. and 49 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have furnished information. Out of these 27 offices have informed that they are appraising their 25 years old records in consultation with National Archives of India, 86 have sent 'NIL' reports, 15 offices have reported that the said procedure is not applicable to them, five have conveyed that they would take up the matter with the National Archives of India and one has given vague reply. The analysis of information received is detailed below.

11.2 27 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they have non-current records which have been appraised by them in consultation with the National Archives of India. These are:- Ministries of Defence, Environment and Forests, Home Affairs, Railways (Railway Board), Road Transports and Highways, Shipping and Water Resources; Departments of Agriculture and Cooperation, Fertilizers, Industrial Policy and Promotion, Commerce, Economic Affairs, Secondary and Higher Education and Personnel and Training; Prime Minister's Office, Planning Commission, Air Headquarters, Directorates General of Foreign Trade and Central Reserve Police Force and Zonal Council Secretariat, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise (Chennai-I), Chennai; Central Reference Library, Kolkata; Forward Markets Commission and Central Board of Film Certification, both in Mumbai; Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar; Office of the Salt Commissioner, Jaipur and Airport Health Organisation, Thiruchirapalli.

11.3 86 Offices which have given 'NIL' reports are:- Ministries of Health and Family Welfare, Labour, Mines, Non-Conventional Energy Sources and Power; Departments of Agricultural Research and Education, Animal Husbandry and Dairying, Commerce (Supply Division), Culture, Expenditure and Heavy Industry; President's Secretariat, Secretariat of the Vice President of India, Directorates General of Civil Aviation, Income Tax (Vigilance), and Supplies and Disposals; Offices of the Development Commissioner, Small Scale Industries and Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and NDPS Act, 1985, Directorate of Administration (Naval Headquarters), Directorate of Public Relations (Ministry of Defence), Armed Forces Film and Photo Division, Coast Guard Headquarters, National Institute of Criminology and Forensic Sciences, Joint Cipher Bureau and Principal

अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1)(ग) के अनुबंधों के मुताबिक राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया जाना एक सांविधिक आवश्यकता है। इस प्रक्रिया से जहाँ अस्थायी प्रकृति के अभिलेखों की छँटाई द्वारा बहुमूल्य भंडारण स्थान की बचत होती है वहीं स्थायी मूल्य के अभिलेखों के सुरक्षित रख-रखाव तथा संरक्षण को भी सुनिश्चित किया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख सर्जक एजेंसियों को इस पहलू पर दिशा-निर्देश व परामर्श देने का अपना प्रयास जारी रखा तथा उस क्रम में दिनांक 21 फरवरी, 2003 को समस्त अभिलेख सर्जक एजेंसियों को एक परिपत्र संख्या 16-12/2003-आर.एम. जारी किया जिसमें उनसे संबंधित विषय पर सूचना माँगी गई थी। इस प्रकार प्राप्त सूचना ने राष्ट्रीय अभिलेखागार को उन अभिलेखों के मूल्यांकन के लिये कार्यक्रम तैयार करने में मदद पहुँचाई।

11.1 उपर्युक्त परिपत्र के प्रत्युत्तर में 134 मंत्रालयों/विभागों आदि तथा 49 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि ने सूचना प्रेषित की। उनमें से 27 कार्यालयों यह सूचित किया कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अपने 25 वर्ष पुराने अभिलेखों का मूल्यांकन कर रहे हैं, 28 ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की, 15 कार्यालयों ने यह रिपोर्ट प्रेषित किया कि यह पद्धति उन पर लागू नहीं होती, 5 ने यह बताया कि वे मामले को राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ उठायेंगे, एक ने अस्पष्ट उत्तर दिया। प्राप्त सूचना के विश्लेषण का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है -

11.2 27 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उनके पास अप्रचलित अभिलेख हैं जिनका राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन किया गया है। ये हैं - रक्षा, पर्यावरण एवं वन, गश्क, रेल (रेलवे बोर्ड), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी तथा जल संसाधन मंत्रालय; कृषि एवं सहकारिता, उर्वरक, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, वाणिज्य, आर्थिक कार्य, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तथा कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग; प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, वायु सेना मुख्यालय, विदेश व्यापार तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय एवं आंचलिक परिषद सचिवालय, सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय(चेन्नई-1), चेन्नई; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता; अग्रवर्ती बाजार आयोग तथा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, दोनों मुम्बई में; मुख्य महापोस्टमास्टर(उड़ीसा सर्कल), भुवनेश्वर; नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर तथा विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली।

11.3 86 कार्यालय जिन्होंने शून्य सूचना दी हैं, इस प्रकार हैं - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम, खान, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत तथा विद्युत मंत्रालय; कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, पशुपालन तथा डेयरी, वाणिज्य (पूर्ति प्रभाग), संस्कृति, व्यय तथा भारी उद्योग विभाग; राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नागर विमानन, आयकर (सतर्कता) तथा पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, विकास आयुक्त कार्यालय लघु उद्योग तथा सक्षम प्राधिकरण, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी(सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985, कार्यालय, प्रशासन निदेशालय (नौ सेना मुख्यालय) जन संपर्क निदेशालय (रक्षा मंत्रालय), सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, तट रक्षक मुख्यालय, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, ज्वाइंट

Accounts Office (Ministry of Civil Aviation), all in New Delhi; BCG Vaccine Laboratory, Central Training Institute of Instructors, Chief Post Master General (Tamil Nadu Circle) and Office of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel, all in Chennai; Office of the Commissioner of Income Tax (C), Office of the Jute Commissioner and Development Commissioner for Iron and Steel, all in Kolkata; Office of Custodian of Enemy Property for India, Office of the Post Master General (Foreign Mails), Income Tax Settlement Commission and Advanced Training Institute, all in Mumbai; Department of Space, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Random Sample Poultry Performance Testing Centre and Central Poultry Training Institute for Women, all in Bangalore; Office of the Official Liquidator, U.P. and Uttaranchal High Court, Allahabad and Nainital and Office of the Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), both in Allahabad; Offices of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad, Panaji (Goa) and Nagpur; Offices of the Chief Post Master General, (Haryana Circle) Ambala, (Karnataka Circle) Bangalore, (Uttaranchal Circle) Dehradun, (Bihar Circle) Patna and (Kerala Circle) Thiruvananthapuram; Sub-Offices of the Directorate of Marketing and Inspection, Bodinayakanur, Guwahati, Kochi and Lucknow; Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Terminal Ballistics Research Laboratory, Central Excise Commissionerate and Office of the Regional Labour Commissioner (C), all in Chandigarh; Office of the Superintending Engineer (Ministry of Road Transport and Highways), (Chennai Region) Chennai, (Civil) Kolkata and Gandhinagar, Port Health Organisation, Marmagoa (Goa); Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, both in Jabalpur; Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST, Jaipur, Jabalpur and Nagpur; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training and Coconut Development Board, both in Kochi; Commission of Railway Safety, Lucknow; Office of the Commissioner of Income Tax (I), Madurai; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Office of Official Liquidator, High Court of Mumbai and Indian Bureau of Mines, both in Nagpur; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Central Water and Power Research Station, Office of the Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare) and National Film Archive of India, all in Pune; Offices of the Port Health Organisation, District Raigad and Mandapam Camp (District Ramanathapuram); Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (District Sambalpur); Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur and Office of the Junior Post Master General, Varanasi.

11.4 The following 15 Offices have informed that this aspect is not applicable to them: Office of the Controller General of Defence Accounts, Regional Development Commissioner for Iron and Steel, Regional Passport Office and Central Pension Accounting Office, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise – I and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, both in Mumbai; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Office of the Chief Post Master General (U.P. Circle), Lucknow; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Directorate of Marketing and Inspection Sub-Office, Nasik Road, Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat) and Liquid Propulsion Systems Centre, Thiruvananthapuram.

11.5 Ministry of Civil Aviation, New Delhi; National Atlas and Thematic Mapping Organisation and Central Statistical Organisation, both in Kolkata have informed that they would take up the matter of appraisal of non-current records with the National

साइफर ब्यूरो तथा प्रधान लेखा कार्यालय(नागर विमानन मंत्रालय), सभी नई दिल्ली में; बी. सी. जी. टीका प्रयोगशाला, केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, मुख्य महापोस्टमास्टर(तमिलनाडु सर्कल) तथा लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त सभी चेन्नई में ; आयकर आयुक्त(के) कार्यालय, पटसन आयुक्त कार्यालय तथा लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त, सभी कोलकाता में; भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, महापोस्टमास्टर कार्यालय(विदेश डाक), आयकर निपटारा आयोग तथा अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, सभी मुम्बई में ; अंतरिक्ष विभाग, केन्द्रीय मत्स्य तटीय अभियांत्रिकी संस्थान, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट पालन कार्य निष्पादन परीक्षण केन्द्र तथा केन्द्रीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान, सभी बंगलोर में; शासकीय परिसमापक, उ.प्र. तथा उत्तरांचल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा नैनीताल तथा कल्याण आयुक्त कार्यालय(श्रम कल्याण संगठन) दोनों इलाहाबाद में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद, पणजी (गोवा) तथा नागपुर; मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, (हरियाणा सर्कल) अम्बाला, (कर्नाटक सर्कल) बंगलोर, उत्तरांचल सर्कल, देहरादून, (बिहार सर्कल), पटना तथा (केरल सर्कल) तिरुवनन्तपुरम; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय(उप कार्यालय), बोदीनायकनूर, गुवाहाटी, कोची तथा लखनऊ; उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरात तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(के) कार्यालय, सभी चण्डीगढ़ में; अधीक्षण अभियंता कार्यालय(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय), (चेन्नई क्षेत्र) चेन्नई (सिविल) कोलकाता तथा गांधीनगर; पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मार्मागोवा(गोवा); सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद; संयुक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दोनों जबलपुर में; अ. जा. /अ. ज. जा अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, जयपुर, जबलपुर तथा नागपुर; केन्द्रीय मत्स्य नाविक तथा अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान तथा नारियल विकास बोर्ड, दोनों कोची में; रेल सुरक्षा आयोग, लखनऊ, आयकर आयुक्त(I) कार्यालय, मदुरै; इलेक्ट्रानिक परीक्षण तथा विकास केन्द्र, मोहाली; शासकीय परिसमापक कार्यालय, मुम्बई उच्च न्यायालय तथा भारतीय खान ब्यूरो, दोनों नागपुर में; प्रकाश पोत एवं प्रकाश स्तंभ, महानिदेशालय, नोयडा; मुख्य अभियंता तथा प्रशासक कार्यालय, अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान स्टेशन, वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) तथा राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, सभी पुणे में; पत्तन स्वास्थ्य संगठन कार्यालय, जिला रायगढ़ तथा मण्डपम कैम्प (जिला रामनाथपुरम); केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा(जिला संबलपुर); सेना उड़न योग्यता क्षेत्रीय केन्द्र, सुल्तानपुर तथा कनिष्ठ महापोस्टमास्टर कार्यालय, वाराणसी ।

11.4 निम्नलिखित 15 कार्यालयों ने सूचित किया कि यह उन पर लागू नहीं होता - सेना लेखा महानियंत्रक कार्यालय, लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय तथा केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त-1 कार्यालय तथा विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दोनों मुम्बई में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(केन्द्रीय) कार्यालय, अजमेर; दलहन विकास निदेशालय, भोपाल; क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; मुख्य महापोस्टमास्टर (यू. पी. सर्कल) लखनऊ; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय(उप कार्यालय), नासिक रोड; क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), शिमला; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म धामरोड़ (जिला सूरत) तथा लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम्स सेंटर, तिरुवनन्तपुरम ।

11.5 नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मानचित्रण संगठन तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन दोनों कोलकाता में, ने सूचित किया कि वे अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन का कार्य समय रहते राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ आरंभ करेंगे, संसदीय कार्य मंत्रालय,

Archives of India in due course. Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi has informed that they have 41 files for appraisal whereas Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune has stated that action has already been initiated by them in this direction.

11.6 Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie has given vague reply.

11.7 In all 49 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have furnished information, out of which only Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., Kolkata and Dredging Corporation of India, Visakhapatnam have furnished positive information. The analysis of the information received is detailed here under.

11.8 The following 36 Public Sector Undertakings have sent 'NIL' information: Project Equipment Corporation Ltd., Food Corporation of India, Indian Nursing Council, Indian Institute of Mass Communication, IRCON International Ltd., Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., Council of Scientific and Industrial Research and Water Power Consultancy Services (India) Ltd., all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Office of the Development Commissioner, MEPZ, Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, Chennai and Indian Institute of Technology Madras, all in Chennai; Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd., Falta Special Economic Zone and Hindustan Cables Ltd., all in Kolkata; Indian Rare Earths Ltd., Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research and Shipping Corporation of India Ltd., all in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Ltd., Ambalamugal (Kochi); National Fertilizers Ltd. and National Institute for Training of Highways Engineers, both in Noida; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Air Field, Rae Bareilly; Bharat Dynamics Ltd., International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials and Sponge Iron India Ltd., all in Hyderabad; Wildlife Institute of India, Dehradun; Pasteur Institute of India, Coonoor (Nilgiris, Tamil Nadu); Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Central Board For Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd., both in Nagpur; Central Silk Board, Bangalore; Visakhapatnam Dock Labour Board and Hindustan Shipyard Ltd., both in Visakhapatnam; National Academy of Sciences India, Allahabad; Mormugao Port Trust, Goa and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

11.9 Rail Tel Corporation of India Ltd., New Delhi; Mazagaon Dock Ltd. and Cotton Corporation of India Ltd., both in Mumbai; and Office of the General Manager Telecom, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Amritsar have intimated that it is not applicable to them.

11.10 Chennai Port Trust, Chennai and Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Mumbai have informed that they are following their own procedure.

11.11 National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar has informed that it does not feel it necessary to attend the job at present.

11.12 Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd., Mohan (District Almora) and Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore have intimated that appraisal will be done in due course.

11.13 The following organisations have sent vague reply:- Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Kochi, and National Institute of Unani Medicine, Bangalore.

नई दिल्ली ने सूचित किया कि उनके पास मूल्यांकन हेतु 41 फाइलें हैं जबकि भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान, पुणे ने बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

11.6 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ने अस्पष्ट उत्तर दिया है।

11.7 सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 49 उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचना भेजी जिनमें से केवल बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि., कोलकाता तथा भारतीय ड्रेजिंग निगम, विशाखापट्टनम ने सकारात्मक सूचना भेजी है, प्राप्त सूचना का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है -

11.8 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 36 उपक्रमों ने 'शून्य' सूचना भेजी है - परियोजना सामग्री निगम लि., भारतीय खाद्य निगम, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय जन संचार, इस्कान इंटरनेशनल लि., भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम लि., वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा जल विद्युत परामर्शी सेवाएं(भारत) लि., सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, विकास आयुक्त कार्यालय, एम. ई. पी. जेड., विशेष आर्थिक अंचल तथा एच. ई. ओ. यू. तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चेन्नई तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, सभी चेन्नई में; स्मिथ स्टैनिसट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि., फाल्टा विशेष आर्थिक अंचल तथा हिन्दुस्तान केबल्स लि., सभी कोलकाता में; भारतीय दुर्लभ मृदा लि., अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान तथा भारतीय जहाजरानी निगम लि., सभी मुम्बई में; हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन लि., अंबालामुगल(कोची); राष्ट्रीय उर्वरक लि. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, दोनों नोयडा में; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, फुरसतगंज वायु क्षेत्र, रायबरेली; भारत डायनेमिक्स लि., अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र तथा स्पंज आयरन इण्डिया लि., सभी हैदराबाद में; भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून; भारतीय चारागाह संस्थान, कूनूर (नीलगिरि, तमिलनाडु); भारी अभियांत्रिकी निगम लि., रांची; इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे; केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा खनिज उत्खनन निगम लि. दोनों नागपुर, में; केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर में; विशाखापट्टनम डॉक लेबर बोर्ड तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., दोनों विशाखापट्टनम में; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद; मोर्मुगाव पत्तन न्यास, गोवा तथा सरदार सरोवर विनिर्माण सलाहकार समिति, वदोदरा।

11.9 भारतीय रेल टेल निगम लि., नई दिल्ली; मझगांव डॉक लि. तथा भारतीय कपास निगम लि., दोनों मुम्बई में, तथा दूरसंचार महाप्रबंधक कार्यालय, भारत संचार निगम लि., अमृतसर ने बताया कि यह उन पर लागू नहीं होता।

11.10 चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि., मुम्बई ने बताया कि वे अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं।

11.11 राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर ने बताया कि वे इस समय इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते।

11.12 भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल्स निगम लि., मोहन(जिला अल्मोड़ा) तथा जवाहर लाल नेहरू अग्रवर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर ने बताया कि समय रहते मूल्यांकन कर लिया जाएगा।

11.13 निम्नलिखित संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर दिया है - रसायन एवं उर्वरक त्रावणकोर लि., कोची तथा राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलोर।

ORGANISATIONAL HISTORY

Compilation of Organisational History is very important, both from administrative and historical point of view. It is an essential tool to understand the nature of records generated by it over the years. As per the provisions stipulated under Section 6(1) (i) of the Public Records Act, 1993, each records creating agency is required to compile its Organisational History as well as prepare its annual supplements. The write up should include information about the setting up of the organisation, its functions, growth of its different wings, divisions, etc. In pursuance of this provision, the National Archives of India issued a Circular letter No. 16-12/2003-RM dated 21 February, 2003 seeking information in this regard.

In response to the above said circular, 134 Ministries/ Departments etc. and 49 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. responded. Out of these 51 Offices have furnished their Organisational history, 73 records creating agencies have sent 'NIL' reports whereas 10 other organisations have given different replies. The analysis of the data is given below.

12.1 51 offices who have furnished their Organisational Histories are:- Ministries of Civil Aviation, Environment and Forests, Home Affairs, Labour, Mines, Parliamentary Affairs, Railways (Railway Board), Road Transports and Highways, Shipping and Water Resources; Departments of Agriculture and Cooperation, Culture, Economic Affairs, Expenditure, Fertilizers, Heavy Industry, Industrial Policy and Promotion and Personnel and Training; Supply Division (Department of Commerce), Secretariat of the Vice President of India, Planning Commission, Directorates General of Civil Aviation, Central Reserve Police Force and Supplies and Disposals; Air Headquarters, Armed Forces Film and Photo Division and Zonal Council Secretariat, all in New Delhi; Office of the Jute Commissioner, Central Reference Library, Central Statistical Organisation, Development Commissioner for Iron and Steel and National Atlas and Thematic Mapping Organisation, all in Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Forward Markets Commission and Central Board and Film Certification, all in Mumbai; Department of Space, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and Central Poultry Training Institute, all in Bangalore; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Terminal Ballistics Research Laboratory, both in Chandigarh; Port Health Organisation, Marmagoa (Goa); Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Office of the Salt Commissioner Jaipur; Commission of Railway Safety, Lucknow; Office of the Commissioner of Central Excise and Custom and Indian Bureau of Mines, both in Nagpur; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Indian Institute of Tropical Meteorology and Central Water and Power Research Station, both in Pune and Airport Health Organisation, Thiruchirapalli.

12.2 The following 73 organisations have sent 'NIL' reports:- Ministries of Health and Family Welfare, Non-Conventional Energy Sources and Power; Departments of Agricultural Research and Education, Animal Husbandry and Dairying, Secondary and Higher Education; President's Secretariat, Prime Minister's Office, Offices of the Development Commissioner, Small Scale Industries, Regional Development Commissioner for Iron and Steel, Controller General of Defence Accounts and

संगठनात्मक इतिहास

प्रशासनिक तथा ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से संगठनात्मक इतिहास का संकलन अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह संगठन द्वारा सृजित अभिलेखों की प्रकृति को समझने के लिये एक जरूरी उपकरण है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (झ) में अनुबंधित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपना संगठनात्मक इतिहास संकलित करना पड़ता है तथा उसका वार्षिक अनुपूरक भी निकालना पड़ता है। उनके विवरण में संगठन की स्थापना, उनके कार्य, विभिन्न स्कंधों प्रभागों के विकास इत्यादि का ब्यौरा होना चाहिये। इस प्रावधान के अनुसरण में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने दिनांक 21 फरवरी, 2003 को एक परिपत्र संख्या 16-12/2003-आर.एम. जारी किया। उपर्युक्त परिपत्र के प्रत्युत्तर में 134 मंत्रालयों/ विभागों इत्यादि ने तथा 49 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सांविधिक निकायों इत्यादि ने सूचना दी। इनमें से 51 कार्यालयों ने अपने-अपने संगठनात्मक इतिहास का प्रेषण किया, 73 अभिलेख सर्जक एजेंसियों ने 'शून्य' सूचना भेजी जबकि 10 अन्य संगठनों ने विभिन्न जवाब दिये। आंकड़ों का विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है -

12.1 51 कार्यालय, जिन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास भेजे हैं, वे हैं - नागर विमानन, पर्यावरण एवं वन, गृह, श्रम, खान, संसदीय कार्य, रेल(रेलवे बोर्ड), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी तथा जल संसाधन मंत्रालय; कृषि एवं सहकारिता, संस्कृति, आर्थिक कार्य, व्यय, उर्वरक, भारी उद्योग, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग; पूर्ति प्रभाग (वाणिज्य विभाग), उपराष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, नागर विमानन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग तथा आंचलिक परिषद सचिवालय, सभी नई दिल्ली में; पटसन आयुक्त कार्यालय केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त तथा राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मानचित्रण संगठन, सभी कोलकाता में; भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, अग्रवर्ती बाजार आयोग तथा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सभी मुम्बई में; अंतरिक्ष विभाग, केन्द्रीय मत्स्य तटीय अभियांत्रिकी संस्थान तथा केन्द्रीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान, सभी बंगलोर में; दलहन विकास निदेशालय, भोपाल ; उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) तथा सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, दोनों चण्डीगढ़ में; पत्तन स्वास्थ्य संगठन मार्मागोवा (गोवा); क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर; रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ; केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय तथा भारतीय खान ब्यूरो, दोनों नागपुर में; मुख्य अभियंता एवं प्रशासक कार्यालय, अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर; भारतीय ऊष्ण कंटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन, दोनों पुणे में तथा पत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली।

12.2 निम्नलिखित 73 संगठनों ने 'शून्य' सूचना भेजी है - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत तथा विद्युत मंत्रालय; कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, पशुपालन तथा डेयरी, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग; राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, विकास आयुक्त कार्यालय, लघु उद्योग, लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त, रक्षा लेखा महानियंत्रक तथा सक्षम

Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and NDPS Act, 1985, Central Pension Accounting Office, Directorates General of Income Tax (Vigilance) and Foreign Trade, Joint Cipher Bureau, National Institute of Criminology and Forensic Sciences, Directorate of Public Relations (Ministry of Defence), Principal Accounts Office (Ministry of Civil Aviation) and Coast Guard Headquarters, all in New Delhi; Offices of the Commissioner of Central Excise (Chennai I), Regional Development Commissioner for Iron and Steel, BCG Vaccine Laboratory and Central Training Institute for Instructors, all in Chennai; Offices of the Commissioner of Income Tax, Kolkata; Income Tax Settlement Commission, Offices of the Commissioner of Central Excise (Mumbai I) and Post Master General (Foreign Mails), Advanced Training Institute and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, all in Mumbai; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Offices of the Official Liquidator, U.P. and Uttaranchal High Court, Allahabad and Nainital and Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), both in Allahabad; Offices of the Chief Post Master General, (Tamil Nadu Circle) Chennai, (Haryana Circle) Ambala, (Karnataka Circle) Bangalore, (Orissa Circle), Bhubaneswar, (Bihar Circle) Patna, (Kerala Circle) Thiruvananthapuram, (Uttaranchal Circle), Dehradun and (U.P. Circle) Lucknow; Office of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Random Sample Poultry Performance Testing Centre and Regional Vocational Training Institute for Women, both in Bangalore; Sub-offices of the Directorate of Marketing and Inspection, Bodinayakanur, Kochi, Nasik Road; Office of the Central Excise Commissionerate and Office of the Regional Labour Commissioner (C), both in Chandigarh; Office of the Superintending Engineer (Ministry of Road Transport and Highways), (Chennai Region) Chennai, (Civil) Kolkata and Gandhinagar; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji (Goa); Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad; Office of Joint Director, Central Government Health Scheme and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, both in Jabalpur; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jaipur; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training and Coconut Development Board, both in Kochi; Office of Commissioner of Income Tax (I), Madurai; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; National Film Archives of India and Office of the Senior Regional Director (Ministry of Health and Family Welfare), both in Pune; Port Health Organisation, Mandapam Camp (District Ramanathapuram); Central Cattle Breeding Farms, Chiplima (District Sambalpur) and Dhamrod (District Surat); Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla; Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur; Liquid Propulsion Systems Centre, Thiruvananthapuram and Office of the Junior Post Master General, Varanasi.

12.3 Ministry of Defence has informed that their Organisational history in under compilation. Department of Commerce, New Delhi has stated that the Organisational history of the Department, Attached/ Subordinate offices, Autonomous bodies/ Public Sector Undertakings has been drafted and is being finalised. Directorate of Administration (Naval Headquarters), New Delhi has intimated that they have separate Historical Cell for writing Organisational History. Regional Passport Office, New Delhi has informed that office is under the administrative control of Ministry of External Affairs. Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Guwahati has stated that Organisational History is being maintained by their Head Office, Faridabad. Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST, Jabalpur and Nagpur have intimated that they are the subordinate offices of Director General of Employment and Training, New Delhi;

प्राधिकरण तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी(सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 कार्यालय, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, आयकर(सतर्कता) तथा विदेशी व्यापार महानिदेशालय, ज्वाईंट साइफर ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र तथा विधि विज्ञान संस्थान, जन संपर्क निदेशालय(रक्षा मंत्रालय), प्रधान लेखा कार्यालय(नागर विमानन मंत्रालय) तथा तटरक्षक मुख्यालय, सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय (चेन्नई-1) लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त, बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला तथा केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, सभी चेन्नई में; आयकर आयुक्त कार्यालय, कोलकाता, आयकर निपटारा आयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (मुम्बई-1) तथा महापोस्टमास्टर कार्यालय (विदेश डाक) अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान तथा विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, सभी मुम्बई में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय) अजमेर; शासकीय परिसमापक कार्यालय, उ.प्र. तथा उत्तरांचल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं नैनीताल तथा कल्याण आयुक्त (श्रम कल्याण संगठन), दोनों इलाहाबाद में; मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, (तमिलनाडु सर्कल) चेन्नई, (हरियाणा सर्कल) अम्बाला, (कर्नाटक सर्कल) बंगलोर, (उड़ीसा सर्कल) भुवनेश्वर, (बिहार सर्कल) पटना, (केरल सर्कल) तिरुवनन्तपुरम, (उत्तरांचल सर्कल) देहरादून तथा (यू पी सर्कल) लखनऊ; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद; यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट पालन कार्य निष्पादन, परीक्षण केन्द्र तथा क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, दोनों बंगलोर में; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय उप कार्यालय, बोदीनायकनूर, कोची, नासिक रोड; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरात कार्यालय तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (के) कार्यालय, दोनों चण्डीगढ़ में; अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय), (चेन्नई क्षेत्र) चेन्नई (सिविल) कोलकाता तथा गांधीनगर, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी (गोवा) सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद; संयुक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दोनों जबलपुर में; अ. जा./अ. ज. जा. अनुशिक्षण सह मागदर्शन केन्द्र, जयपुर; केन्द्रीय मत्स्य नाविक तथा अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान तथा नारियल विकास बोर्ड, दोनों कोची में; आयकर आयुक्त (स) कार्यालय, मदुरै; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकामदी, मसूरी; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर; प्रकाश पोत एवं प्रकाश स्तंभ महानिदेशालय, नोयडा; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार तथा वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय); दोनों पुणे में, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम कैम्प(जिला रामनाथपुरम); केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा (जिला संबलपुर) तथा धामरोड (जिला सूरत); क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), शिमला; क्षेत्रीय सेना उड़नयोग्यता केन्द्र, सुल्तानपुर; लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम्स सेंटर, तिरुवनन्तपुरम तथा कनिष्ठ महापोस्टमास्टर कार्यालय, वाराणसी ।

12.3 रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया कि उनका संगठनात्मक इतिहास संकलित किया जा रहा है । वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली ने बताया कि उनके विभाग, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संगठनात्मक इतिहास का प्रारूप तैयार किया जा चुका है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है । प्रशासन निदेशालय(नौ सेना मुख्यालय), नई दिल्ली ने बताया कि उनके संगठनात्मक इतिहास को लिखने के लिए अलग से ऐतिहासिक प्रकोष्ठ है । क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली ने बताया कि कार्यालय विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, विपणन एवं निरीक्षण(उप कार्यालय) निदेशालय, गुवाहाटी ने बताया कि संगठनात्मक इतिहास उनके फरीदाबाद स्थित मुख्यालय द्वारा रखा जा रहा है । अ. जा. /अ. ज. जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, जबलपुर तथा नागपुर ने सूचित किया कि वे उनका कार्यालय रोजगार एवं प्रशिक्षण

Electronics Test and Development Centre, Mohali and Office of the Official Liquidator, High Court of Mumbai, Nagpur have sent vague reply. Port Health Organisation, Jawaharlal Nehru Port, District Raigad has informed that information may be obtained from Directorate of Health Services, New Delhi.

12.4 In response to another Circular No. 16-3/2002 RM dated 24 June 2002, the following 10 Organisations have informed that they have compiled their Organisational Histories:- Ministry of Shipping, Department of Economic Affairs, Supply Division (Department of Commerce), Airports Authority of India, Bureau of Civil Aviation Security, Chief Controller of Accounts and Directorate General of Supplies and Disposals, all in New Delhi; Directorate General of Shipping, Mumbai, Office of the Salt Commissioner, Jaipur and Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair.

12.5 The following 21 Public Sector Undertakings have furnished copies of their Organisational Histories: IRCON International Ltd., Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. and Water Power Consultancy Services (India) Ltd., all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology and Office of the Development Commissioner, MEPZ, Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, Chennai, both in Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. and Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd., both in Kolkata; Indian Rare Earths Ltd., Hindustan Petroleum Corporation Ltd. and Shipping Corporation of India Ltd., all in Mumbai; Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Kochi; National Fertilizers Ltd., Noida; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Airfield, Rae Bareilly; Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd., Mohan (District Almora); Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd., both in Nagpur; National Academy of Sciences India, Allahabad; Dredging Corporation of India, Visakhapatnam; Sponge Iron India Ltd., Hyderabad and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

12.6 There are 3 Organisations who have informed that compilation of their Organisational History is in progress. These are:- Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi; Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore and Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad.

12.7 Project Equipment Corporation Ltd., New Delhi and National Institute of Unani Medicine, Bangalore have sent vague reply.

12.8 Chennai Port Trust, Chennai has informed that it is following its own procedure.

12.9 The following organisations have intimated that it is not applicable to them:- Rail Tel Corporation of India Ltd., New Delhi; Mazagaon Dock Ltd. and Cotton Corporation of India Ltd., both in Mumbai and Office of the General Manager Telecom, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Amritsar.

12.10 There is yet another group of 18 organisations who have reported 'NIL' information. These are:- Food Corporation of India, Indian Nursing Council and Indian Institute of Mass Communication, all in New Delhi; Indian Institute of Technology Madras, Chennai; Fata Special Economic Zone and Hindustan Cables Ltd., both in Kolkata; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Ltd., Ambalamugal (Kochi); Wildlife Institute of India,

महानिदेशक, नई दिल्ली का अधीनस्थ है, इलैक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, मोहाली तथा शासकीय परिसमापक कार्यालय, मुम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर ने अस्पष्ट उत्तर प्रेषित किया। पत्तन स्वास्थ्य संगठन, जवाहर लाल नेहरू पत्तन, जिला रायगढ़ ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, नई दिल्ली से सूचनाएं प्राप्त कर ली जाएंगी।

12.4 अन्य परिपत्र संख्या 16-3/2002 आर.एम. दिनांक 24 जून 2002 के प्रत्युत्तर में 10 संगठनों ने सूचित किया कि वे अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन कर चुके हैं - जहाजरानी मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, पूर्ति प्रभाग(वाणिज्य विभाग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, मुख्य लेखा नियंत्रक तथा पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, सभी नई दिल्ली में; जहाजरानी महानिदेशालय, मुम्बई; नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर तथा मुख्य अभियंता तथा प्रशासक, अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर।

12.5 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 21 उपक्रमों ने अपने संगठनात्मक इतिहास की प्रतियां भेजी हैं - इरकान इंटरनेशनल लि., भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम लि. तथा जल विद्युत परामर्शी सेवाएँ (भारत) लि., सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तथा विकास आयुक्त कार्यालय एम. ई. पी. जेड., विशेष आर्थिक अंचल तथा एच. ई. ओ. यू. तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चेन्नई, दोनों चेन्नई में; बंगाल केमिकल्स तथा फार्मास्यूटिकल्स लि. तथा स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि., दोनों कोलकाता में; भारतीय दुर्लभ मृदा लि., हिन्दुस्तान पेटोलियम निगम लि. तथा भारतीय जहाजरानी निगम लि., सभी मुम्बई में; उर्वरक तथा रसायन त्रावणकोर लि., कोची; राष्ट्रीय उर्वरक लि., नोयडा; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, फुर्सतगंज वायु क्षेत्र, रायबरेली; भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम लि., मोहन (जिला अल्मोड़ा), इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे; केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा खनिज उत्खनन निगम लि., दोनों नागपुर में; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद, भारतीय ड्रेजिंग निगम, विशाखापट्टनम; स्पंज आयरन इण्डिया लि., हैदराबाद तथा सरदार सरोवर विनिर्माण सलाहकार समिति, वदोदरा।

12.6 3 संगठन जिन्होंने सूचित किया कि उनके संगठनात्मक इतिहास का कार्य प्रगति पर है, ये हैं - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; जवाहर लाल नेहरू अग्रवर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर तथा भारत डायनेमिक्स लि., हैदराबाद।

12.7 परियोजना सामग्री निगम लि., नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलोर ने अस्पष्ट उत्तर दिया है।

12.8 चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई ने बताया कि वे अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं।

12.9 निम्नलिखित संगठनों ने बताया कि यह उन पर लागू नहीं होता - भारतीय रेल टेल निगम लि., नई दिल्ली; मझगांव डॉक लि. तथा भारतीय कपास निगम लि. दोनों मुम्बई में तथा दूरसंचार महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लि., अमृतसर।

12.10 18 संगठनों का एक अन्य समूह है जिसने 'शून्य' सूचना प्रेषित की। ये हैं - भारतीय खाद्य निगम, भारतीय नर्सिंग परिषद तथा भारतीय जन संचार संस्थान, सभी नई दिल्ली में; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई; फाल्टा विशेष आर्थिक अंचल तथा हिन्दुस्तान केबल्स लि., दोनों कोलकाता में; अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग इलैक्ट्रानिकी अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान समिति, मुम्बई;

Dehradun; Pasteur Institute of India, Coonoor (Nilgiris, Tamil Nadu); Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi; National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad; Mormugao Port Trust, Goa; Visakhapatnam Dock Labour Board and Hindustan Shipyard Ltd., both in Visakhapatnam; Central Silk Board Bangalore and National Institute for Training of Highway Engineers, Noida.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन लि., अंबालमुगल (कोची); भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, भारतीय चारागाह संस्थान, कूनूर (नीलगिरि, तमिलनाडु); भारी अभियांत्रिकी निगम लि., रांची; राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद; मोर्मुगाव पत्तन न्यास, गोवा; विशाखापट्टनम डॉक श्रमिक बोर्ड तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., दोनों विशाखापट्टनम में; केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, नोयडा ।

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

To accelerate the work of microfilming of 'A' Category records lying in the custody of the records creating agencies, the National Archives of India issued a Circular letter No. 16-6/2003-RM dated 5 March, 2003 to all the Ministries/ Departments/ Offices of the Government of India with the request to bring the matter to the knowledge of their Attached/ Subordinate Offices and Public Sector Undertakings which are functioning under their control as this would enable them to furnish the requisite information to this Department. During the period under report, in all, 21 Organisations have furnished information, details of which are as under:-

- 13.1 Department of Commerce, New Delhi has informed that they have 19 Volumes consisting 1,138 pages of 'A' Category files in their custody while Department of Posts, New Delhi informed that they have 23 files consisting 579 pages. After inspection of these records their microfilming was undertaken and completed.
- 13.2 Ministry of Civil Aviation, New Delhi has requested the National Archives of India to microfilm 356 files of 'A' Category which were earlier examined and identified by our team. The microfilming of records will be taken up soon.
- 13.3 The following Ministries/ Departments/ Offices have furnished 'NIL' information:- Ministries of Defence, Labour and Parliamentary Affairs; Departments of Economic Affairs and Personnel and Training; Planning Commission, Press Information Bureau, Staff Selection Commission, Directorate General of Supplies and Disposals, Central Vigilance Commission and Central Administrative Tribunal (Principal Bench), all in New Delhi; Offices of the Save Grain Campaign, Ghaziabad and Jaipur; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie and Directorate General Lighthouses and Lightships, Noida.
- 13.4 Two Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have also furnished 'NIL' information. These are:- Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi and Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., Kolkata.

‘क’ श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण

अभिलेख सर्जक एजेंसियों के पास उपलब्ध ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों के माइक्रोफिल्म निर्माण कार्य में तेज़ी लाने के लिये राष्ट्रीय अभिलेखागार ने दिनांक 5 मार्च 2003 को भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों को एक परिपत्र संख्या 16-6/ 2003-आर एम जारी किया जिसमें उनसे यह आग्रह किया गया था कि वे अपने नियंत्रण में कार्यरत समबद्ध/ अधीनस्थ/ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नज़र में इस मामले को लायें जिससे कि वे इस विभाग को अपेक्षित सूचना प्रेषित कर सकें। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, कुल मिला कर 21 संगठनों ने सूचना भेजी जिसका ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है:-

13.1 वाणिज्य विभाग नई दिल्ली ने सूचित किया कि उनके संरक्षण में ‘क’ श्रेणी की फाइलों के 1,138 पृष्ठों के 19 खंड मौजूद हैं, जबकि डाक विभाग नई दिल्ली ने सूचित किया कि उनके पास 579 पृष्ठों वाली 23 फाइलें हैं। इन अभिलेखों के निरीक्षण के बाद उनके माइक्रोफिल्म निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया तथा उसे पूरा किया गया।

13.2 नागरिक विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय अभिलेखागार से यह आग्रह किया है कि वे ‘क’ श्रेणी की उन 356 फाइलों के माइक्रोफिल्म निर्माण का कार्य सम्पन्न करें जिनका पहले ही हमारे दल द्वारा परीक्षण व अभिनिर्धारण किया जा चुका है। अभिलेखों के माइक्रोफिल्म के निर्माण का कार्य शीघ्र ही हाथ में लिया जायेगा।

13.3 निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों ने ‘शून्य’ सूचना प्रेषित की है:- रक्षा, श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय; आर्थिक कार्य तथा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग; योजना आयोग, प्रेस सूचना ब्यूरो, कर्मचारी चयन आयोग, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (मुख्य न्यायपीठ), सभी नई दिल्ली स्थित; अन्न बचाओ अभियान कार्यालय, गाज़ियाबाद व जयपुर; लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी तथा प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशपोत महानिदेशालय, नोयडा।

13.4 सार्वजनिक क्षेत्र के जिन दो उपक्रमों/ सांविधिक निकायों इत्यादि ने भी शून्य सूचना प्रेषित की वे इस प्रकार हैं- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली तथा बंगाल रसायन तथा फार्मास्युटिकल्स लि., कोलकाता।

APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Under the provisions of Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993 read with Rule 5 of the Public Records Rules, 1997, the Director General of Archives assists the records creating agencies in conducting the appraisal of public records. Similarly, under Section 6(1) (c) of the Public Records Act, 1993 the Departmental Records Officer has been made responsible for appraisal of public records which are more than twenty five years old in consultation with the National Archives of India with a view to retaining only records of permanent value. It may be mentioned here that on the one hand, the appraisal of non-current records and weeding out records of ephemeral nature result in saving of valuable shelf-space and maintenance cost of records housed in various record rooms of the Government of India and on the other, help in identifying the records of permanent value for subsequent transfer to National Archives of India for scientific Preservation.

14.1 During the period under report, the National Archives of India appraised 31,991 non-current files. Out of these 11,182 files were recommended for permanent retention and 20,809 for destruction. Thus, resulting in saving of Rs. 20,809 per annum on the upkeep of records.

14.2 The Organisations whose records were appraised by the officers of National Archives of India are:- Ministries of Railways (Railway Board) (1947-77) and Environment and Forests (1959-76); Department of Agriculture and Cooperation (including National Commission on Agriculture, a defunct body) (1970-83), and Archaeological Survey of India (1948-78), all in New Delhi; Chennai Port Trust, Chennai (1959-78), Port Health Organisation (Ministry of Health and Family Welfare) (1917-76), Mumbai and National Tuberculosis Institute, (Directorate General of Health Services) (1960-78), Bangalore.

14.3 Besides records of the following units/ regiments/ armoured corps and State Forces/ Disbanded Units etc. of Ministry of Defence were appraised, viz. Maratha Light Infantry (1949-52) Belgaum; Army Supply Corps (MT) (1939-50) and Army Supply Corps (Supply) (1948-58), both in Bangalore; Rajput Regimental Centre (1950-75), Fatehgarh (U.P.); Army Medical Corps (1930-50) Lucknow; Jat Regimental Centre (1939-52), Bareilly; Madras Regimental Centre (1918-53) Wellington (Tamil Nadu); Sikh Regimental Centre and Punjab Regimental Centre (1932-52), both in Ramgarh, (Jharkhand); Bengal Engineer Group (1919-52), Roorkee (Uttaranchal); Mahar Regimental Centre (1923-51), Saugor (Madhya Pradesh) and Artillery Records Office (1910-77), Nasik Road Camp.

14.4 Further, Record Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar had also appraised 1,740 files/ volumes of Directorate General of Mines Safety, Dhanbad (1901-45); Archaeological Survey of India (1905-76) and CPWD (Div.-I) (1959-76), both in Bhubaneswar; Central Reference Library (1962-77) and Bengal Chemicals and Pharmaceutical Ltd. (1901-77), both in Kolkata. Out of these 725 files/ volumes were marked for permanent retention and 1,015 files/ volumes for destruction.

14.5 Similarly, Record Centre (Southern Zone), Pondicherry had also appraised 133 files of Chennai Port Trust, Chennai (1959-78) out of which 72 files were marked for retention and 61 files for destruction.

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 5 के साथ पठित लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ख) के तहत अभिलेख महानिदेशक अभिलेख सर्जक एजेंसियों को लोक अभिलेखों के मूल्यांकन का कार्य संपन्न करवाने में मदद पहुँचाते हैं। इसी प्रकार, लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 6(1)(ग) के तहत विभागीय अभिलेख अधिकारी को पच्चीस वर्षों से अधिक पुराने अभिलेखों के राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी बनाया गया है ताकि सिर्फ स्थाई महत्व के अभिलेखों का प्रतिधारण किया जाये। यहाँ यह उल्लेख किया जाना उचित रहेगा कि अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन तथा अस्थाई प्रकृति के अभिलेखों का विनष्टीकरण जहाँ एक ओर भारत सरकार के विभिन्न अभिलेख कक्षों के मूल्यवान भंडारण-स्थान व उसके रख-रखाव में आने वाली लागत की बचत करता है, वहीं दूसरी ओर वह स्थाई मूल्य के अभिलेखों को अभिविहित किये जाने में भी मदद पहुँचाता है ताकि उन्हें वैज्ञानिक परिरक्षण के लिये राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रेषित किया जा सके।

14.1 रिपोर्टधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 31,991 अप्रचलित फाइलों का मूल्यांकन किया। इनमें से 11,182 फाइलों की स्थाई प्रतिधारण के लिये तथा 20,809 की विनष्टीकरण के लिये संस्तुति की गई। इस प्रकार दरअसल इन अभिलेखों के रख-रखाव पर 20,809 रु. प्रतिवर्ष की बचत की गई।

14.2 वे संगठन जिनके अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा मूल्यांकन किया गया, इस प्रकार हैं- रेलवे (रेलवे बोर्ड)(1947-77) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (1959-76); कृषि व सहकारिता विभाग (निष्क्रिय निकाय राष्ट्रीय कृषि आयोग सहित)(1970-83), तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (1948-78), सभी नई दिल्ली स्थित; चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई (1959-78), पत्तन स्वास्थ्य संगठन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) (1917-76), मुंबई तथा राष्ट्रीय क्षय संस्थान (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)(1960-78), बंगलोर।

14.3 इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की निम्नांकित इकाइयों/ रेजिमेंट/ सशस्त्र बल/ समाप्त इकाइयों आदि का मूल्यांकन किया गया - मराठा लाइट इन्फैंट्री (1949-52) बेलगाम; सेना आपूर्ति कोर (एम.टी.) (1939-50) तथा सेना आपूर्ति कोर (आपूर्ति) (1948-58), दोनों बंगलोर स्थित; राजपूत रेजिमेंटल सेंटर (1950-75), फतेगढ़(उ.प्र.); सेना चिकित्सा कोर (1939-52), बरेली; मद्रास रेजिमेंटल सेंटर (1918-53) वेलिंगटन (तमिलनाडु); सिख रेजिमेंटल सेंटर तथा पंजाब रेजिमेंटल सेंटर (1932-52), दोनों रामगढ़ (झारखंड) स्थित; बंगाल इंजीनियर ग्रुप (1919-52), रुड़की (उत्तरांचल); महार रेजिमेंटल सेंटर (1923-51), सागर (मध्य प्रदेश) तथा आर्टिलरी रिकार्ड्स आफिस (1910-77), नासिक रोड कैंप।

14.4 इसके अलावा अभिलेख केन्द्र (पूर्वी अंचल), भुवनेश्वर ने भी खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद (1901-45); भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (1905-76) तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रभाग-1) (1959-76), दोनों भुवनेश्वर स्थित; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय (1962-77) तथा बंगाल रसायन एवं फार्मास्युटिकल् लि. (1901-77), दोनों कलकत्ता स्थित की 1,740 फाइलों/खंडों का मूल्यांकन किया। इनमें से 725 फाइलों/ खंडों को स्थाई प्रतिधारण तथा 1,015 फाइलों/ खंडों को विनष्टीकरण के लिये चिह्नित किया गया।

14.5 इसी प्रकार, अभिलेख केन्द्र (दक्षिण अंचल), पांडिचेरी ने भी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई (1959-78) की 133 फाइलों का मूल्यांकन किया जिसमें से 72 फाइलों को प्रतिधारण तथा 61 फाइलों को विनष्टीकरण के लिये चिह्नित किया गया।

REFERENCE MEDIA

Section 3(2) (e) of the Public Records Act, 1993, stipulates the preparation of inventories, indices, catalogues and other reference media of public records so as to facilitate quick retrieval of information by their users. Needless to mention here that records serve as the memory of an organisation which contain wisdom of the past and help in taking decisions and formulating future policies for the smooth functioning of an organisation. Hence, preparation of reference media is an important administrative tool which needs to be undertaken by each and every organisation. Accordingly, the National Archives of India continued its effort to prepare suitable reference media for the records. The details of the progress made in this regard are given below.

15.1 The project 'Guide to the Sources of Asian History' has made commendable progress as press copy of Volume 3.5 has been forwarded to the press.

15.2 Besides, Subject List of 610 files of Central India Agency/ Indore/ Gwalior and Bundelkhand (1850-1867) was prepared.

15.3 Under the programme 'Computerization of Reference Media of Records', data entry of 29,523 files of Ministries of Home Affairs (1957-72), Communication (1951-54) and Railways (Railway Board) (1945-74); Department of Telecommunication (1937-71); Planning Commission (1952-75); President's Secretariat (1890-1947), Air Headquarters (1929-63) and Foreign and Political Department (1917-1920) available in the National Archives of India was completed.

15.4 In addition to above data entry of 2,37,245 files/ records of Foreign Department/ Foreign and Political Department (1860-1937) was also got completed by engaging a private firm (M/s Excel Softbrain).

15.5 As regards the validation of records 60,268 entries of Foreign and Political Department (1899-1934) was completed by on-line checking from the records series.

15.6 The Oriental Records (OR) Division scrutinised, translated and prepared descriptive lists of 486 Persian documents for the forthcoming publication 'Descriptive List of Persian Correspondence, Vol. V (1805) and VI (1806)'. In addition 200 Urdu and Persian documents acquired by the National Archives of India through Historical Documents Purchase Committee were also translated and descriptive listed for the publication 'Descriptive List of Acquired Documents, Vol. V (1810-30) and VII (1851-70)'.

15.7 The Private Archives (PA) Section prepared Subject List of 3,710 items of Gulzari Lal Nanda Papers (1954-74) and those of 624 items of Minoo Masani Papers (1933-74).

संदर्भ माध्यम

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ड.) में यह अनुबंधित है कि लोक अभिलेखों की सूची, अनुक्रमणिका, कैटलॉग व अन्य संदर्भ माध्यम तैयार किया जायें ताकि उसके प्रयोक्ताओं को सूचना की त्वरित प्राप्ति हो सके। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अभिलेख किसी भी संगठन की स्मरणशक्ति होते हैं जिसके भीतर उसके अतीत का विवेक छिपा होता है। इससे न सिर्फ किसी भी संगठन के सुचारु संचालन में मदद मिलती है बल्कि भविष्य की नीतियाँ निर्धारित करने में भी मदद मिलती है। इसलिये संदर्भ माध्यम का निर्माण एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है जिसे हरेक संगठन को उठाना चाहिये। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेखों के लिये उचित संदर्भ माध्यम तैयार करने के अपने प्रयास को जारी रखा। इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है -

15.1 'गाइड टू द सोर्सेज ऑफ एशियन हिस्ट्री' परियोजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई तथा खंड 3.5 की प्रेस प्रति को मुद्रण के लिये प्रेस भेजा गया।

15.2 इसके अलावा, सेंट्रल इंडियन एजेंसी/ इंदौर/ ग्वालियर तथा बुंदेलखंड(1850-1867) की 610 फाइलों की विषयसूची तैयार की गई।

15.3 'अभिलेखों के संदर्भ माध्यम के कंप्यूटरीकरण' कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध गृह (1957-72), संचार (1951-54) व रेलवे (रेलवे बोर्ड) (1945-74) मंत्रालयों; दूर संचार विभाग (1937-71); योजना आयोग(1952-75); राष्ट्रपति सचिवालय (1890-1947), वायु सेना मुख्यालय (1929-63) तथा फॉरेन एण्ड पोलिटिकल डिपार्टमेंट (1917-1920) की 29,523 फाइलों की डाटा एंट्री का कार्य पूरा किया गया।

15.4 उपर्युक्त डाटा एंट्री के अलावा फॉरेन डिपार्टमेंट/फॉरेन एण्ड पोलिटिकल डिपार्टमेंट (1860-1937) की 2,37,245 फाइलों/अभिलेखों की डाटा एंट्री का कार्य एक निजी फर्म (मे. एक्सेल सॉफ्टवेयर) की सहायता से पूरा कराया गया।

15.5 अभिलेखों के सत्यापन के क्षेत्र में फॉरेन एण्ड पोलिटिकल डिपार्टमेंट (1899-1934) की अभिलेख श्रृंखला से 60,268 प्रविष्टियों को ऑन लाइन चेकिंग द्वारा पूरा किया गया।

15.6 ओरियंटल अभिलेख प्रभाग (ओ.आर.) ने अपने आगामी प्रकाशन 'डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ परशियन कॉरैस्पॉडेंस', खंड - V (1805) तथा खंड - VI (1806) के लिये 486 फारसी दस्तावेजों की विवरणात्मक सूची तैयार की। इसके अलावा ऐतिहासिक अभिलेख क्रय समिति के माध्यम से राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा उर्दू तथा फारसी के जिन 200 दस्तावेजों की प्राप्ति की गई, उनका भी अनुवाद किया गया तथा प्रकाशन हेतु 'डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ एक्वायर्ड डाक्यूमेंट्स खंड' - V (1810-30) तथा VI (1851-70) नामक विवरणात्मक सूची तैयार की गई।

15.7 निजी अभिलेख (पी.ए.) अनुभाग ने गुलज़ारीलाल नंदा कागज़ात (1954-74) के 3,710 मर्दों तथा मीनू मसानी कागज़ात (1933-74) के 624 मर्दों की विषयसूची तैयार की गई।

ACCESSIONS/ ACQUISITIONS OF RECORDS

Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993 and Rule 5 of the Public Records Rules, 1997 authorise the Director General of Archives to accept for deposit and preservation public records of permanent nature which have been retained by the records creating agencies in their Records Rooms for the last 25 years or more. Similarly, Section 11(1) of the said Act also provides for the acceptance by the National Archives of India of any records of historical or national importance from any private source by way of gift, purchase or otherwise. In compliance with the said provisions, the National Archives of India acquired the following records series and the private papers during the period under report:-

16.1 As regards accessioning of the public records, 76 files of Ministry of Environment and Forest (1931-74); 853 files of Ministry of Railways (Railway Board) (1932-75); 502 files of Ministry of Road Transport and Highways (1945-76); 667 files of Ministry of Surface Transport (1930-74); 45 files of Ministry of Textile (1959-79); 209 files of Ministry of Water Resources (1956-75); 483 files of Department of Telecommunication (Ministry of Communication) (1939-76); 563 files of Department of Economic Affairs (Ministry of Finance) (1954-75); 1702 files of Department of Expenditure, Finance Commission Division Fifth to Eight Finance Commission (Ministry of Finance) (1960-63); 180 files of Department of Revenue (Ministry of Finance) (1951-76); 327 files of Central Reserve Police Force (Ministry of Home Affairs) (1937-65); 30 volumes of the Intelligence Bureau (Ministry of Home Affairs) (1831-1930); 3 files of the Office of Zonal Joint Director General of Trade (CLA) (Ministry of Commerce), (1965-72); 112 files of Directorate General of Supplies and Disposal (1927-71) and 86 files of Central Excise Commissionerate, Chandigarh (1963-72) were accessioned.

16.2 In addition to above, the National Archives of India Record Centre, Jaipur accessioned 226 files of Forward Market Commission (1953-72) and 12 files of Port Health Organisation (1921-73), both in Mumbai, while National Archives of India Record Centre, Pondicherry accessioned 33 files of the Commissioner of Central Excise (1955-58) Hyderabad. Similarly, National Archives of India, Record Centre (Eastern Zone) Bhubaneswar accessioned 67 files of Mobile Civil Emergency Force (1963-83) and 159 files of the Office of the Development Commissioner for Iron and Steel (1959-77), both in Kolkata; 349 files of the Directorate General of Mines Safety (1901-43), Dhanbad and 62 files of Archaeological Survey of India (Bhubaneswar Circle) (1905-76), Bhubaneswar.

16.3 Besides the public records, National Archives of India continued to acquire private papers of eminent Indians in various fields as well as records of Indian interest from abroad under this programme.

16.4 226 pages (copies) of documents in Russian language relating to Russian-India Trade relation in the 17th century along with two volumes of their English translations compiled by T.D. Lavrentsova, R.V. Ovchinnikov and V.N. Shumilov, were received from the Chief Directorate of Archives, Moscow through Embassy of India under the cultural exchange programme. Archival material relating to North-East Frontier of India, acquired by late Prof. H.K. Barpujari (Emeritus Professor) Guwahati University from India Office Library and Records, London (UK) was received from the family of Prof.

अभिलेख अवाप्ति/ अधिग्रहण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2)(ख) तथा लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 5 के तहत अभिलेख महानिदेशक को यह अधिकार दिया गया है कि वे अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अपने अभिलेख कक्ष में रखे गये 25 वर्षों से पुराने स्थाई प्रकृति के अभिलेखों को संग्रहण व संरक्षण के लिये प्राप्त करें। इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुबंध के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार किसी भी निजी स्रोत से ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व के अभिलेख को उपहार, क्रय या किसी अन्य पद्धति द्वारा प्राप्त कर सकता है। इन प्रावधानों के पालन में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अभिलेख-शृंखला तथा निजी कागज़ात प्राप्त किये:-

16.1 लोक अभिलेखों की अवाप्ति के क्षेत्र में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (1931-74) की 76 फाइलें; रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)(1932-75) की 853 फाइलें; सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (1945-76) की 502 फाइलें; भूतल परिवहन मंत्रालय(1930-74) की 667 फाइलें; वस्त्र मंत्रालय (1959-79) की 45 फाइलें; जल संसाधन मंत्रालय (1956-75) की 209 फाइलें; दूरसंचार विभाग (संचार मंत्रालय)(1939-76) की 483 फाइलें; आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय)(1954-75) की 563 फाइलें; व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग पाँचवें से आठवाँ वित्त आयोग (वित्त मंत्रालय)(1960-63); राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय)(1951-76) की 180 फाइलें; केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (गृह मंत्रालय)(1937-65) की 327 फाइलें; आसूचना ब्यूरो (गृह मंत्रालय)(1831-1930) के 30 खंड; अंचल व्यापार संयुक्त महानिदेशालय कार्यालय (सी.एल.ए.)(वाणिज्य मंत्रालय),(1965-72) की 3 फाइलें; आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (1927-71) की 112 फाइलें तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरात, चंडीगढ़ (1963-72) की 86 फाइलों की अवाप्ति की गई।

16.2 उपर्युक्त के अलावा राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, जयपुर ने अग्रवर्ती बाज़ार आयोग (1953-72) की 226 फाइलें तथा पत्तन स्वास्थ्य संगठन(1921-73), दोनों मुंबई स्थित की 12 फाइलें प्राप्त कीं, जबकि राष्ट्रीय अभिलेखागार, पांडिचेरी केन्द्र ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, हैदराबाद (1955-58) की 33 फाइलें अवाप्त कीं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र (पूर्वी अंचल), भुवनेश्वर ने मोबाइल सिविल इमर्जेंसी फोर्स (1963-83) की 67 फाइलें तथा लौह एवं इस्पात आयुक्त कार्यालय (1959-77), दोनों कोलकाता स्थित, की 159 फाइलें; खान सुरक्षा महानिदेशक (1901-43), धनबाद की 349 फाइलें तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भुवनेश्वर सर्किल)(1905-76), भुवनेश्वर की 62 फाइलें अवाप्त कीं।

16.3 लोक अभिलेखों के अलावा राष्ट्रीय अभिलेखागार ने इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों के विख्यात भारतीयों के निजी अभिलेख व विदेशों से भारतीय रुचि की अभिलेखों को प्राप्त करना जारी रखा।

16.4 सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय राजदूतावास के माध्यम से 17 वीं शताब्दी में रूस-भारत व्यापार संबंधों पर रूसी भाषा में दस्तावेज़ के 226 पृष्ठों (प्रतियों), जिनका दो खंडों में टी.डी.लावरेंटसोवा, आर.वी.ओवचिन्निकोव तथा वी.एन.शुमिलोव द्वारा किया गया अनुवाद भी शामिल है, को चीफ डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्ज़, मास्को से प्राप्त किया गया। प्रो. बरपुजारी के परिवार के सौजन्य से गुवाहाटी विश्वविद्यालय के स्व. प्रो. एच.के. बरपुजारी (सेवानिवृत्त प्रोफेसर) द्वारा भारत के नार्थ ईस्ट

Barpujari. Three photographs viz. (i) Baba Sucha Singh S/o Shri Gurdit Singh of village Chota District Amritsar, Accused No. 82 in Lahore Conspiracy Case – a Freedom Fighter (ii) A photograph taken in Yugantar Ashram (Ghadar Party Headquarters) in San Francisco (USA) on 21 July 1919, wherein Mr. E. Devalera, the President of Ireland is shown receiving a memento (Sword) by two Ghadriles – Messrs. Gopal Singh Soni and Jagat Singh Kandole, and (iii) Photograph of Dr. S. Radhakrishnan, the then President of India, looking at sword as detailed at item no. (ii) above during his visit to Ireland, were donated by Prof. Malwinderjit Singh Waraich of Panchkula (Chandigarh).

16.5 Under the programme of acquisition of records/ microfilms rolls of Indian interest from abroad, 7 microfilm rolls of L/P&J/12 Series (1923-1947) relating to: Rash Behari Bose, his publications, his resignation from ICS, his activities in U.K., Germany, Burma, Thailand and Japan, his death at Taihoku (Japan); a manifesto to the All India National Congress by Communist Party of India (1926-27); reports on activities of Commonwealth of India League; activities of the members of Indian National Congress and Indian Independence League in London; activities of Nav Jawan Bharat Sabha of Peshawar; Police protection for members of Indian Round Table Conference; V.J. Patel's visit to Europe and USA; activities of Indians in Japan and Japanese propaganda in India; activities of Anand Mohan Sahay and Kamaladevi Chattopadhyaya; activities of Indian Independence Movement in Far East; All India Forward Block, Indian Prisoners of War held by Japanese and a report about the death of Subhas Chandra Bose, dated 'Tokyo, 25 July, 1946' and signed by Lt. Col. J.C. Figess were purchased from the British Library, London. One microfilm roll of Mountbatten Papers (1948-79) relating to India controversy surrounding the alleged death of Netaji Subhas Chandra Bose in aeroplane crash in 1945 was purchased from University of Southampton, UK. The National Archives of India purchased from the Public Records Office, London, 3 microfilm rolls of War Office and Foreign Office Series (1942-47) relating to: Indian political activities and death of Subhas Chandra Bose; a brief review of the Indian National Army's Organisation; INA in Malaya Provisional Government of Free India and Indo-Soviet Relations as per the recommendation made by Justice Mukherjee Commission of Inquiry and 17 other microfilm rolls of Dominion Office (134 series) and Foreign Office (371 series) (1941-52) relating to: reports on the activities of Indian Army, appointment of United Nations Commission for India and Pakistan, abolition of hereditary rule in Kashmir, activities of seditious Indians in the United States and South Africa, internal situation in India, Indian activities in Japan, Indian Independence Movement in Bangkok, Anglo-Afghan Joint commission, Sino-Tibetan relations, Sino-Indian relations, Political situations in Nepal, Indo-Soviet relations, Indo-US relations, Indian immigration into United States, Grant of Naturalisation rights, Soviet interests in India, Government of India Frontier Situation Reports and Kabul Intelligence Summaries. Besides, 8 microfilm rolls of French Records (1920-54) relating to: Chandernagore College and miscellaneous decisions of the Administrative Council, mixed commission, decision of the President of the Council of Free City of Chandernagore, decision of French Residency, Commerce and Industries, merger of Chandernagore, political aspirations, Chandernagore Administration and Deliberation of meetings etc. that were prepared by National Archives of India team in the Institute de Chandernagore, Chandernagar (West Bengal) were also acquired.

16.6 National Archives of India Record Centre, Pondicherry received one photograph on Harijan Seva Sangam (1938) and 13 books and periodicals (1951-90) and 28 issues of *Sudanthiram* (8 January to 24 December 1984) as donation from Smt. Saraswathi Subbiah, a Freedom Fighter, Pondicherry.

फ्रांटियर पर इंडिया ऑफिस लायब्रेरी एण्ड रिकार्ड्स, लंदन से प्राप्त अभिलेखीय सामग्री को प्राप्त किया गया। तीन छायाचित्र, यथा- (i) स्वतंत्रता सेनानी बाबा सुच्चा सिंह, सुपुत्र श्री गुरदित सिंह, ग्राम छोटा डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, लाहौर-षडयंत्र मामले के अभियुक्त संख्या 82, (ii) 21 जुलाई 1919 को सॉन फ्रांसिस्को (संयुक्त राज्य अमरीका) में युगांतर आश्रम (गदर पार्टी मुख्यालय) में खींचा गया एक चित्र जिसमें श्री ई.देवलेरा, आयरलैंड के प्रेसिडेंट को दो गदर योद्धाओं- श्री गोपाल सिंह सोनी तथा जगत सिंह कंडोले से एक स्मृति चिह्न (खड्ग) प्राप्त करते हुए दिखलाया गया है, तथा (iii) पंचकूला (चंडीगढ़) के प्रो.मालविंदरजित सिंह वाराडच द्वारा प्रदत्त - भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन का छायाचित्र जिसमें वे उम्र उल्लिखित मद संख्या (ii) में वर्णित खड्ग को, जब वे आयरलैंड की अपनी यात्रा पर गये थे, देख रहे हैं।

16.5 विदेशों से भारतीय अभिरुचि के अभिलेखों/ माइक्रोफिल्म रील के अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत एल./ पी.एंड जे./ 12 सीरीज (1923-1947) की 7 माइक्रोफिल्म रीलें प्राप्त की गईं जो निम्नलिखित से संबंधित थी- रास बिहारी बोस, उनके प्रकाशन, आई.सी.एस. से उनका त्यागपत्र, इंग्लैंड, जर्मनी, बर्मा, थाइलैंड तथा जापान में उनकी गतिविधियाँ, ताइहोकु (जापान) में उनकी मृत्यु; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (1926-27) द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणापत्र; कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग की गतिविधियों पर प्रतिवेदन; लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की गतिविधियाँ; पेशावर के भारतीय नौजवान सभा की गतिविधियाँ; भारतीय गोलमेज सम्मेलन के सदस्यों को पुलिस सुरक्षा; वी.जे. पटेल की योरोप व संयुक्त राज्य अमरीकी यात्रा; जापान में भारतीयों की गतिविधियाँ तथा भारत में जापानी प्रचार; आनंद मोहन सहाय तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय की गतिविधियाँ; सुदूर पूर्व में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियाँ; जापानियों द्वारा युद्धबंदी बनाये गये भारतीयों तथा नेताजी सुभाषचंद्र बोस की मृत्यु के बारे में दिनांक 25 जुलाई, 1946, को तोक्यो में जारी व ले. कर्नल जे.सी.फिगेस द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट को ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन से खरीदा गया। साउथैप्टन, यू.के. के विश्व विद्यालय द्वारा विमान दुर्घटना में 1945 में नेताजी की तथाकथित मृत्यु से जुड़े विवाद पर माउंटबेटन कागज़ात (1948-79) के भारत से संबंधित दस्तावेज़ को खरीदी गया। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने पब्लिक रिकार्ड्स ऑफिस लंदन के वॉर ऑफिस एण्ड फॉरेन ऑफिस सीरीज (1942-47) से 3 माइक्रोफिल्म रीलें खरीदीं जिनका संबंध अग्रलिखित से था:- भारतीय राजनीतिक गतिविधियाँ तथा सुभाषचंद्र बोस की मृत्यु; इंडियन नेशनल आर्मी के संगठन की संक्षिप्त समीक्षा; आज़ाद भारत मलय अस्थाई सरकार में आई.एन.ए. के बारे में तथा न्यायमूर्ति मुखर्जी जाँच आयोग की सिफारिशों के नज़रिये से भारत-सोवियत संबंध के बारे में तथा डोमिनियन ऑफिस (134 सीरीज) तथा फॉरेन ऑफिस (1941-52) की व निम्नलिखित से संबंधित 17 अन्य माइक्रोफिल्म रीलें प्राप्त की गईं - भारतीय सेना की गतिविधियों पर प्रतिवेदन, भारत व पाकिस्तान के लिये युनाइटेड नेशन कमिशन की नियुक्ति, कश्मीर में वंश शासन की समाप्ति, संयुक्त राज्य अमरीका तथा दक्षिण अफ्रीकी में क्रांतिकारी भारतीयों की गतिविधियाँ, भारत की आंतरिक स्थितियाँ, जापान में भारतीय गतिविधि, बैंकाक में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, आंग्ल-अफगान संयुक्त आयोग, चीन-तिब्बत संबंध, नेपाल की राजनीतिक स्थिति, भारत-सोवियत संबंध, भारत-अमरीकी संबंध, संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय उत्प्रवासन, नेचुरलाइजेशन अधिकारों का प्रदान किया जाना, भारत में सोवियत अभिरुचि, भारत सरकार की सीमांत की स्थिति पर रिपोर्ट तथा काबुल-आसूचना सार। इसके अलावा, निम्नलिखित से संबंधित फ्रांसिसी अभिलेख (1920-54) की 8 रीलें प्राप्त की गईं - चंदरनगर कॉलेज तथा प्रशासन परिषद के विविध निर्णय, मिश्रित आयोग, चंदरनगर प्री सिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट के निर्णय, फ्रेंच रेजिडेंसी के निर्णय, वाणिज्य एवं उद्योग, चंदरनगर का विलय, राजनीतिक आकांक्षाएँ, चंदरनगर प्रशासन तथा बैठक के वृत्त आदि। राष्ट्रीय अभिलेखागार की टीम द्वारा इंस्टीट्यूट द चंदरनगर, चंद्रनगर (प.बंगाल) में सर्वेक्षित अभिलेखों को भी प्राप्त किया गया।

16.6 राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केन्द्र, पांडिचेरी ने पांडिचेरी की स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती सरस्वती सुबैय्या द्वारा प्रदत्त हरिजन सेवा संगम (1938) का एक छायाचित्र तथा 13 पुस्तकें व पत्र-पत्रिकाएँ (1951-90) एवं सुदंतिरम (8 जनवरी से 24 दिसम्बर 1984) के 28 अंक प्राप्त किये।

VETTING OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS

The Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993 provides that the Records Officer shall be responsible for compilation of Records Retention Schedules for Public Records in consultation with the National Archives of India. These Records Retention Schedule are also required to be revised once in five years with a view to accommodate new Subject Heads which might have been added due to the changing and expanding activities of the concerned records creating agencies during the intervening years. Keeping this in view, National Archives of India has vetted records retention schedules pertaining to substantive functions of 24 Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings during the period under report. Detailed information is furnished below.

17.1 Study reports along with vetted Records Retention Schedule were forwarded to the following organisations for implementation:- Ministries of Environment and Forests, and Labour; Department of Expenditure (Ministry of Finance); Tariff Commission (Ministry of Industry), Planning Commission, Directorates of Equipment Management (EM), Ordnance Services (OS) and Electronics Mechanical Engineering (EME) of MGO Branch (Army Headquarters), all in New Delhi; Offices of the Port Trusts, Chennai, Kochi and Visakhapatnam; Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam; Mercantile Marine Department, Chennai, Kolkata and Mumbai and Regional Offices (Sails), Jam Nagar and Mumbai, all under Directorate General of Shipping; Dredging Corporation of India Ltd., Visakhapatnam; Government Shipping Office, Seamen's Employment Office, and Mazagaon Dock Ltd., all in Mumbai, Integrated Fisheries Project (Ministry of Agriculture), Kochi and India Tourism (Ministry of Tourism and Culture), New Delhi and Jaipur.

17.2 Spot studies for vetting the records retention schedule of the following Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings were taken-up and their reports were under various stages of finalization during the period under report:- Directorates of Engineer Stores and Plants, Engineer Stores, Works and Coordination and Personnel of Engineer-in-Chief Branch (Army Headquarters), Press Information Bureau and Research, Reference and Training Division (Ministry of Information and Broadcasting), all in New Delhi; Falta Export Processing Zone, Kolkata and Export Processing Zone, Noida (U.P.); Regional Offices of National Film Archive of India, Kolkata and Thiruvananthapuram; Hindustan Newsprint Ltd., Kottayam and Regional Engineering College, Thiruchirapalli.

अभिलेख-प्रतिधारण-सूची की पुनरीक्षा

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1) (ड़.) में यह अनुबंधित है कि अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से लोक अभिलेखों की प्रतिधारण-सूची के संकलन के लिये उत्तरदायी होगा। इन अभिलेख प्रतिधारण सूचियों में प्रत्येक पाँच वर्ष में संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि उन वर्षों के दौरान संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों की गतिविधियों में आये परिवर्तन व विस्तार के कारण उत्पन्न नवीन विषय-शीर्षों को स्थान दिया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 24 मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मूल प्रकारों से संबंधित अभिलेख प्रतिधारण सूची की पुनरीक्षा की। विस्तृत ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है:-

17.1 निम्नांकित संगठनों को पुनरीक्षित अभिलेख प्रतिधारण सूची के साथ अध्ययन रिपोर्ट प्रेषित किया गया:- पर्यावरण एवं वन तथा श्रम मंत्रालय; व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय); प्रशुल्क आयोग (उद्योग मंत्रालय), योजना आयोग, एम.जी.ओ शाखा (सेना मुख्यालय) के उपस्कर प्रबंधन (ई. एम.), आयुध सेवाएँ (ओ.एस.) तथा इलेक्ट्रॉनिकी यांत्रिकी इंजीनियरिंग (ई.एम.ई.) निदेशालय, सभी नई दिल्ली स्थित; चेन्नई, कोची विशाखापट्टनम पत्तन न्यास तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम के कार्यालय; समुद्र व्यापार विभाग चेन्नई, कोलकाता तथा मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय (नौ प्रस्थान), जामनगर व मुंबई, सभी जहाजरानी महानिदेशालय के अधीन; ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., विशाखापट्टनम; सरकारी जहाजरानी कार्यालय, नाविक रोजगार कार्यालय तथा मझगाँव डॉक लि., सभी मुंबई में, एकीकृत मत्स्यपालन परियोजना (कृषि मंत्रालय), कोची तथा भारत पर्यटन (पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय), नई दिल्ली तथा जयपुर।

17.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नांकित विभागों/ कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अभिलेख प्रतिधारण सूची की स्थल पर जाकर पुनरीक्षा की गई तथा उनके प्रतिवेदन अंतिम रूप दिये जाने के विभिन्न चरणों से गुज़र रहे हैं- अभियांत्रिकी भंडारण व संयंत्र, अभियांत्रिकी भंडारण, कार्य व समन्वयन तथा महा मुख्य अभियंता कार्मिक शाखा (सेना मुख्यालय), प्रेस सूचना ब्यूरो तथा अनुसंधान, संदर्भ तथा प्रशिक्षण प्रभाग (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), सभी नई दिल्ली स्थित; फाल्टा निर्यात संसाधन अंचल, कोलकाता तथा निर्यात संसाधन अंचल नोयडा (उ.प्र.); राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के कोलकाता तथा तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय कार्यालय; हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि., कोट्टायम तथा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, तिरुचिरापल्ली।

ADVISORY WORK

Under Section 3(2) (i) of Public Records Act, 1993, the Director General of Archives is required to render advice to all Ministries/ Departments etc. on the creation, disposal of records and application of standards, techniques of records management and scientific preservation during their semi-current stage. Accordingly, National Archives of India continued its efforts to advise various records creating agencies on the matters related to records management activities. Considering the up-keep and preservation of semi-current records as one of the prime area of the records management, National Archives of India conducted inspection of the Departmental Records Room of Ministries/ Departments etc. and provided on the spot advice and guidance for improvement in the existing conditions.

18.1 During the period under report Departmental Records Room of 14 Organisations were inspected by the officers of the National Archives of India. These are:- Ministries of External Affairs, Information and Broadcasting, Road Transport and Highways, Environment and Forests, Water Resources and Health and Family Welfare; Departments of Bio-technology, Industrial Policy and Promotion, Personnel and Training, Revenue, Food and Public Distribution and Expenditure; Council of Scientific and Industrial Research and President's Secretariat, all in New Delhi.

18.2 Further, the National Archives of India continued to tender advice on the matters of records management to records creating agencies as and when such requests were received. Accordingly advice on various aspects of records management was rendered by the officers of the National Archives of India to the Air Force Record Office, New Delhi.

18.3 A team of officials of National Archives of India also visited Hindustan Photo Film Ltd., Ooty and advised them on de-classification of classified records.

परामर्शी कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (झ) के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक सभी मंत्रालयों/ विभागों आदि को अभिलेखों के सृजन तथा निपटान व अभिलेख प्रबंधन के मानकों, तकनीकों के अनुप्रयोग एवं अर्ध प्रचलित स्थिति में अभिलेखों के वैज्ञानिक परिरक्षण के बारे में परामर्श देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों के मामले में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परामर्श देने का अपना प्रयास जारी रखा। अर्ध प्रचलित स्थिति में अभिलेखों के रख-रखाव एवं परिरक्षण को अभिलेख प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण मानते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने मंत्रालय/ विभागों इत्यादि के विभागीय अभिलेख कक्षों के निरीक्षण का आयोजन किया तथा विद्यमान स्थिति में सुधार के लिये मौके पर जाकर परामर्श दिया।

18.1 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा 14 संगठनों के विभागीय अभिलेख कक्ष का निरीक्षण किया गया। ये इस प्रकार हैं -- विदेश, सूचना एवं प्रसारण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पर्यावरण एवं वन, जल संसाधन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, राजस्व, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा व्यय विभाग; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रपति सचिवालय, सभी नई दिल्ली स्थित।

18.2 इसके अलावा राष्ट्रीय अभिलेखागार ने, जब जहाँ से भी अनुरोध प्राप्त हुआ, अभिलेख सर्जक एजेंसियों को अभिलेख प्रबंधन के मामले में परामर्श देने का कार्य जारी रखा। इसी के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा वायु सेना अभिलेख कार्यालय, नई दिल्ली को अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न पक्षों पर परामर्श दिया गया।

18.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों का एक दल हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस लि., ऊटी गया तथा वहाँ वर्गीकृत अभिलेखों के अवश्रेणीकरण पर उन्हें परामर्श दिया।

TRAINING

To cater to the needs of professional Archivists and Records Manager and the sub-professionals, several courses relating to Records Management, Archives Administration, Conservation, and Reprography are being conducted by the School of Archival Studies of National Archives of India. These comprise one year Diploma Course in Archival Studies, Short Term Certificate Course in Records Management, Archives Administration, Conservation of Books, Manuscripts and Archives, Reprography and Servicing and Repair of Records. Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings can avail of this facility by deputing their staff to undergo training in such courses. To strengthen the records management activities in accordance with the Public Records Act, 1993, Five/ three day Orientation Course on Records Management is being conducted exclusively for the Departmental Records Officers.

19.1 One year Diploma Course in Archival Studies for the academic year 2002-03 had a batch of 10 students, out of them one candidate was sponsored by Mutua Museum, Imphal (Manipur) and the rest were private candidates.

19.2 School of Archival Studies also conducted two sessions of the Course 'Care and Conservation of Books and Manuscripts and Archives' which were attended by 12 candidates. Out of these, three candidates were sponsored by Department of Revenue (Ministry of Finance and Company Affairs), New Delhi; Department of Archives, Archaeology and Museums, Jammu (J&K) and Director of Research, Government of Arunachal Pradesh, Itanagar (Arunachal Pradesh), respectively, while the rest were private candidates.

19.3 Two sessions of the course 'Records Management' were conducted, which were attended by 22 candidates. These included: six candidates nominated by Central Government Organisations, viz. one each from Ministry of Environment and Forests, Department of Food and Public Distribution, Central Industrial Security Force and National Archives of India, two from National Security Guards, all in New Delhi; one each from Gujarat Government and Delhi Government whereas and four from Andhra Pradesh State Archives, Hyderabad. The rest were private candidates.

19.4 School of Archival Studies also conducted one session of the course 'Archives Administration' which was attended by 10 candidates, including one each sponsored by National Security Guard, New Delhi; National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Kolkata and Andaman and Nicobar Administration, Port Blair.

19.5 Two sessions of the course 'Reprography' were also conducted which were attended by 18 candidates. Out of these one each was sponsored by Office of the Deputy Commissioner of Police, Special Branch Headquarters, Delhi Police, New Delhi; Indian Institute of History of Medicine, Hyderabad, Patna Homeopathic Medical College and Hospital, Patna and Life Insurance Corporation of India, Kanpur.

19.6 Two sessions of the course 'Servicing and Repair of Records' were attended by 10 candidates. Out of these one candidate each was sponsored by Indira Gandhi National

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेखीय अध्ययन पीठ द्वारा पेशे से जुड़े अभिलेखाधिकारियों व अभिलेख प्रबंधकों तथा अर्धसंव्यावसायिकों के लिये अभिलेख प्रबंधन, अभिलेख प्रशासन, परिरक्षण व रिप्रोग्राफी पर कई पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इनमें अभिलेखीय अध्ययन का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेख प्रशासन, पुस्तकों, पांडुलिपियों व अभिलेखों के परिरक्षण व परिचर्या तथा रख-रखाव पर लघु अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने स्टाफ के सदस्यों को यहाँ प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेज कर इन पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की भावना को ध्यान में रखते हुए तथा अभिलेख प्रबंधन की गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिये विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिये विशेष रूप से अभिलेख प्रबंधन के पाँच/ तीन दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

19.1 अकादमिक वर्ष 2002-2003 में अभिलेखीय अध्ययन के एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 10 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से एक उम्मीदवार मुत्तुआ संग्रहालय, इफाल (मणिपुर) द्वारा प्रायोजित था। शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.2 अभिलेखीय अध्ययन पीठ ने 'पुस्तक, पांडुलिपि व अभिलेख उपचर्या एवं परिरक्षण' पाठ्यक्रम के दो सत्र आयोजित किये जिसमें 12 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से तीन अभ्यर्थी क्रमशः राजस्व विभाग (वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय), नई दिल्ली, अभिलेखागार, पुरातत्व व संग्रहालय विभाग, जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) तथा निदेशक अनुसंधान, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) द्वारा प्रायोजित थे। शेष निजी उम्मीदवार थे।

19.3 'अभिलेख प्रबंधन' पाठ्यक्रम के दो सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें 22 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से छह केन्द्र सरकार के विभिन्न संगठनों, यथा-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, खाद्य एवं जन वितरण विभाग, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा एक-एक, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (सभी दिल्ली स्थित कार्यालय) द्वारा दो प्रत्याशी प्रायोजित थे; एक-एक उम्मीदवार गुजरात व दिल्ली सरकार द्वारा तथा चार आंध्रप्रदेश राज्य अभिलेखागार, हैदराबाद द्वारा भेजे गये थे। शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.4 अभिलेखीय अध्ययन पीठ ने 'अभिलेखीय प्रबंधन' पाठ्यक्रम के एक सत्र का भी आयोजन किया जिसमें 10 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, नई दिल्ली, राष्ट्रीय एटलस थीमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता व अंदमान निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर द्वारा एक-एक उम्मीदवार भेजे गये थे।

19.5 'रिप्रोग्राफी' पाठ्यक्रम के दो सत्रों का भी आयोजन किया गया जिसमें 18 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से पुलिस उपायुक्त, विशेष शाखा मुख्यालय, दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली; भारतीय औषध इतिहास संस्थान, हैदराबाद; पटना होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, पटना तथा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के एक-एक अभ्यर्थी थे।

19.6 'अभिलेख परिचर्या व मरम्मत' पाठ्यक्रम के दो सत्रों में 10 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से एक-एक इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली; आदर्श विद्यापीठ, हुबली; रामपुर रज़ा लायब्रेरी,

Centre for the Arts, New Delhi; Adarsh Vidyapeeth, Hubli; Rampur Raza Library, Rampur (UP); Salar Jung Museum, Hyderabad; Punjab State Archives, Patiala and Department of Art and Culture, Pondicherry; the rest four candidates were private.

19.7 Besides, the National Archives of India also conducted 9 Five-day Orientation Course in Records Management for the designated Departmental Records Officers during the period under report. In all 117 Departmental Records Officers attended these courses.

A list of Departmental records Officers who attended the Orientation Course during 2002 may be seen at Appendix IV.

19.8 The following 79 Ministries/ Departments/ Offices have shown their willingness to depute their officials for various in-service training courses conducted by the National Archives of India. These are:- Ministries of Health and Family Welfare, Home Affairs, Labour, Mines, Parliament Affairs, Power, Railways (Railway Board), Road Transport and Highways, Shipping and Water Resources; Departments of Agriculture and Cooperation, Agricultural Research and Education, Animal Husbandry and Dairying, Commerce, Industrial Policy and Promotion, Expenditure, Culture, Secondary and Higher Secondary Education and Space; Supply Division (Department of Commerce), President's Secretariat, Secretariat of the Vice President of India, Prime Minister's Office, Planning Commission, Air Headquarters, Directorates General of Civil Aviation and Supplies and Disposal; Office of the Controller General of Defence Accounts, Central Pension Accounting Office, Coast Guard Headquarters, Zonal Council Secretariat, National Institute of Criminology and Forensic Sciences and Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, all in New Delhi; Office of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel, New Delhi and Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise (Chennai-I), BCG Vaccine Laboratory, Central Training Institute for Instructors, all in Chennai; Office of Jute Commissioner, Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Central Board of Film Certification, Advance Training Institute, all in Mumbai; Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, Bangalore; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Coconut Development Board and Directorate of Marketing and Inspection, all in Kochi; Offices of the Chief Post Master General (U.P. Circle) Lucknow, (Haryana Circle) Ambala, (Kerala Circle) Thiruvananthapuram and (Bihar Circle) Patna; Sub-Offices of the Directorate of Marketing and Inspection, Kochi, Lucknow and Guwahati; Central Cattle Breeding Farm Chiplima (District Sambalpur), Office of the Junior Post Master General, Varanasi, Office Electronics Test and Development Centre, Mohali, Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur; Terminal Ballistics Research Laboratory, Central Excise Commissionerate and Office of the Regional Labour Commissioner (C), all in Chandigarh; Office of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs and Indian Bureau of Mines, both in Nagpur; Office of the Salt Commissioner and Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, both in Jaipur; Port Health Organisation Mandapam Camp (District Ramanathapuram) and Marmagao (Goa); Airport Health Organisation, Thiruchirapalli; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, both in Jabalpur; Central Institute of Indian Languages, Mysore; National Film Archive of India, Indian Institute of Tropical Meteorology and Central Water and Power Research Station, all in Pune; Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy and Regional Directorate of Apprenticeship Training both in Hyderabad; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair, and Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, and Liquid Propulsion Systems Centre Thiruvananthapuram.

रामपुर (उ.प्र.); सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद; पंजाब राज्य अभिलेखागार, पटियाला तथा कला एवं संस्कृति विभाग, पांडिचेरी से थे; शेष चार निजी प्रत्याशी थे ।

19.7 इसके अलावा राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अभिलेख प्रबंधन पर नामांकित अभिलेख अधिकारियों हेतु 9 पाँच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम भी आयोजित किये । इन पाठ्यक्रमों में कुल 117 विभागीय अभिलेख अधिकारियों ने हिस्सा लिया । वर्ष 2002 के दौरान अभिविन्यास पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-IV पर दी गई है ।

19.8 निम्नलिखित 79 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा परिचालित विभिन्न इन सर्विस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त पर भेजने की स्वीकृति प्रेषित की है - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, श्रम, खान, संसदीय कार्य, विद्युत, रेलवे (रेलवे बोर्ड), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी एवं जल संसाधन मंत्रालय; कृषि एवं सहकारिता, कृषि अनुसंधान व शिक्षा, पशुपालन व डेयरी, वाणिज्य, औद्योगिक नीति व प्रोन्नयन, व्यय, संस्कृति, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा अंतरिक्ष विभाग; आपूर्ति प्रभाग (वाणिज्य विभाग), राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, योजना आयोग, वायु सेना मुख्यालय, नागरिक विमानन तथा आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय; रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, तट रक्षक मुख्यालय, अंचल परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान संस्थान, तथा विकास आयुक्त कार्यालय, लघु उद्योग, सभी नई दिल्ली स्थित कार्यालय; लौह एवं इस्पात क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली, कोलकाता ; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय (चेन्नई-1), बी.सी.जी.टी.का प्रयोगशाला, केन्द्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण संस्थान, सभी चेन्नई स्थित; जूट आयुक्त कार्यालय, कोलकाता; भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, सभी मुंबई में; केन्द्रीय मत्स्य तटीय अभियांत्रिकी संस्थान, बंगलोर; केन्द्रीय मत्स्य नाविक तथा अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, नारियल विकास बोर्ड तथा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सभी कोची में; मुख्य महा पोस्टमास्टर कार्यालय (उ.प्र. सर्किल) लखनऊ, (हरियाणा सर्किल) अम्बाला, (केरल सर्किल) तिरुवनंतपुरम तथा (बिहार सर्किल) पटना; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय उपकार्यालय, कोची, लखनऊ तथा गुवाहाटी; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा (ज़िला सम्बलपुर), कनिष्ठ महापोस्टमास्टर कार्यालय, वाराणसी, इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण तथा विकास केन्द्र कार्यालय, मोहाली, सेना उड़न योग्यता क्षेत्रीय केन्द्र, सुल्तानपुर, अन्त्य प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरत तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (के.) कार्यालय, सभी चंडीगढ़ में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद; केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय तथा भारतीय खान ब्यूरो, दोनों नागपुर में; नमक आयुक्त कार्यालय तथा अ.जा./ अ.ज.जा.अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, दोनों जयपुर में; पत्तन स्वास्थ्य संगठन मण्डपम कैम्प (जिला रामनाथपुरम); तथा मर्मागोवा (गोवा), विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली; संयुक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दोनों जबलपुर में; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर; राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसमविज्ञान संस्थान तथा केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र, सभी पुणे में; सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, दोनों हैदराबाद में; मुख्य अभियंता तथा प्रशासक अंदमान लक्षद्वीप बंदरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर तथा प्रकाश पोत एवं प्रकाश स्तंभ महानिदेशालय, नोयडा; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी तथा लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर, तिरुवनंतपुरम ।

19.9 Out of 49 replies received from Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc., 18 organisations have intimated that they have full time trained Records Officers. These are:- Food Corporation of India, Indian Institute of Mass Communication, IRCON International Ltd., Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., and Water Power Consultancy Services (India) Ltd., all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology and Office of the Development Commissioner, MEPZ, Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, both in Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. and Smith Stanistreet Pharmaceutical Ltd., both in Kolkata; Indian Rare Earths Ltd., Hindustan Petroleum Corporation Ltd. and Cotton Corporation of India Ltd., all in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Ambalamugal (Kochi); Bharat Dynamics Ltd. and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, both in Hyderabad; Central Silk Board, Bangalore; National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar and National Academy of Sciences India, Allahabad.

19.10 19 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have sent 'NIL' reply. These are:- Project Equipment Corporation Ltd., Indian Nursing Council and Council of Scientific Industrial Research, all in New Delhi; Falta Special Economic Zone, Kolkata; Mazagaon Dock Ltd. and Shipping Corporation of India, both in Mumbai; Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Kochi; Sponge Iron India Ltd., Hyderabad; Visakhapatnam Dock Labour Board and Hindustan Shipyard Ltd., both in Visakhapatnam; Central Board for Workers Education, Nagpur; National Fertilizers Ltd. and National Institute for Training of Highway Engineers, both in Noida; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore; Wildlife Institute of India, Dehradun; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara; Pasteur Institute of India, Coonoor (Nilgiris, Tamil Nadu) and Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd., Mohan (District Almora).

19.11 Another Category of Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. who have informed that the provisions of the Public Records Act, 1993 in this regard are not applicable to them, are: - Rail Tel Corporation of India Ltd., New Delhi; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai; Office of the General Manager Telecom, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Amritsar; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Airfield, Rae Bareilly and Dredging Corporation of India, Visakhapatnam.

19.12 Hindustan Cables Ltd, Kolkata have forwarded vague reply. National Institute of Unani Medicine, Bangalore and Mormugao Port Trust, Goa have informed that the action in this regard will be taken in due course.

19.13 3 Public Sector Undertakings have informed that they do not have trained Records Officers and are willing to get them trained. These are:- Indian Institute of Technology Madras, Chennai; Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi and Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur.

19.9 सार्वजनिक क्षेत्र के जिन 49 उपक्रमों/ सांविधिक निकायों इत्यादि से प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ उनमें से 18 संगठनों ने सूचित किया कि उनके यहाँ पूर्णकालिक प्रशिक्षित अभिलेख अधिकारी हैं। ये संगठन इस प्रकार हैं - भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जन संचार संस्थान, इस्कॉन इंटरनेशनल लि., भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम लि., एवं जलविद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लि., सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तथा विकास आयुक्त एम.ई.पी.जेड., विशेष आर्थिक अंचल तथा एच.ई.ओ.यू. तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दोनों चेन्नई में; बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल लि. तथा स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल लि., दोनों कोलकाता में; भारतीय दुर्लभ मृदा लि., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि. तथा भारतीय कपास निगम लिमिटेड, सभी मुंबई में; हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन अंबलमुगल (कोची); भारत डायनामिक्स लि. तथा अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र, दोनों हैदराबाद में; केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर; राष्ट्रीय अल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर तथा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद।

19.10 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 19 उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की है -परियोजना सामग्री निगम लि., भारतीय नर्सिंग परिषद तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सभी नई दिल्ली में; फाल्टा विशेष आर्थिक अंचल, कोलकाता; मझगांव डॉक लेबर बोर्ड तथा भारतीय जहाजरानी निगम लि., दोनों मुंबई में; उर्वरक तथा रसायन त्रावणकोर लि. कोची; स्पांज आयरन इंडिया लि., हैदराबाद; विशाखापट्टनम डॉक लेबर बोर्ड तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., दोनों विशाखापट्टनम में; केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर; राष्ट्रीय उर्वरक लि. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, दोनों नोयडा में; इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे; जवाहरलाल नेहरू अग्रवर्ती अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर; भारतीय वन्यजीव अनुसंधान केन्द्र, देहरादून; सरदार सरोवर विनिर्माण सलाहकार समिति, वदोदरा; भारतीय चारागाह संस्थान, कूनूर (नीलगिरि, तमिलनाडु) तथा भारतीय औषध फार्मास्यूटिकल निगम लि., मोहन (ज़िला अल्मोड़ा)।

19.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि की एक ऐसी श्रेणी है जिन्होंने यह सूचित किया है कि लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते। वे संगठन इस प्रकार हैं - रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली; सोसायटी फॉर अप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई; दूरसंचार महाप्रबंधक कार्यालय, भारत संचार निगम लिमिटेड, अमृतसर; इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, फुर्सतगंज वायुक्षेत्र, रायबरेली तथा ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम।

19.12 हिन्दुस्तान केबल लि., कोलकाता ने अस्पष्ट उत्तर का प्रेषण किया। यूनानी औषध राष्ट्रीय संस्थान, बंगलोर तथा मोर्मूगाव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा ने सूचित किया कि इस संबंध में समय आने पर कार्रवाई की जायेगी।

19.13 सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उपक्रमों ने यह सूचित किया कि उनके यहाँ प्रशिक्षित अभिलेख अधिकारी नहीं हैं तथा वे उन्हें प्रशिक्षण दिलवाने के लिये इच्छुक हैं। वे इस प्रकार हैं - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई; हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि., राँची, तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लि., नागपुर।

ARCHIVAL AWARENESS

As envisaged in Section 3(2) (d) of the Public Records Act, 1993 the Director General of Archives is authorised to hold exhibitions of Public Records to create Archival Awareness among the common people. During the period under report, National Archives of India mounted the following exhibitions and also undertook other activities as detailed below.

- 20.1 An exhibition entitled 'Hamari Dharohar Hindi' based on the material available in National Archives of India was inaugurated by Hon'ble Union Minister for Tourism and Culture, Shri Jagmohan on 26 April, 2002. The exhibits on display includes letters of eminent Hindi litterateurs; Hindi literature proscribed by the Raj, Rare books and manuscripts as well as journals and newspapers in Hindi. The same exhibition was displayed in the Vigyan Bhawan Annexe on 10 July, 2002 on the occasion of the meeting of the Hindi Salahkar Samiti of Department of Culture. The exhibition was also mounted at Record Centre, Pondicherry (16-27 September, 2002) and Andhra Pradesh State Archives, Hyderabad (28-31 October, 2002).
- 20.2 The exhibition entitled 'C.Y. Chintamani: A Liberal Leader and Pioneer Journalist' was organised by National Archives of India and was inaugurated by Shri N. Gopalaswami, Secretary, Department of Culture, on 4 June, 2002. The exhibition remained open to the public till 14 June, 2002 and had a galaxy of visitors, including Shri Nitish Kumar, Hon'ble Minister of Railways, Shri Sompal, Member, Planning Commission, Shri Jaipal Reddy, Member of Parliament (Lok Sabha), Shri T.N. Chaturvedi, the then Member of Parliament (Rajya Sabha), Shri G.V.G. Krishnamurthy, Former Chief Election Commissioner, Nawab Mansoor Ali Khan Pataudi and Members of the family of late Shri Chintamani.
- 20.3 On the occasion of the Birth Centenary celebrations of Loknayak Jayaprakash Narayan, an exhibition entitled 'Jayaprakash Narayan: Revolutionary and Loknayak' was inaugurated by Shri Bhairon Singh Shekhawat, Hon'ble Vice President of India on 11 October, 2002. The Hon'ble Vice President also released a brochure on the exhibition brought out on the occasion. A set of commemorative coins was also released on the occasion in the presence of Shri Lal Krishna Advani, Hon'ble Deputy Prime Minister of India. Shri Chandrashekhar, Former Prime Minister of India, Shri Jagmohan, Hon'ble Minister for Tourism and Culture, Government of India, Governors of Uttaranchal, Karnataka, Madhya Pradesh, Shri Nanaji Deshmukh, an eminent social worker, etc.
- 20.4 On the occasion of Archives Week, celebrated during the 3rd week of November, an exhibition on 'C.Y. Chintamani: A Liberal Leader and Pioneer Journalist' was organised by our Regional Office, Bhopal and Record Centres Bhubaneswar, Jaipur and Pondicherry.
- 20.5 Shri H.D. Singh, Director General of Archives attended the following meeting/functions:-

अभिलेखीय जागरूकता

जैसा कि लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (घ) में अनुबंधित है, अभिलेख महानिदेशक को आम जनता में अभिलेखीय जागरूकता उत्पन्न करने के लिये लोक अभिलेखों पर आधारित प्रदर्शनियाँ आयोजित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया व गतिविधियाँ चलाई -

20.1 दिनांक 26 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध सामग्रियों पर आधारित 'हमारी धरोहर: हिन्दी' नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जगमोहन द्वारा किया गया। इसमें दर्शाई गई सामग्रियों में प्रख्यात हिन्दी साहित्यकारों के पत्र; राज द्वारा प्रतिबंधित साहित्य के साथ-साथ हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ व समाचारपत्र तथा दुर्लभ पुस्तकें व पांडुलिपियाँ शामिल थीं। इस प्रदर्शनी को संस्कृति विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 10 जुलाई, 2002 को विज्ञान भवन में हुई बैठक में भी लगाया गया। यह प्रदर्शनी पांडिचेरी स्थित अभिलेख केन्द्र (16-27 सितम्बर, 2002) तथा आंध्रप्रदेश राज्य अभिलेखागार, हैदराबाद (28-31 अक्टूबर, 2002) में भी लगाई गई।

20.2 दिनांक 4 जून, 2002 को 'सी.वाई.चिंतामणि: एक उदारवादी नेता व अग्रणी पत्रकार' नामक राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति विभाग के सचिव श्री एन. गोपालास्वामी द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी आम जनता के लिये 14 जून, 2002 तक खुली रही तथा इसे देखने कई गणमान्य व्यक्ति, यथा- श्री नितीश कुमार, मा0 रेल मंत्री, श्री सोमपाल, सदस्य, योजना आयोग, श्री जयपाल रेड्डी, सांसद (लोकसभा), श्री टी.एन. चतुर्वेदी, तत्काल सांसद (राज्यसभा), श्री जी.वी.जी.कृष्णमूर्ति, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, नवाब मंसूर अली खॉ पटौदी तथा स्व. श्री चिंतामणि के परिवार के सदस्य आये।

20.3 दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मशती के अवसर पर आयोजित 'जयप्रकाश नारायण: क्रांतिकारी व लोकनायक' नामक प्रदर्शनी का भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री भैरोंसिंह शेखावत द्वारा उद्घाटन किया गया। माननीय उपराष्ट्रपति ने प्रदर्शनी पर जारी एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। इसी अवसर पर भारत के माननीय उप प्रधान मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवानी, श्री चंद्रशेखर, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, श्री जगमोहन, माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, भारत सरकार, उत्तरांचल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश के राज्यपालों तथा श्री नानाजी देशमुख, प्रख्यात समाजसेवी इत्यादि की उपस्थिति में स्मृति सिक्कों का एक सेट भी जारी किया गया।

20.4 हमारे, भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय तथा भुवनेश्वर, जयपुर व पांडिचेरी स्थित अभिलेख केन्द्रों में नवम्बर के तीसरे सप्ताह में आयोजित अभिलेख सप्ताह के अवसर पर 'सी.वाई. चिंतामणि: एक उदारवादी नेता व अग्रणी पत्रकार' नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

20.5 श्री एच.डी. सिंह, अभिलेख महानिदेशक ने निम्नलिखित बैठकों/ समारोहों में शिरकत की:-

- (i) A talk delivered by Mr. John Hume, Winner of the Gandhi Peace Prize, at India International Centre on 2 February, 2002. The function was presided over by the Union Minister of Tourism and Culture.
- (ii) The handing over ceremony of 154 CD-ROMs from the Ambassador of Germany to Dr. L.M. Singhvi, President, Indira Gandhi National Centre for the Arts, on 9 February, 2002.
- (iii) Meetings of the Board of Management of the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology held on 18 February, 2002, 22 March, 2002, 10 June 2002 and 24 September, 2002 respectively at National Museum, New Delhi.
- (iv) Meeting of the newly constituted Indian Council for Historical Research held on 26 March, 2002 held at the India International Centre, New Delhi.
- (v) Meeting regarding setting up of a Science and Technology Advisory Committee in the Department of Culture held on 5 June, 2002 held in the chamber of Secretary (Culture), Shastri Bhawan, New Delhi.
- (vi) Meeting of States Names Authority held on 5 July, 2002 held at Delhi Sachivalaya in New Delhi under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister, Government of NCT, New Delhi.
- (vii) Meeting regarding the proposed mobile exhibition on 'India's Contribution to the Arabic and Islamic Thought' held on 12 August, 2002 in Ministry of External Affairs, New Delhi. (Attended along with Shri S.M.R. Baqar, Deputy Director of Archives).
- (viii) Meeting of the Indian Council of Historical Research held on 12 September, 2002 at Bangalore.
- (ix) The closing ceremony of the workshop on 'Conservation of Manuscripts and Books' held on 30 September, 2002 at the Vrindavan Research Institute, Vrindavan
- (x) First meeting of the Expert Committee under the scheme of 'Promotion and Strengthening of Regional and Local Museums for 2002-2003' held on 22 October, 2002 at Central Secretariat Library, Shastri Bhawan, New Delhi.
- (xi) Meeting of the Selection Committee for the post of Assistant Keeper in Nehru Memorial Museum and Library, held on 26 October, 2002 at Teen Murti House, New Delhi.
- (xii) Delivered lecture to the staff undergoing the Refresher Course in History at the Academic Staff College, University of Mysore, Mysore, on 28 November, 2002.
- (xiii) Inaugural function of three-day seminar on 'North-East: Challenges and Response' organised by Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi on 19 December, 2002.

20.6 Dr. Shitla Prasad, Deputy Director of Archives, attended the following meetings:-

- (i) Presentation meeting of 'Parzor Project' relating to 'Preservation of Parsee Zoroastrian Culture and Heritage' on 10 May, 2002 at Sahitya Academy, New Delhi.

- (i) 2 फरवरी, 2002 को श्री जॉन ह्यूम, गाँधी शांति पुरस्कार विजेता द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिया गया भाषण । इस समारोह की अध्यक्षता पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री द्वारा की गई ।
- (ii) 9 फरवरी, 2002 को जर्मनी के राजदूत द्वारा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के अध्यक्ष डॉ. एल.एम.सिंघवी को 154 सी.डी.रॉमों के अर्पण के अवसर पर आयोजित समारोह ।
- (iii) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में दिनांक 18 फरवरी, 2002, 22 मार्च, 2002, 10 जून, 2002 तथा 24 सितम्बर, 2002 को राष्ट्रीय संग्रहालय कला इतिहास संरक्षण व संग्रहालय विज्ञान संस्थान के प्रबंधन बोर्ड की आयोजित बैठकें ।
- (iv) नवगठित भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की 26 मार्च, 2002 को इंडिया इंटर नेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित बैठक ।
- (v) 5 जून, 2002 को सचिव (संस्कृति), शास्त्री भवन के कक्ष में संस्कृति विभाग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति के गठन के बारे में आयोजित बैठक ।
- (vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली की मा. मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में 5 जुलाई, 2002 को दिल्ली सचिवालय में राज्य नाम प्राधिकरण की आयोजित बैठक ।
- (vii) 'अरब व इस्लामी दर्शन में भारत का योगदान' विषय पर प्रस्तावित चल प्रदर्शनी के सिलसिले में 12 अगस्त, 2002 को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित बैठक (श्री एस.एम.आर.बाकर, अभिलेख उपनिदेशक के साथ भाग लिया) ।
- (viii) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की 12 सितम्बर, 2002 को बंगलोर में आयोजित बैठक ।
- (ix) वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन में 'पांडुलिपि एवं पुस्तक संरक्षण' पर आयोजित कार्यशाला का समापन समारोह ।
- (x) दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 को केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में 'वर्ष 2002-2003 के लिये क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालय प्रोन्नयन व सुदृढीकरण' योजना के तहत आयोजित विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक ।
- (xi) 26 अक्टूबर, 2002 को तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के असिस्टेंट कीपर के पद के चयन समिति की बैठक ।
- (xii) 28 नवम्बर, 2002 को मैसूर विश्व विद्यालय के अकादमिक स्टाफ कॉलेज में इतिहास में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग ले रहे स्टाफ के सदस्यों के समक्ष एक व्याख्यान दिया ।
- (xiii) नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली द्वारा ' नार्थ ईस्ट:चैलेंजेज एंड रिस्पांस' विषय पर 19 दिसम्बर, 2002 को आयोजित त्रिदिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

20.6 डॉ. शीतला प्रसाद, अभिलेख उपनिदेशक ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:-

- (i) दिनांक 10 मई, 2002 को साहित्य अकादमी, नई दिल्ली में 'पारसी तथा जोरास्ट्रियन संस्कृति एवं विरासत' पर 'पारज़र प्रोजेक्ट' से संबंधित प्रेज़ेंटेशन मीटिंग में भाग लिया ।

- (ii) Workshop on 'Review of Indian Studies by Foreign Scholars: Prospects and Problems' organized by American Institute of Indian Studies on 22 May, 2002 at Gurgaon (Haryana).

20.7 Shri S.M.R. Baqar, Deputy Director of Archives attended the meeting of Organizing Committee for the proposed mobile exhibition to different Islamic Countries on the theme 'India's Contribution to Islam' held at Jamia Millia Islamia, New Delhi on 15 July, 2002.

20.8 Shri S.K. Khatri, Assistant Director of Archives attended the meeting of the Governing Council and Research Society of Vrindavan Research Institute, held on 2 June, 2002 at Vrindavan.

20.9 Shri Sanjay Garg, Assistant Director of Archives attended the 11th meeting of the Joint Advisory Committee of the Integrated Labour History Research Programme held at V.V. Giri National Labour Institute, Noida on 15 November, 2002.

20.10 Shri N.S. Mani, Microphotographer and Shri S. Sarkar, Library Information Assistant, attended meeting on Central Government Libraries, organized by Central Secretariat Library on 16 December, 2002.

(ii) दिनांक 22 मई, 2002 को गुड़गाँव (हरियाणा) में अमरीकन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ द्वारा 'रिव्यू ऑफ इंडियन स्टडीज़ बाय फॉरन स्कॉलर्स: प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स' विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया ।

20.7 श्री एस.एम.आर. बाकर, अभिलेख उपनिदेशक ने 'इस्लाम में भारत के योगदान' विषय पर विभिन्न इस्लामी देशों में आयोजन के लिये प्रस्तावित चल प्रदर्शनी की आयोजन समिति की 15 जुलाई, 2002 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

20.8 श्री एस.के.खत्री, अभिलेख सहायक निदेशक ने 2 जून, 2002 को वृंदावन शोध संस्थान की शासी परिषद की वृंदावन में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

20.9 श्री संजय गर्ग, अभिलेख सहायक निदेशक ने 15 नवम्बर, 2002 को वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोयडा में इंटिग्रेटेड लेबर हिस्ट्री रिसर्च प्रोग्राम की संयुक्त सलाहकार समिति की 11 वीं बैठक में भाग लिया ।

20.10 श्री एन.एस. मणि, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट तथा श्री एस. सरकार, पुस्तकालय सूचना सहायक ने 16 दिसम्बर, 2002 को केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार द्वारा केन्द्रीय सरकार के पुस्तकालयों पर आयोजित बैठक में भाग लिया ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

PRIORITIES

The importance of records management in the overall office administration cannot be overemphasised, nor could its role in optimising the administrative efficiency of an organisation be questioned. Yet the attention paid to this vital component of public administration in our country remains far from satisfactory. As a nodal agency for the implementation of the Public Records Act, 1993, the National Archives of India had been constantly endeavouring to create awareness about the need for public records management on the one hand, while on the other it had been sharing its knowledge and expertise for capacity building and institutionalising the records management activities in the Union Government organisations.

In my earlier reports, I have repeatedly expressed my dismay on the poor response by the records creating agencies in sending their returns on records management activities. The situation has changed very little this year. While there is a slight increase in the response received from main ministries/ departments of the Government of India, yet 49 of a total of 81 ministries/ departments, or almost sixty per cent of them did not respond at all. The position with regard to the attached/ subordinate offices was still more discouraging. Out of a total of 1,337 organisations that were requested to send in their reports, only 102, or just eight per cent did so, and there too, the records management activities were given very low priority. Similar was a case of the public sector undertakings/ committees/ commissions etc., where just 49 out of 500, all less than 10 per cent organisations sent their response.

The analysis of the response received from the various records creating agencies that has been given in the preceding pages, reveals that much remains to be done to augment the records management activities in the public institutions. With the enactment of the Freedom of Information Act, 2002, the Government of India has re-dedicated itself to promote openness, transparency and accountability in administration, so as to provide for freedom to every citizen to secure access to information under the control of the public authorities. The records are the carriers of this information, and since the functions of the Government are expanding day-by-day, the creation quantum of the records marks a corresponding increase. Thus, the need for their proper and effective management is more crucial now than it was ever before.

Therefore, I would like to make an earnest appeal to all the ministries/ departments of the Government of India, not only to implement the various provisions of the Public Records Act, 1993, in their own organisations, but also ensure that all the attached/ subordinate offices as well as the public sector undertakings/ statutory bodies etc. under their administrative control also implement these provisions.

21.1 The nomination of departmental records officer by all the records creating agencies falling within the purview of the Public Records Act, 1993 still remains the key priority area, and though the figures in this regard have shown an appreciable progress during the period under report, it still leaves about 1,222 organisations or sixty-three per cent records creating agencies that do not have any departmental records officer. Therefore, I once again urge all those organisations who have so far not nominated their departmental records officers to do so without any further delay under intimation to the National Archives of India.

प्राथमिकताएँ

कार्यालय के समूचे प्रशासन में अभिलेख प्रबंधन के महत्व को कतई कम करके नहीं आंका जा सकता, और न ही किसी भी संगठन की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर ही सवाल उठाया जा सकता है। पर इस सब के बावजूद हमारे देश में लोक प्रशासन के इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर जितना ध्यान दिया जाता है वह संतोषजनक नहीं है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 को लागू करने हेतु उत्तरदायी नोडल एजेंसी के तौर पर राष्ट्रीय अभिलेखागार जहाँ एक ओर लगातार लोक अभिलेख प्रबंधन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करता रहा है वहीं दूसरी ओर संघ सरकार के संगठनों में अभिलेख प्रबंधन की गतिविधियों के संचालन के लिए संगठनात्मक स्वरूप के निर्माण तथा क्षमता निर्माण के लिए भी अपनी जानकारी तथा विशेषज्ञता की भागीदारी करता रहा है।

इससे पहले के प्रतिवेदनों में मैंने अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों के संबंध में अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा भेजे जा रहे रिटर्न के अत्यल्प परिमाण को लेकर बार-बार अपनी चिंता जताई है। इस साल स्थिति में बहुत थोड़ा फर्क आया है। भारत सरकार के मुख्य मंत्रालयों/ विभागों की ओर से प्राप्त प्रत्युत्तरों में जहाँ थोड़ी-सी वृद्धि हुई है, वहीं कुल 81 मंत्रालयों/ विभागों में से 49 यानी लगभग साठ प्रतिशत ने तो कोई जवाब भी नहीं प्रेषित किया। संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में तो स्थिति और भी हतोत्साहित करने वाली रही रही है। 1,337 संगठन, जिनसे रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया गया था, में से केवल 102 यानी महज आठ प्रतिशत ने उत्तर प्रेषित किया, और उनके यहाँ भी अभिलेख प्रबंधन को बहुत ही निम्न प्राथमिकता दी गई। ऐसी ही स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ समिति/ आयोग इत्यादि की रही, जहाँ 500 में से सिर्फ 49 ने, यानी कुल 10 प्रतिशत से भी कम संगठनों ने अपना प्रत्युत्तर भेजा।

विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों से प्राप्त प्रत्युत्तरों का विश्लेषण, जिसे पहले के पन्नों में संजोया गया है, से यह पता चलता है कि लोक संस्थानों में अभिलेख प्रबंधन गतिविधि के संवर्धन के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। सूचना स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 का अधिनियमन कर भारत सरकार ने वस्तुतः प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व की भावना के लिए अपने-आप को वचनबद्ध किया है ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुँच की स्वतंत्रता हासिल हो सके। अभिलेख सूचनाओं के वाहक होते हैं और चूंकि सरकार का काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है अतः उसी हिसाब से अभिलेख सृजन के परिमाण में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए आज उनके समुचित व प्रभावी प्रबंधन के कार्य की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

अतः मैं भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/ विभागों से पुरजोर अपील करता हूँ कि वे न सिर्फ अपने संगठन में लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन करें बल्कि अपने प्रशासनिक नियंत्रण के समस्त सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सांविधिक निकायों इत्यादि में भी उन प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।

21.1 लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा विभागीय अभिलेख अधिकारियों का नामांकन अभी भी मूल प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनना शेष है। यद्यपि रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आंकड़ों में प्रशंसनीय सुधार हुआ है पर अभी भी 1,222 संगठन यानी साठ प्रतिशत अभिलेख सर्जक एजेंसियों के पास कोई विभागीय अभिलेख अधिकारी नहीं है। अतः मैं एक बार पुनः उन सभी संगठनों, जिन्होंने अभी तक अपने यहाँ विभागीय अभिलेख अधिकारियों को नामांकित नहीं किया है, से यह अपील करता हूँ कि वे बिना और विलम्ब किये विभागीय अभिलेख अधिकारियों का नामांकन करें और इसकी सूचना राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रेषित करें।

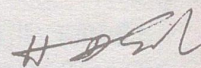
21.2 The training of all the departmental records officers appointed under the Public Records Act, 1993 is of equal importance towards equipping the person with adequate records management skills for the implementation of the Act. The National Archives of India has been providing free of cost training to the departmental records officers under three/ five-day orientation courses, but only sixty-seven per cent organisations have got their departmental records officers trained in these courses. I sincerely hope that all the departmental records officers appointed by the records creating agencies receive training in records management provided by the National Archives of India.

21.3 Another priority area for an effective records management programme is related to infrastructural development, and thus a well organised departmental records room in every organisation is an indispensable requirement. To improve the records storage conditions, the records creating agencies can solicit the technical guidance from the National Archives of India, as also receive financial support from the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India, under its 'Modernisation of Government Offices' scheme. A close monitoring by respective heads of administration of the organisation would definitely produce encouraging results.

21.4 All classified records of an organisation are required to be reviewed by an officer appointed especially under the Public Records Rules, 1997 for this purpose. The officers so appointed are required to undertake review of the classified files at least once in five years, and also submit a report on the action taken by them. Our analysis shows that this activity has not received due priority from the records creating agencies. Needless to state here that immediate attention should be given to the review and de-classification of classified records, especially in the light of the Freedom of Information Act, 2002.

21.5. The transfer of records that have been appraised and marked for permanent retention, to the National Archives of India also needs to be attended on priority basis. The organisations should not hold any record beyond the stipulated twenty-five years. Once appraised, all records of enduring value should be consigned to the scientific care of the National Archives of India, the official custodian, while those of the ephemeral value should be destroyed by the records creating agencies as per the prescribed procedure. Therefore, I call upon all those organisations where such records are awaiting transfer, to transfer them to National Archives of India, lest the precious information contained therein is lost irrevocably.

21.6. Finally, I would like to emphasise that various provisions of the Public Records Act, 1993 are aimed at improving the records management in all the records creating agencies of the Government of India, and by implementing them they would only be helping themselves. I would like to request them to enlist all above cited items of work in their priority list. I can assure that the National Archives of India is always willing to walk that extra mile that may be required to achieve the common objective of better governance through an efficient records management.



(H.D. Singh)

Director General of Archives
Government of India

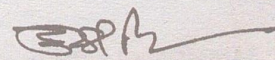
21.2 लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत नियुक्त सभी विभागीय अभिलेख अधिकारियों को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त अभिलेख प्रबंधन कौशल से युक्त करने की दृष्टि से प्रशिक्षित करने का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय अभिलेखागार तीन/ पाँच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रमों के जरिये विभागीय अभिलेख अधिकारियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देता रहा है। लेकिन इन पाठ्यक्रमों में अभी तक महज सड़सठ प्रतिशत संगठनों ने अपने विभागीय अभिलेख अधिकारियों को प्रशिक्षित करवाया है। मैं यह आशा करता हूँ कि अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा नियुक्त सभी विभागीय अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अभिलेख प्रबंधन में उपलब्ध कराये जा रहे प्रशिक्षण को ग्रहण करेंगे।

21.3 प्रभावशाली अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम से जुड़ा एक अन्य प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, अवसंरचनात्मकता का विकास और इस दृष्टि से प्रत्येक संगठन के पास एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष का होना अपरिहार्य है। अभिलेख भंडारण की स्थितियों में सुधार लाने के लिए अभिलेख सर्जक एजेंसियाँ न सिर्फ राष्ट्रीय अभिलेखागार से तकनीकी दिशा निर्देश हासिल कर सकती हैं बल्कि वे भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की सरकारी कार्यालय-आधुनिकीकरण योजना के तहत वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकती हैं। सभी संगठनों के प्रशासनिक प्रमुख द्वारा इस संबंध में स्थिति पर ध्यानपूर्वक निगाह रखने से निश्चय ही उत्साहवर्धक परिणाम उभर कर सामने आयेंगे।

21.4 किसी भी संगठन के वर्गीकृत अभिलेखों का पुनरीक्षण लोक अभिलेख नियम, 1997 के तहत विशेष रूप से नियुक्त एक अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये। यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार नियुक्त अधिकारी द्वारा पांच साल में कम से कम एक बार वर्गीकृत अभिलेखों का पुनरीक्षण किया जाये तथा वे अपनी कार्रवाई से संबंधित एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। हमारे विश्लेषण यह इंगित करते हैं कि अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा इस गतिविधि को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं प्रदान की जाती है। यहाँ यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि अभिलेखों के पुनरीक्षण तथा विवर्गीकरण पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है खास तौर पर सूचना स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 के परिप्रेक्ष्य में तो यह आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।

21.5 वैसे अभिलेख, जिनका मूल्यांकन किया जा चुका है तथा जिन्हें स्थाई प्रतिधारण के लिए चिह्नित किया गया है, को राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरित किये जाने पर भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। संगठनों को अभिलेखों को निर्धारित पच्चीस वर्षों से अधिक अपने पास नहीं रखना चाहिए। मूल्यांकित होते ही समस्त स्थाई प्रकृति, के महत्वपूर्ण अभिलेखों को राष्ट्रीय अभिलेखागार, जो उनका अधिकारिक संरक्षक है, के पास वैज्ञानिक देख रेख में रखे जाने के लिए हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए तथा वैसे अभिलेख जो अल्पकालिक प्रकृति के हैं, को अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार विनष्ट कर देना चाहिए। अतः ऐसे समस्त संगठनों से जिनके यहाँ हस्तांतरण के लिए अभिलेख मौजूद हैं, मैं अपील करता हूँ कि इससे पहले कि उनमें निहित सूचनाएं सर्वदा के लिए खो जायें, वे उन अभिलेखों को राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरित कर दें।

21.6 और अंत में मैं इस बात को बलपूर्वक कहना चाहूँगा कि लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य भारत सरकार की सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों के अभिलेख प्रबंधन में सुधार लाना है तथा इनके अनुपालन द्वारा वे स्वयं अपने आप को भी लाभ ही पहुंचायेंगे। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहूँगा कि उमर उल्लिखित सभी बातों को वे अपनी प्राथमिकता की सूची में लायें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रभावशाली अभिलेख प्रबंधन के माध्यम से बेहतर प्रशासन लाने के साझे लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी ओर से अतिरिक्त प्रयत्न स्वरूप भागीदारी का हाथ बढ़ाने के लिए सदा तत्पर रहेगा।



(एच. डी. सिंह)

अभिलेख महानिदेशक
भारत सरकार

ANNEXURE-I

LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED INFORMATION
ON THE IMPLEMENTATION OF
PUBLIC RECORDS ACT, 1993.

A. Ministries/ Departments/ Offices**Ministry of Agriculture**

- 1 Department of Agricultural Research and Education, New Delhi.
- 2 Department of Animal Husbandry and Dairying, New Delhi.
- 3 Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.
- 4 Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (District Sambalpur).
- 5 Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat).
- 6 Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.
- 7 Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi.
- 8 Central Poultry Training Institute, Hessarghatta, Bangalore.
- 9 Coconut Development Board, Kochi.
- 10 Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office) Kochi.
- 11 Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Aliganj, Lucknow.
- 12 Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Bodinayakanur.
- 13 Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Guwahati.
- 14 Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Nasik Road.
- 15 Directorate of Pulses Development, Bhopal.
- 16 Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Hessarghatta, Bangalore.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

17. Department of Fertilizers, New Delhi.

Ministry of Civil Aviation

18. Ministry of Civil Aviation, New Delhi.
19. Commission of Railway Safety, Lucknow.
20. Office of the Director General of Civil Aviation, New Delhi.
21. Principal Accounts Office, New Delhi.

Ministry of Commerce and Industry

22. Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi.
23. Department of Commerce, New Delhi.
24. Supply Division (Department of Commerce), New Delhi.
25. Directorate General of Foreign Trade, New Delhi.
26. Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.
27. Office of the Custodian of Enemy Property For India, Mumbai.

Ministry of Communications and Information Technology

28. Electronics Test and Development Centre, Mohali.
29. Office of the Chief Post Master General (Bihar Circle), Patna.
30. Office of the Chief Post Master General (Haryana Circle), Ambala.
31. Office of the Chief Post Master General (Karnataka Circle), Bangalore.

**लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन पर सूचना प्रेषित करने वाले
संगठनों की सूची**

क: मंत्रालय / विभाग / कार्यालय

कृषि मंत्रालय

1. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
2. पशु पालन तथा डेयरी विभाग, नई दिल्ली
3. कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली
4. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा, (जिला संबलपुर)
5. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड, (जिला सूरत)
6. केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, बंगलोर
7. केन्द्रीय मत्स्य पालन, नाविक एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण इकाई, कोची
8. केन्द्रीय कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान, हस्सरघट्टा, बंगलोर
9. नारियल विकास बोर्ड, कोची
10. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय), कोची
11. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय), अलीगंज, लखनऊ
12. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय), बोदीनायकनूर
13. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय), गुवाहाटी
14. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय), नासिक रोड
15. दलहन विकास निदेशालय, भोपाल
16. यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट पालन कार्य निष्पादन परीक्षण केन्द्र, हस्सरघट्टा, बंगलोर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

17. उर्वरक विभाग, नई दिल्ली

नागर विमानन मंत्रालय

18. नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली
19. रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ
20. नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय, नई दिल्ली
21. प्रधान लेखा कार्यालय, नई दिल्ली

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

22. औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन विभाग, नई दिल्ली
23. वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली
24. पूर्ति प्रभाग, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली
25. विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली
26. पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली
27. भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, मुम्बई

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

28. इलैक्ट्रानिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र, मोहाली
29. मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, (बिहार सर्कल) पटना
30. मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, (हरियाणा सर्कल), अंबाला
31. मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, (कर्नाटक सर्कल), बंगलोर

32. Office of the Chief Post Master General (Kerala Circle), Thiruvananthapuram.
33. Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar.
34. Office of the Chief Post Master General (Tamil Nadu Circle), Chennai.
35. Office of the Chief Post Master General (U.P. Circle), Lucknow.
36. Office of the Chief Post Master General (Uttaranchal Circle), Dehradun.
37. Office of the Junior Post Master General, Varanasi.
38. Office of the Post Master General (Foreign Mails), Mumbai.

• **Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution**

39. Forward Markets Commission, Mumbai.

Ministry of Defence

40. Ministry of Defence, New Delhi.
41. Air Headquarters, New Delhi.
42. Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi.
43. Directorate of Administration (Naval Headquarters), New Delhi.
44. Directorate of Public Relations, New Delhi.
45. Joint Cipher Bureau, New Delhi.
46. Office of the Controller General of Defence Accounts, New Delhi.
47. Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur.
48. Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.

Ministry of Environment and Forests

49. Ministry of Environment and Forests, New Delhi.
50. Northern Regional Office, Chandigarh.

Ministry of External Affairs

51. Regional Passport Office, New Delhi.

Ministry of Finance and Company Affairs

52. Department of Expenditure, New Delhi.
53. Department of Economic Affairs, New Delhi.
54. Central Excise Commissionerate, Chandigarh.
55. Central Pension Accounting Office, New Delhi.
56. Directorate General of Income Tax (Vigilance), New Delhi.
57. Income Tax Settlement Commission, Mumbai.
58. Office of the Commissioner of Central Excise (Chennai-I), Chennai.
59. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur.
60. Office of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad.
61. Office of the Commissioner of Central Excise (Mumbai-I), Mumbai.
62. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji (Goa).
63. Office of the Commissioner of Income Tax (I), Madurai.
64. Office of the Commissioner of Income-Tax (C), Kolkata.
65. Office of the Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and NDPS Act, 1985, New Delhi.
66. Office of the Official Liquidator U.P. and Uttaranchal High Court, Allahabad and Nainital, Allahabad.

32. मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, (केरल सर्कल), तिरुवन्नतपुरम
33. मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, (उड़ीसा सर्कल), भुवनेश्वर
34. मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, (तमिलनाडु सर्कल), चेन्नई
35. मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, (यू पी सर्कल), लखनऊ
36. मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय (उत्तरांचल सर्कल), देहरादून
37. कनिष्ठ महापोस्ट मास्टर कार्यालय, वाराणसी
38. महापोस्टमास्टर कार्यालय, (विदेश डाक), मुम्बई

उपभोक्ता कार्य एवं जन वितरण मंत्रालय

39. अग्रवर्ती बाजार आयोग, मुंबई

रक्षा मंत्रालय

40. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
41. वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
42. सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, नई दिल्ली
43. प्रशासन निदेशालय, (नौसेना मुख्यालय), नई दिल्ली
44. जन संपर्क निदेशालय, नई दिल्ली
45. ज्वाइंट साइफर ब्यूरो, नई दिल्ली
46. रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली
47. सेना उड़न योग्यता क्षेत्रीय केन्द्र, सुल्तानपुर
48. सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

49. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली
50. उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़

विदेश मंत्रालय

51. क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली

वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय

52. व्यय विभाग, नई दिल्ली
53. आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली
54. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरात, चण्डीगढ़
55. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली
56. आयकर महानिदेशालय (सतर्कता), नई दिल्ली
57. आयकर निपटारा आयोग, मुम्बई
58. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय (चेन्नई-1), चेन्नई
59. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर
60. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद
61. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, (मुम्बई-1), मुम्बई
62. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी (गोवा)
63. आयकर आयुक्त कार्यालय, (स.), मदुरै
64. आयकर आयुक्त कार्यालय, (के.), कोलकाता
65. सक्षम प्राधिकरण, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम 1976 तथा नारकोटिक्स ड्रग्स, साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 नई दिल्ली
66. शासकीय परिसमापक यू.पी. तथा उत्तरांचल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा नैनीताल, इलाहाबाद

- 67. Office of the Official Liquidator, High Court of Mumbai at Nagpur.
- 68. Office of the Salt Commissioner, Jaipur.

Ministry of Health and Family Welfare

- 69. Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.
- 70. Airport Health Organization, Thiruchirapalli Airport, Thiruchirapalli.
- 71. BCG Vaccine Laboratory, Chennai.
- 72. Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur.
- 73. Office of the Senior Regional Director, Pune.
- 74. Port Health Organization, Jawaharlal Nehru Port (District Raigad).
- 75. Port Health Organization, Mandapam Camp (District Ramanathapuram, Tamil Nadu).
- 76. Port Health Organization, Marmagoa (Goa).
- 77. Regional Office, Shimla.

Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises

- 78. Department of Heavy Industry, New Delhi.

Ministry of Home Affairs

- 79. Ministry of Home Affairs, New Delhi.
- 80. Coast Guard Headquarters, New Delhi.
- 81. National Institute of Criminology and Forensic Sciences, Delhi.
- 82. Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi.
- 83. Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad.
- 84. Zonal Council Secretariat, New Delhi.

Ministry of Human Resource Development

- 85. Department of Secondary and Higher Education, New Delhi.
- 86. Central Institute of Indian Languages, Mysore.
- 87. Central Reference Library, Kolkata.

Ministry of Information and Broadcasting

- 88. Central Board of Film Certification, Mumbai.
- 89. National Film Archive of India, Pune.

Ministry of Labour

- 90. Ministry of Labour, New Delhi.
- 91. Advanced Training Institute, Mumbai.
- 92. Central Training Institute for Instructors, Guindy, Chennai.
- 93. Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Nagpur.
- 94. Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Jabalpur.
- 95. Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Jaipur.
- 96. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer.
- 97. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chandigarh.
- 98. Office of the Welfare Commissioner (Labour Welfare Organization), Allahabad.
- 99. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad.
- 100. Regional Vocational Training Institute for Women, Bangalore.
- 101. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur.
- 102. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Mumbai.

67. शासकीय परिसमापक, मुम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर

68. नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

69. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

70. विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली विमानपत्तन, तिरुचिरापल्ली

71. बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, चेन्नई

72. केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, संयुक्त निदेशालय कार्यालय, जबलपुर

73. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, पुणे

74. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, जवाहर लाल नेहरू पत्तन, (जिला रायगढ़)

75. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम कैम्प (जिला रामनाथपुरम, तमिलनाडु)

76. पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मर्मगोवा (गोवा)

77. क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

78. भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

79. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

80. तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली

81. राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान संस्थान, दिल्ली

82. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय कार्यालय, नई दिल्ली

83. सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद

84. आंचलिक परिषद् सचिवालय, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

85. माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली

86. भारतीय भाषा केन्द्रीय संस्थान, मैसूर

87. केन्द्रीय संदर्भ ग्रंथालय, कोलकाता

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

88. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुम्बई

89. राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे

श्रम मंत्रालय

90. श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली

91. अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई

92. केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, गिंडी, चेन्नई

93. अ.जा./ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, नागपुर

94. अ.जा./ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, जबलपुर

95. अ.जा./ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, जयपुर

96. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय), अजमेर

97. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय), चण्डीगढ़

98. कल्याण आयुक्त कार्यालय (श्रम कल्याण संगठन), इलाहाबाद

99. क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद

100. क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलोर

101. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर

102. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुम्बई

Ministry of Mines

- 103. Ministry of Mines, New Delhi.
- 104. Indian Bureau of Mines, Nagpur.

Ministry of Non-Conventional Energy Sources

- 105. Ministry of Non-Conventional Energy Sources, New Delhi.

Ministry of Parliamentary Affairs

- 106. Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension

- 107. Department of Personnel and Training, New Delhi.
- 108. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.

Ministry of Power

- 109. Ministry of Power, New Delhi.

Ministry of Railways

- 110. Railway Board, New Delhi.

Ministry of Road Transport and Highways

- 111. Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi.
- 112. Office of the Superintending Engineer (Chennai Region), Chennai.
- 113. Office of the Superintending Engineer (Civil), Kolkata
- 114. Office of the Superintending Engineer, Gandhinagar.

Ministry of Science and Technology

- 115. National Atlas and Thematic Mapping Organization, Kolkata.
- 116. Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.

Ministry of Shipping

- 117. Ministry of Shipping, New Delhi.
- 118. Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida.
- 119. Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair.

Ministry of Small Scale Industries

- 120. Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi.

Ministry of Statistics and Programme Implementation

- 121. Central Statistical Organization, Kolkata.

Ministry of Steel

- 122. Office of the Development Commissioner for Iron and Steel, Kolkata.
- 123. Office of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel, New Delhi.
- 124. Office of the Regional Development Commissioner for Iron and Steel, Chennai.

Ministry of Textiles

- 125. Office of the Jute Commissioner, Kolkata.

Ministry of Tourism and Culture

- 126. Department of Culture, New Delhi.

खान मंत्रालय

103. खान मंत्रालय, नई दिल्ली
 104. भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

105. अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली

संसदीय कार्य मंत्रालय

106. संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

107. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली
 108. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी

विद्युत मंत्रालय

109. विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली

रेल मंत्रालय

110. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

111. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली
 112. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय (चेन्नई क्षेत्र), चेन्नई
 113. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय (सिविल) कोलकाता
 114. अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय, गांधी नगर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

115. राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता
 116. भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे

जहाजरानी मंत्रालय

117. जहाजरानी मंत्रालय, नई दिल्ली
 118. प्रकाश स्तम्भ एवं प्रकाशपोत महानिदेशालय, नोयडा
 119. मुख्य अभियन्ता तथा प्रशासक कार्यालय अण्डमान लक्षद्वीप बन्दरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर

लघु उद्योग मंत्रालय

120. विकास आयुक्त कार्यालय, लघु उद्योग, नई दिल्ली

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

121. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता

इस्पात मंत्रालय

122. लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय, कोलकाता
 123. क्षेत्रीय लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली
 124. क्षेत्रीय लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय, चेन्नई

वस्त्र मंत्रालय

125. पटसन आयुक्त कार्यालय, कोलकाता

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय

126. संस्कृति विभाग, नई दिल्ली

Ministry of Water Resources

- 127. Ministry of Water Resources, New Delhi.
- 128. Central Water and Power Research Station, Pune.

Department of Space

- 129. Department of Space, Bangalore.
- 130. Liquid Propulsion Systems Centre, Thiruvananthapuram.

B. Other Organisations

- 131. President's Secretariat, New Delhi.
- 132. Secretariat of the Vice-President of India, New Delhi.
- 133. Prime Minister's Office, New Delhi.
- 134. Planning Commission.

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.**Ministry of Chemicals and Fertilizers**

- 135. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata.
- 136. Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Chennai.
- 137. Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal (Kochi).
- 138. National Fertilizers Limited, Noida.
- 139. Smith Stanistreet Pharmaceuticals Limited, Kolkata.
- 140. The Fertilizer and Chemicals Travancore Limited, Kochi.

Ministry of Civil Aviation

- 141. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Airfield, Rae Bareli.

Ministry of Commerce and Industry

- 142. Falta Special Economic Zone, Kolkata.
- 143. Office of the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, Chennai.
- 144. Project Equipment Corporation Limited, New Delhi.

Ministry of Communication and Information Technology

- 145. Centre for Materials for Electronics Technology, Pune.
- 146. Office of the General Manager, Telecom, Bharat Sanchar Nigam Ltd., Amritsar.
- 147. Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai.

Ministry of Defence

- 148. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.
- 149. Mazagaon Dock Limited, Mumbai.

Ministry of Environment and Forest

- 150. Wildlife Institute of India, Dehradun.

Ministry of Food Processing

- 151. Food Corporation of India, New Delhi.

जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली

127. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली
 128. केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे

अन्तरिक्ष विभाग

129. अन्तरिक्ष विभाग, बंगलोर
 130. लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर, तिरुवन्तपुरम

ख: अन्य संगठन

131. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
 132. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
 133. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
 134. योजना आयोग

ग: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / समिति / निगम / सांविधिक निकाय आदि**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

135. बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कोलकाता
 136. केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
 137. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, अंबलमुगल, कोची
 138. राष्ट्रीय उर्वरक लि., नोयडा
 139. स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि., कोलकाता
 140. त्रावणकोर उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, कोची

नागर विमानन मंत्रालय

141. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, फुर्सतगंज एयरफील्ड, रायबरेली

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

142. फाल्टा विशेष आर्थिक अंचल, कोलकाता
 143. विकास आयुक्त कार्यालय, एम इ पी जेड, विशेष आर्थिक अंचल तथा एच इ ओ यू तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अंडमान तथा निकाबार द्वीप समूह, चेन्नई
 144. परियोजना सामग्री निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

145. इलैक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे
 146. महाप्रबंधक कार्यालय, दूरसंचार, भारत संचार निगम लि., अमृतसर
 147. अनुप्रयुक्त सूक्ष्म तरंग इलैक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान समिति (समीर), मुम्बई

रक्षा मंत्रालय

148. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
 149. मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

150. भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय

151. भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली

Ministry of Human Resource Development

152. Indian Institute of Technology Madras, Chennai.

Ministry of Health and Family Welfare

153. Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Mohan (District Almora).
 154. Indian Nursing Council, New Delhi.
 155. National Institute of Unani Medicine, Bangalore.
 156. Pasteur Institute of India, Coonoor (Nilgiris, Tamil Nadu).

Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

157. Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi.
 158. Hindustan Cables Limited, Kolkata.

Ministry of Information and Broadcasting

159. Indian Institute of Mass Communication, New Delhi.

Ministry of Labour

160. Central Board for Workers Education, Nagpur.

Ministry of Mines and Minerals

161. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.
 162. National Aluminium Company Limited (NALCO), Bhubaneswar.

Ministry of Petroleum and Natural Gas

163. Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai.

Ministry of Railways

164. Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi.
 165. IRCON International Limited, New Delhi.
 166. Rail Tel Corporation of India Limited, New Delhi.

Ministry of Science and Technology

167. Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.
 168. International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad.
 169. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.
 170. National Academy of Sciences India, Allahabad.

Ministry of Shipping

171. Chennai Port Trust, Chennai.
 172. Dredging Corporation of India Limited, Visakhapatnam.
 173. Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam.
 174. Mormugao Port Trust, Goa.
 175. Shipping Corporation of India, Limited, Mumbai.
 176. Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam.

Ministry of Steel

177. Sponge Iron India Limited, Hyderabad.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

152. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

153. भारतीय औषध फार्मास्यूटिकल्स निगम लि., मोहन (जिला अल्मोड़ा)
 154. भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली
 155. भारतीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलोर
 156. भारतीय चारागाह संस्थान, कूनूर (नीलगिरी, तमिलनाडु)

भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय

157. भारी अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, रांची
 158. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

159. भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली

श्रम मंत्रालय

160. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

खान एवं खनिज मंत्रालय

161. खनिज उत्खनन निगम लिमिटेड, नागपुर
 162. राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) भुवनेश्वर

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

163. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई

रेल मंत्रालय

164. भारतीय रेलवे खान-पान तथा पर्यटन निगम लि., नई दिल्ली
 165. इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली
 166. भारतीय रेल टेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

167. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
 168. अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद
 169. जवाहरलाल नेहरू अग्रवर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर
 170. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद

जहाजरानी मंत्रालय

171. चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई
 172. भारतीय ड्रेजिंग निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम
 173. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., विशाखापत्तनम
 174. मोर्मुगाव पत्तन न्यास, गोवा
 175. भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, मुम्बई
 176. विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम

इस्पात मंत्रालय

177. स्पॉन्ज आयरन इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद

Ministry of Textiles

- 178. Central Silk Board, Bangalore.
- 179. Cotton Corporation of India Limited, Mumbai.

Ministry of Transport and Highways

- 180. National Institute for Training of Highway Engineers, Noida.

Ministry of Water Resources

- 181. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.
- 182. Water and Power Consultancy Services (India) Limited, New Delhi.

Department of Atomic Energy

- 183. Indian Rare Earths Limited, Mumbai.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

वस्त्र मंत्रालय

178. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलोर
179. भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुम्बई

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

180. राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, नोयडा

जल संसाधन मंत्रालय

181. सरदार सरोवर विनिर्माण सलाहकार कमेटी, वडोदरा
182. जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएँ (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली

परमाणु ऊर्जा मंत्रालय

183. भारतीय दुर्लभ मृदा लिमिटेड, मुम्बई ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE-II

LIST OF ORGANIZATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF-YEARLY RETURNS
ON THE PROGRESS MADE BY THEM IN
RECORDING, INDEXING, REVIEWING AND WEEDING OF SEMI-CURRENT
RECORDS.

A. Ministries/ Departments/ Offices

S. No.	Name of Organisations	No. of Half yearly returns received
Ministry of Agriculture		
1.	Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (District Sambalpur).	1
2.	Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.	2
3.	Department of Animal Husbandry and Dairying, Dhamrod (District Surat).	2
4.	Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut.	2
5.	Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Bodinayakanur.	2
6.	Directorate of Marketing Inspection (Sub-Office), Kochi.	1
7.	Directorate of Millets Development, Jaipur.	1
8.	Directorate of Pulses Development, Bhopal.	1
9.	Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Bangalore.	1
Ministry of Chemicals and Fertilizers		
10.	Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi.	2
Ministry of Civil Aviation		
11.	Ministry of Civil Aviation, New Delhi.	1
12.	Bureau of Civil Aviation Security, Mumbai.	1
Ministry of Commerce and Industry		
13.	Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.	1
14.	Supply Division (Department of Commerce), New Delhi.	2
15.	Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi	2
16.	Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.	1
17.	Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Guwahati.	2
Ministry of Communications and Information Technology		
18.	Electronics Test and Development Centre, Mohali.	1
19.	Office of the Chief Post Master General (Karnataka Circle), Bangalore.	1
20.	Office of the Post Master General (Foreign Mails), Mumbai.	1
Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution		
21.	Department of Food and Public Distribution, New Delhi.	~
22.	Forward Markets Commission, Mumbai.	
23.	Save Grain Campaign (Regional Office), Hyderabad.	

अनुबंध - II

अर्द्धप्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा तथा विनष्टीकरण के सम्बन्ध में की गई प्रगति के बारे में अर्द्धवार्षिक विवरणियाँ प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क: मंत्रालय / विभाग / कार्यालय

क्र.सं. संगठन का नाम	प्राप्त अर्द्धवार्षिक विवरणियों की संख्या
कृषि मंत्रालय	
1. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा (जिला संबलपुर)	1
2. केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, बंगलोर	2
3. पशुपालन एवं डेयरी विभाग, धामरोड (जिला सूरत)	2
4. सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट	2
5. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय) बोदीनायकनूर	2
6. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उप कार्यालय), कोची	1
7. बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर	1
8. दलहन विकास निदेशालय, भोपाल	1
9. यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट पालन कार्य निष्पादन परीक्षण केन्द्र, बंगलोर	1
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	
10. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, नई दिल्ली	2
नागर विमानन मंत्रालय	
11. नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली	1
12. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, मुम्बई	1
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	
13. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	1
14. पूर्ति प्रभाग (वाणिज्य विभाग), नई दिल्ली	2
15. औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, नई दिल्ली	2
16. पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली	1
17. विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक कार्यालय, गुवाहाटी	2
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
18. इलैक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, मोहाली	1
19. मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय (कर्नाटक सर्कल), बंगलोर	1
20. महापोस्टमास्टर कार्यालय (विदेश डाक) मुम्बई	1
उपभोक्ता एवं जन वितरण विभाग	
21. खाद्य एवं जन वितरण विभाग, नई दिल्ली	2
22. अग्रवर्ती बाजार आयोग, मुम्बई	2
23. अन्न बचाओ अभियान (क्षेत्रीय कार्यालय), हैदराबाद	1

Ministry of Defence

24.	Ministry of Defence, New Delhi.	2
25.	Naval Headquarters, New Delhi.	1
26.	Joint Cipher Bureau, New Delhi.	1
27.	Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur.	2
28.	Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.	2

Ministry of Environment and Forests

29.	Botanical Survey of India, Kolkata.	1
30.	Northern Regional Office, New Delhi.	2
31.	Western Regional Office, Bhopal.	1

Ministry of External Affairs

32.	Ministry of External Affairs, New Delhi.	1
-----	--	---

Ministry of Finance

33.	Department of Economic Affairs, New Delhi.	1
34.	Central Excise Commissionerate, Chandigarh.	1
35.	Central Pension Accounting Office, New Delhi.	1
36.	Chief Commissioner of Income Tax, Kanpur.	1
37.	Income Tax Settlement Commission, Mumbai.	1
38.	Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad.	2
39.	Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur.	2
40.	Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum.	2
41.	Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji.	2
42.	Office of the Commissioner of Income Tax (I), Madurai.	1
43.	Office of the Competent Authority Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and NDPS ACT, 1985, New Delhi.	1
44.	Office of the Salt Commissioner, Jaipur.	2
45.	Office of the Superintendent of Salt (Tuticorin Circle), Tuticorin.	1

Ministry of Health and Family Welfare

46.	Airport Health Organization, Thiruchirapalli Airport, Thiruchirapalli.	1
47.	BCG Vaccine Laboratory, Chennai.	2
48.	Central Food Laboratory, Kolkata.	1
49.	Central Government Health Scheme, Mumbai.	1
50.	Government Medical Store Depot, Karnal.	1
51.	Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur.	2
52.	Office of the Senior Regional Director, Pune.	1
53.	Port Health Organization, Jawaharlal Nehru Port, District Raigad.	1
54.	Port Health Organization, Mandapam Camp (District Ramanathapuram, Tamil Nadu).	2
55.	Port Health Organization, Marmagoa (Goa).	1
56.	Regional Office, Bhopal.	1
57.	Regional Office, Shimla.	1

रक्षा मंत्रालय

24.	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	2
25.	नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली	1
26.	ज्वाइंट साइफर ब्यूरो, नई दिल्ली	1
27.	क्षेत्रीय सेना उड्डनयोग्यता केन्द्र, सुल्तानपुर	2
28.	सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़	2

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

29.	भारतीय जैविकीय सर्वेक्षण, कोलकाता	1
30.	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली	2
31.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	1

विदेश मंत्रालय

32.	विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	1
-----	---------------------------	---

वित्त मंत्रालय

33.	आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली	1
34.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरात, चण्डीगढ़	1
35.	केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	1
36.	आयकर मुख्य आयुक्त, कानपुर	1
37.	आयकर निपटारा आयोग, कानपुर	1
38.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद	2
39.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर	2
40.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेलगांव	2
41.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी	2
42.	आयकर आयुक्त कार्यालय (स), मद्रास	1
43.	सक्षम प्राधिकरण तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम 1976 तथा एन.डी.पी.एस अधिनियम 1985 कार्यालय, नई दिल्ली	1
44.	नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर	2
45.	नमक अधीक्षक कार्यालय (तूतीकोरिन सर्कल) तूतीकोरिन	1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

46.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली विमानपत्तन, तिरुचिरापल्ली	1
47.	बी सी जी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई	2
48.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता	1
49.	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई	1
50.	शासकीय चिकित्सा स्टोर डिपो, करनाल	1
51.	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना संयुक्त निदेशक कार्यालय, जबलपुर	2
52.	वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, पुणे	1
53.	पत्तन स्वास्थ्य संगठन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जिला रायगढ़	1
54.	पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम कैम्प (जिला रामनाथपुरम) तमिलनाडु	2
55.	पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मार्मागोवा (गोवा)	1
56.	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	1
57.	क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला	1

Ministry of Home Affairs

- | | | |
|-----|---|---|
| 58. | Ministry of Home Affairs, New Delhi. | 1 |
| 59. | Directorate General, Border Security Force, New Delhi. | 2 |
| 60. | National Institute of Criminology and Forensic Sciences, Delhi. | 1 |
| 61. | Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi. | 2 |
| 62. | Zonal Council Secretariat, New Delhi. | 1 |

Ministry of Human Resource Development

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 63. | Central Reference Library, Kolkata. | 1 |
|-----|-------------------------------------|---|

Ministry of Information and Broadcasting

- | | | |
|-----|--|---|
| 64. | Central Board of Film Certification, Mumbai. | 1 |
| 65. | National Film Archive of India, Pune. | 2 |

Ministry of Labour

- | | | |
|-----|--|---|
| 66. | Ministry of Labour, New Delhi. | 2 |
| 67. | Advance Training Institute, Mumbai. | 1 |
| 68. | Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Hissar. | 2 |
| 69. | Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jabalpur. | 1 |
| 70. | Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jaipur. | 2 |
| 71. | Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Thiruvananthapuram. | 2 |
| 72. | Directorate General of Employment and Training, Jaipur. | 1 |
| 73. | Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bangalore. | 2 |
| 74. | Office of the Labour Enforcement Officer (Central), Coimbatore. | 2 |
| 75. | Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer. | 1 |
| 76. | Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chandigarh. | 1 |
| 77. | Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chennai. | 2 |
| 78. | Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Kolkata. | 2 |
| 79. | Regional Vocational Training Institute for Women, Bangalore. | 1 |
| 80. | Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur. | 2 |
| 81. | Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ludhiana. | 1 |
| 82. | Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Mumbai. | 2 |

Ministry of Parliamentary Affairs

- | | | |
|-----|---|---|
| 83. | Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi. | 2 |
|-----|---|---|

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension

- | | | |
|-----|--|---|
| 84. | Department of Personnel and Training, New Delhi. | 1 |
|-----|--|---|

Ministry of Railways

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 85. | Railway Board, New Delhi. | 2 |
|-----|---------------------------|---|

Ministry of Road Transport and Highways

- | | | |
|-----|---|---|
| 86. | Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi. | 2 |
|-----|---|---|

Ministry of Shipping

- | | | |
|-----|--|---|
| 87. | Ministry of Shipping, New Delhi. | 1 |
| 88. | Department of Lighthouses and Lightships, Noida. | 1 |
| 89. | Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida. | 1 |
| 90. | Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair. | 2 |

गृह मंत्रालय

58.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	1
59.	सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, नई दिल्ली	2
60.	राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान संस्थान, दिल्ली	1
61.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय कार्यालय, नई दिल्ली	2
62.	आंचलिक परिषद् सचिवालय, नई दिल्ली	1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

63.	केन्द्रीय संदर्भ ग्रंथागार, कोलकाता	1
-----	-------------------------------------	---

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

64.	केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड, मुम्बई	1
65.	राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे	2

श्रम मंत्रालय

66.	श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली	2
67.	अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई	1
68.	अ.जा./ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, हिसार	2
69.	अ.जा./ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, जबलपुर	1
70.	अ.जा./ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, जयपुर	2
71.	अ.जा./ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम	2
72.	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, जयपुर	1
73.	उपमुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, बंगलोर	2
74.	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) कार्यालय, कोयम्बटूर	2
75.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, अजमेर	1
76.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, चण्डीगढ़	1
77.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, चेन्नई	2
78.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, कोलकाता	2
79.	क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलोर	1
80.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर	2
81.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना	1
82.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुम्बई	2

संसदीय कार्य मंत्रालय

83.	संसदीय मंत्रालय, नई दिल्ली	2
-----	----------------------------	---

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

84.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली	1
-----	--	---

रेल मंत्रालय

85.	रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली	2
-----	------------------------	---

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

86.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली	2
-----	--	---

जहाजरानी मंत्रालय

87.	जहाजरानी मंत्रालय, नई दिल्ली	1
88.	प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशपोत विभाग, नोयडा	1
89.	प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशपोत महानिदेशालय, नोयडा	1
90.	मुख्य अभियंत्रता एवं प्रशासक, अण्डमान लक्षद्वीप बन्दरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर	2

Ministry of Small Scale Industries

91. Office of the Development Commissioner, New Delhi. 1

Ministry of Statistics and Programme Implementation

92. National Sample Survey Organization, New Delhi. 1
93. Central Statistical Organization, Kolkata. 1

Ministry of Textiles

94. Office of the Jute Commissioner, Kolkata. 2

Ministry of Water Resources

95. Ministry of Water Resources, New Delhi. 1
96. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara. 1

Department of Atomic Energy

97. Nuclear Fuel Complex, Hyderabad. 1

Department of Space

98. Liquid Propulsion Systems Centre, Thiruvananthapuram. 1

B. Other Organisation(s)

99. Planning Commission, New Delhi. 1

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.**Ministry of Chemicals and Fertilizers**

100. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata. 1
101. Central Institute of Plastics Engineering Technology, Chennai. 1
102. National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Mohali (Punjab) 1

Ministry of Civil Aviation

103. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Airfield, Rae Bareli. 1

Ministry of Coal

104. Mahanadi Coal Fields Limited, Sambalpur. 1

Ministry of Commerce and Industry

105. Office of the Development Commissioner, MEPZ, Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, Chennai. 1
106. Project Equipment Corporation Limited (PEC), New Delhi. 1

Ministry of Communication and Information Technology

107. Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai. 1

Ministry of Health and Family Welfare

108. National Institute of Unani Medicine, Bangalore. 1

लघु उद्योग मंत्रालय

91. विकास आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली 1

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

92. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली 1

93. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता 1

वस्त्र मंत्रालय

94. पटसन आयुक्त कार्यालय, कोलकाता 2

जल संसाधन मंत्रालय

95. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली 1

96. सरदार सरोवर विनिर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा 1

परमाणु ऊर्जा विभाग

97. न्यूक्लीयर फ्यूल कॉम्प्लैक्स, हैदराबाद 1

अंतरिक्ष विभाग

98. लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, तिरुवनन्तपुरम 1

ख: अन्य संगठन

99. योजना आयोग, नई दिल्ली 1

ग: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / समिति / निगम / सांविधिक निकाय आदि**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

100. बंगाल रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता 1

101. केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई 1

102. नेशनल फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एन आई पी इ आर), मोहाली (पंजाब) 1

नागर विमानन मंत्रालय

103. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उडन अकादमी, फुर्सतगंज, हवाई क्षेत्र, रायबरेली 1

कोयला मंत्रालय

104. महानन्दी कोयला क्षेत्र लिमिटेड, संबलपुर 1

वाणिज्य एवं उद्योग

105. विकास आयुक्त कार्यालय, एम इ पी जेड, विशेष आर्थिक अंचल एवं एच ई ओ यू तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चेन्नई 1

106. परियोजना सामग्री निगम लि0 (पी इ सी), नई दिल्ली 1

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

107. अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान सोसायटी (एस ए एम इ इ आर) मुम्बई 1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

108. राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलोर 1

Ministry of Labour

- | | | |
|------|---|---|
| 109. | Central Board for Workers Education, Nagpur. | 1 |
| 110. | Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam. | 1 |

Ministry of Mines and Minerals

- | | | |
|------|---|---|
| 111. | Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur | 1 |
|------|---|---|

Ministry of Power

- | | | |
|------|--|---|
| 112. | Central Power Research Institute, Bangalore. | 1 |
|------|--|---|

Ministry of Science and Technology

- | | | |
|------|---|---|
| 113. | Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi. | 1 |
| 114. | Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune. | 1 |
| 115. | International Advanced Research Central for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad. | 1 |
| 116. | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore. | 1 |

Ministry of Shipping

- | | | |
|------|------------------------------|---|
| 117. | Chennai Port Trust, Chennai. | 1 |
| 118. | Mormugoa Port Trust, Goa. | 1 |

Ministry of Steel

- | | | |
|------|---------------------------------------|---|
| 119. | Sponge Iron India Limited, Hyderabad. | 1 |
|------|---------------------------------------|---|

श्रम मंत्रालय

109. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर 1
110. विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम 1

खान एवं खनिज मंत्रालय

111. खनिज उत्खनन निगम लिमिटेड, नागपुर 1

विद्युत मंत्रालय

112. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलोर 1

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

113. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली 1
114. भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे 1
115. अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद 1
116. जवाहरलाल नेहरू अग्रवर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर 1

जहाजरानी मंत्रालय

117. चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई 1
118. मार्मागोवा पत्तन न्यास, गोवा 1

इस्पात मंत्रालय

119. स्पांज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद 1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE-III

LIST OF ORGANIZATIONS
WHO HAVE FURNISHED HALF-YEARLY RETURNS ON
DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS.

A. Ministries/ Departments/ Offices

S. No.	Name of Organisations	No. of Half yearly returns received
Ministry of Agriculture		
1.	Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat).	2
2.	Central Farm Machinery Training and Testing Institute, Budni.	1
3.	Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi.	1
4.	Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut.	2
5.	Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Guwahati.	1
6.	Directorate of Marketing and Inspection (Sub-Office), Kochi.	1
7.	Directorate of Pulses Development, Bhopal.	1
Ministry of Chemicals and Fertilizers		
8.	Department of Chemicals and Fertilizers, New Delhi.	2
Ministry of Civil Aviation		
9.	Ministry of Civil Aviation, New Delhi.	2
10.	Office of the Director General of Civil Aviation, New Delhi.	2
Ministry of Commerce and Industry		
11.	Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.	1
12.	Supply Division (Department of Commerce), New Delhi.	1
13.	Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi.	2
14.	Directorate General of Foreign Trade, New Delhi.	2
15.	Office of the Chief Controller of Accounts, New Delhi.	2
16.	Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Guwahati.	2
Ministry of Communications and Information Technology		
17.	Electronics Test and Development Centre, Mohali.	1
18.	Office of the Post Master General (Foreign Mails), Mumbai.	1
19.	Office of the Post Master General (Western Region), Coimbatore.	1
Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution		
20.	Central Food Laboratory, Kolkata.	1
21.	Forward Markets Commission, Mumbai.	1
22.	Save Grain Campaign (Regional Office), Hyderabad.	1

**वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर
अर्द्धवार्षिक विवरणियाँ भेजने वाले
संगठनों की सूची**

क. मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय

क्र.सं. संगठन का नाम

प्राप्त अर्द्धवार्षिक
विवरणियों की संख्या

कृषि मंत्रालय

1.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड़ (जिला सूरत)	2
2.	केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी	1
3.	केन्द्रीय मत्स्य नाविक तथा अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, कोची	1
4.	सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट	2
5.	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उपकार्यालय), गुवाहाटी	1
6.	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (उपकार्यालय), कोचा	1
7.	दलहन विकास निदेशालय, भोपाल	1

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

8.	रसायन एवं उर्वरक विभाग, नई दिल्ली	2
----	-----------------------------------	---

नागर विमानन मंत्रालय

9.	नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली	2
10.	नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय, नई दिल्ली	2

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

11.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	1
12.	पूर्ति प्रभाग (वाणिज्य विभाग), नई दिल्ली	1
13.	औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, नई दिल्ली	2
14.	विदेश व्यापार महानिदेशक, नई दिल्ली	2
15.	मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली	2
16.	विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक कार्यालय, गुवाहाटी	2

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

17.	इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, मोहाली	1
18.	मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय (विदेशी डाक), मुम्बई	1
19.	महापोस्टमास्टर कार्यालय (पश्चिमी क्षेत्र), कोयम्बटूर	1

उपभोक्ता एवं जन वितरण विभाग

20.	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता	1
21.	अग्रवर्ती बाजार आयोग, मुम्बई	1
22.	अन्न बचाओ अभियान (क्षेत्रीय कार्यालय), हैदराबाद	1

Ministry of Defence

23.	Ministry of Defence, New Delhi.	2
24.	National Defence College, New Delhi.	1
25.	Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi.	1
26.	Integrated Headquarters (Navy), New Delhi.	1
27.	Senior Quality Assurance Establishment (S), New Delhi.	1
28.	Regional Centre for Military Airworthiness, Sultanpur.	2

Ministry of Environment and Forests

29.	Northern Regional Office, Chandigarh.	2
30.	Western Regional Office, Bhopal.	1

Ministry of External Affairs

31.	Regional Passport Office, New Delhi.	1
-----	--------------------------------------	---

Ministry of Finance

32.	Department of Economic Affairs, New Delhi.	1
33.	Central Excise Commissionerate, Chandigarh.	2
34.	Central Pension Accounting Office, New Delhi.	1
35.	Directorate General of Income Tax (Vigilance), New Delhi.	1
36.	Income Tax Settlement Commission, Mumbai.	1
37.	Office of the Assistant Commissioner of Central Excise and Customs (Dharwad Division), Hubli.	1
38.	Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Hyderabad.	1
39.	Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Kanpur.	1
40.	Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad.	2
41.	Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur.	2
42.	Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum.	2
43.	Office of the Commissioner of Central Excise, Bellary.	2
44.	Office of the Commissioner of Central Excise, Dharwad.	2
45.	Office of the Commissioner of Central Excise, Gulbarga.	2
46.	Office of the Commissioner of Central Excise, Hubli.	2
47.	Office of the Commissioner of Central Excise, Madurai.	1
48.	Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji (Goa).	2
49.	Office of the Commissioner of Income Tax (I), Madurai.	1
50.	Office of the Competent Authority Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and NDPS Act, 1985, New Delhi.	1
51.	Office of the Deputy Commissioner of Central Excise, Bellary.	1
52.	Office of the Director General of Income Tax, Ahmedabad.	1
53.	Office of the Official Liquidator, High Court of Mumbai, Nagpur.	1
54.	Office of the Official Liquidator, U.P. and Uttaranchal High Court Allahabad and Nainital, Allahabad.	1

Ministry of Health and Family Welfare

55.	Airport Health Organization, Thiruchirapalli Airport, Thiruchirapalli.	2
-----	--	---

रक्षा मंत्रालय

23.	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	2
24.	राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, नई दिल्ली	1
25.	सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, नई दिल्ली	1
26.	एकीकृत मुख्यालय (नौ सेना), नई दिल्ली	1
27.	वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (एस), नई दिल्ली	1
28.	क्षेत्रीय सेना उड़न योग्यता केन्द्र, सुल्तानपुर	2

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

29.	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	2
30.	पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	1

विदेश मंत्रालय

31.	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली	1
-----	--	---

वित्त मंत्रालय

32.	आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली	1
33.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरात, चण्डीगढ़	1
34.	केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	1
35.	आयकर महानिदेशालय (सतर्कता), नई दिल्ली	1
36.	आयकर निपटारा आयोग, मुम्बई	1
37.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क उपायुक्त कार्यालय, (धारवाड़ प्रभाग), हुबली	2
38.	आयकर मुख्य आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद	1
39.	आयकर मुख्य आयुक्त कार्यालय, कानपुर	1
40.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद	2
41.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर	2
42.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगाम	2
43.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेल्लारी	2
44.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, धारवाड़	2
45.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, गुलबर्गा	2
46.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, हुबली	2
47.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मदुरै	2
48.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी (गोवा)	2
49.	आयकर आयुक्त (स) कार्यालय, मदुरै	1
50.	सक्षम प्राधिकरण, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 कार्यालय, नई दिल्ली	1
51.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त कार्यालय, बेल्लारी	1
52.	आयकर महानिदेशक कार्यालय, अहमदाबाद	1
53.	शासकीय परिसमापक कार्यालय, मुम्बई उच्च न्यायालय कार्यालय नागपुर	1
54.	शासकीय परिसमापक कार्यालय, उ.प्र. तथा उत्तरांचल उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा नैनीताल, इलाहाबाद	1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

55.	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली विमानपत्तन, तिरुचिरापल्ली	2
-----	---	---

56.	BCG Vaccine Laboratory, Chennai.	2
57.	Central Drugs Standard Control Organization (North Zone), Ghaziabad.	1
58.	Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai.	1
59.	Central Government Health Scheme, Allahabad.	1
60.	Central Government Health Scheme, Bangalore.	1
61.	Central Government Health Scheme, Mumbai.	2
62.	Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi.	1
63.	Government Medical Store Depot, Karnal.	1
64.	Lady Reading Health School, Delhi.	1
65.	Model Vital and Health Statistics Unit, Nagpur.	1
66.	Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur.	2
67.	Office of the Senior Regional Director, Pune.	1
68.	Port Health Organization, Jawaharlal Nehru Port, District Raigad.	2
69.	Port Health Organization, Mandapam Camp (District Ramanathapuram, Tamil Nadu).	2
70.	Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi.	2
71.	Regional Office, Bhopal.	2
72.	Regional Office, Shimla.	2

Ministry of Home Affairs

73.	Office of the Director General, Border Security Force, New Delhi.	2
74.	Office of the Director General, Central Reserve Police Force, New Delhi.	2
75.	Zonal Council Secretariat, New Delhi.	1

Ministry of Human Resource Development

76.	Central Reference Library, Kolkata.	1
-----	-------------------------------------	---

Ministry of Information and Broadcasting

77.	Central Board of Film Certification, Mumbai.	1
78.	Film and Television Institute of India, Pune.	2
79.	National Film Archive of India, Pune.	2

Ministry of Labour

80.	Ministry of Labour, New Delhi.	1
81.	Advance Training Institute, Mumbai.	1
82.	Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Hissar.	2
83.	Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jaipur.	2
84.	Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Kolkata.	1
85.	Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Nagpur.	1
86.	Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bangalore.	2
87.	Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chandigarh.	1
88.	Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chennai.	2
89.	Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad.	1
90.	Regional Vocational Training Institute for Women, Hissar.	1

56.	बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, चेन्नई	2
57.	केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी अंचल), गाजियाबाद	1
58.	केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई	1
59.	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद	1
60.	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, बंगलोर	1
61.	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई	1
62.	डॉ. राम मनोहर लोहिया हस्पताल, नई दिल्ली	1
63.	सरकारी चिकित्सा स्टोर, डिपो, करनाल	1
64.	लेडी रीडिंग स्वास्थ्य स्कूल, दिल्ली	1
65.	निदर्श प्रत्याहार तथा स्वास्थ्य सांख्यिकी इकाई, नागपुर	1
66.	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, संयुक्त निदेशक कार्यालय, जबलपुर	2
67.	वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, पुणे	1
68.	पत्तन स्वास्थ्य संगठन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, जिला रायगढ़	2
69.	पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम कैम्प (जिला रामनाथपुरम), तमिलनाडु	2
70.	राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग महाविद्यालय, नई दिल्ली	2
71.	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	2
72.	क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला	2

गृह मंत्रालय

73.	सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, नई दिल्ली	2
74.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय कार्यालय, नई दिल्ली	2
75.	आंचलिक परिषद सचिवालय, नई दिल्ली	1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

76.	केन्द्रीय संदर्भ ग्रंथागार, कोलकाता	1
-----	-------------------------------------	---

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

77.	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुम्बई	1
78.	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	2
79.	राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे	2

श्रम मंत्रालय

80.	श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली	1
81.	अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई	1
82.	अ.जा./ अ.ज.जा. अनुशिक्षण सह मागदर्शन केन्द्र, हिसार	2
83.	अ.जा./ अ.ज.जा. अनुशिक्षण सह मागदर्शन केन्द्र, जयपुर	1
84.	अ.जा./ अ.ज.जा. अनुशिक्षण सह मागदर्शन केन्द्र, कोलकाता	1
85.	अ.जा./ अ.ज.जा. अनुशिक्षण सह मागदर्शन केन्द्र, नागपुर	1
86.	उपमुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, बंगलोर	2
87.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, चण्डीगढ़	1
88.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, चेन्नई	2
89.	क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद	1
90.	क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार	1

- | | | |
|-----|---|---|
| 91. | Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur. | 2 |
| 92. | Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Mumbai. | 2 |
| 93. | Welfare and Cess Commissioner, Allahabad. | 1 |

Ministry of Non-Conventional Energy Sources

- | | | |
|-----|---|---|
| 94. | Ministry of Non-Conventional Energy Sources, New Delhi. | 1 |
|-----|---|---|

Ministry of Parliamentary Affairs

- | | | |
|-----|---|---|
| 95. | Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi. | 2 |
|-----|---|---|

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension

- | | | |
|-----|--|---|
| 96. | Department of Personnel and Training, New Delhi. | 1 |
| 97. | Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie. | 1 |

Ministry of Road Transport and Highways

- | | | |
|-----|---|---|
| 98. | Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi. | 2 |
|-----|---|---|

Ministry of Railways

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| 99. | Railways Board, New Delhi. | 2 |
|-----|----------------------------|---|

Ministry of Science and Technology

- | | | |
|------|--|---|
| 100. | National Atlas and Thematic Mapping Organization, Kolkata. | 1 |
|------|--|---|

Ministry of Shipping

- | | | |
|------|--|---|
| 101. | Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida. | 1 |
| 102. | Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair. | 2 |

Ministry of Statistics and Programme Implementation

- | | | |
|------|---|---|
| 103. | Central Statistical Organization, Kolkata. | 2 |
| 104. | National Sample Survey Organization, New Delhi. | 1 |

Ministry of Water Resources

- | | | |
|------|---|---|
| 105. | Ministry of Water Resources, New Delhi. | 2 |
|------|---|---|

Department of Atomic Energy

- | | | |
|------|----------------------------------|---|
| 106. | Nuclear Fuel Complex, Hyderabad. | 1 |
|------|----------------------------------|---|

Department of Space

- | | | |
|------|---|---|
| 107. | Liquid Propulsion Systems Centre, Thiruvananthapuram. | 1 |
|------|---|---|

B. Other Organisations

- | | | |
|------|---------------------------------|---|
| 108. | Planning Commission, New Delhi. | 2 |
|------|---------------------------------|---|

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Agriculture and Co-operation

- | | | |
|------|--|---|
| 109. | National Federation of Urban Co-operative Banks and Credit Societies Limited, New Delhi. | 1 |
|------|--|---|

91.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर	2
92.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुम्बई	2
93.	कल्याण एवं उपकर आयुक्त, इलाहाबाद	1
अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय		
94.	अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली	1
संसदीय कार्य मंत्रालय		
95.	संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	2
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय		
96.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली	1
97.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	1
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
98.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली	2
रेल मंत्रालय		
99.	रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली	1
विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय		
100.	राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता	1
जहाजरानी मंत्रालय		
101.	प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाशपोत महानिदेशक, नोयडा	1
102.	मुख्य अभियंता तथा प्रशासन, अंदमान लक्षद्वीप बन्दरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर	2
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		
103.	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता	2
104.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली	1
जल संसाधन मंत्रालय		
105.	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली	2
परमाणु ऊर्जा विभाग		
106.	न्यूक्लीयर फ्यूल कॉम्प्लैक्स, हैदराबाद	1
अंतरिक्ष विभाग		
107.	लिविङ प्रपल्शन सिस्टम सेंटर, तिरुवनन्तरपुरम	1
ख. अन्य संगठन		
108.	योजना आयोग, नई दिल्ली	1
ग. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ समिति/ निगम/ सांविधिक निकाय आदि		
कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय		
109.	नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली	1

Ministry of Chemicals and Fertilizers

110. Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Chennai. 1
111. National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER), Mohali.(Punjab) 1

Ministry of Civil Aviation

112. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Fursatganj Airfield, Rai Bareli. 1

Ministry of Communication and Information Technology

113. Centre for Materials for Electronics Technology, Pune 1
114. Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai. 1

Ministry of Commerce and Industry

115. Coffee Board, Bangalore. 1
116. Office of the Development Commissioner, MEPZ, Special Economic Zone and HEOUs in Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and Nicobar Island, Chennai. 1
117. Project Equipment Corporation (PEC), New Delhi. 1

Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

118. Hindustan Cables Limited, Kolkata. 1

Ministry of Health and Family Welfare

119. National Institute of Unani Medicines, Bangalore. 1

Ministry of Labour

120. Visakhapatnam Dock Labour Board, Visakhapatnam. 1

Ministry of Mines and Minerals

121. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur. 1

Ministry of Power

122. Bhakra Beas Management Board, Chandigarh. 1
123. Central Power Research Institute, Bangalore. 1

Ministry of Shipping

124. Dredging Corporation of India, Visakhapatnam. 1
125. Mormugoa Port Trust, Goa. 1

Ministry of Steel

126. Sponge Iron India Limited, Hyderabad. 1
127. Rashtriya Ispat Nigam, Visakhapatnam 1

Ministry of Science and Technology

128. Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune. 1
129. International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad. 1
130. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore. 1

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

110. केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, सी.आई.पी.ई.टी., चेन्नई 1
111. नेशनल फार्मास्यूटिकल्स शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एन.आई.पी.ई.आर.)
मोहाली (पंजाब) 1

नागर विमानन मंत्रालय

112. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज, हवाई क्षेत्र, रायबरेली 1

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

113. इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे 1
114. अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग इलैक्ट्रानिकी अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान सोसायटी
(समीर), मुम्बई 1

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

115. कॉफी बोर्ड, बंगलोर 1
116. विकास आयुक्त कार्यालय, एम.ई.पी.ज़ेड, विशेष आर्थिक अंचल तथा
एच.ई.ओ.यू. तमिलनाडु, पाण्डिचेरी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह,
चेन्नई 1
117. परियोजना सामग्री निगम, (पी.ई.सी.), नई दिल्ली 1

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

118. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता 1

परिवार कल्याण मंत्रालय

119. राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलोर 1

श्रम मंत्रालय

120. विशाखापट्टनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापट्टनम 1

खान व खनिज मंत्रालय

121. खनिज उत्खनन निगम लि., नागपुर 1

विद्युत मंत्रालय

122. भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड, चण्डीगढ़ 1
123. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलोर 1

जहाजरानी मंत्रालय

124. भारतीय ड्रेजिंग निगम, विशाखापट्टनम 1
125. मोर्मूगोवा पत्तन न्यास, गोवा 1

इस्पात मंत्रालय

126. स्पांज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद 1
127. राष्ट्रीय इस्पात निगम, विशाखापट्टनम 1

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

128. भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे 1
129. अन्तर्राष्ट्रीय अग्रिम चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री केन्द्र, हैदराबाद 1
130. जवाहरलाल नेहरू अग्रिम वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर 1

ANNEXURE-IV

**NAMES OF THE DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS WHO HAVE ATTENDED
FIVE/ THREE DAY ORIENTATION COURSE ON RECORDS MANAGEMENT
DURING 2002.**

Sr. No.	Name of Departmental Records Officer	Name of the Sponsoring Authority (in alphabetical order)
1.	Mohapatra, B.K.	Archaeological Survey of India, Bhubaneswar.
2.	Maitra, Biswanath	Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited, Kolkata.
3.	Basu, K.C.	Bengal Immunity Limited, Kolkata.
4.	P.K. Teckchandani	Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi.
5.	Gourishankar, P.	Bureau of Civil Aviation Security, Chennai.
6.	Bandyopadhyay, A.S.	CAPEXIL, Kolkata.
7.	Lal, Kishori	Central Building Research Institute, Roorkee.
8.	Meena, Ranjit Singh	Central Bureau of Investigation, Jaipur.
9.	Rajput, R.S.	Central Electricity Authority, New Delhi.
10.	Deb, S.K.	Central Glass and Ceramic Research Institute, Kolkata.
11.	Naik, C.S.	Central Government Health Scheme, Bangalore.
12.	Guruprasad, S.	Central Institute of Coastal Engineering of Fishery, Bangalore.
13.	Jagat Naraian	Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow.
14.	Kuppuswamy, G.	Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Chennai.
15.	Mishra, Bhola	Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi
16.	Sridhar, K.M.	Central Leather Research Institute, Chennai.
17.	Halder, Suprakash	Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur.
18.	Sarma, K.K.	Central Reference Library, Kolkata.
19.	Joon, R.C.	Central Road Research Institute, New Delhi.
20.	Rai, Jaswant	Central Scientific Instruments Organization, Chandigarh.
21.	Pattabiraman, A.	Centre for Advance Technology, Indore.
22.	Bhjantri, B.P.	Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Bangalore.
23.	Naruka, M.S.	Coast Guard Headquarters, New Delhi.
24.	Nair, B. Arvendaksha	Cochin Port Trust, Willington Island, Kochi.
25.	Pillai, Ramaswami	Cochin Port Trust, Willington Island, Kochi.
26.	Nagaiah, D.	Coffee Board, Bangalore.
27.	Ramakrishna, H.	Coffee Board, Bangalore.
28.	Porwal, M.C.	Department of Atomic Energy, Mumbai.
29.	Das, S.	Department of Commerce, New Delhi.
30.	Indrajit	Department of Fertilizers, New Delhi.
31.	Jadeja, D.S.	Department of Lighthouses and Lightships, Noida.
32.	Kumar, Sudesh	Department of Personnel and Training, New Delhi.

अनुबंध - IV

अभिलेख प्रबन्धन पर वर्ष 2002 में आयोजित पांच/ तीन दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल हुए विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम

क्र.सं.	विभागीय अभिलेखाधिकारी का नाम	प्राधिकृत प्रायोजक का नाम (वर्णानुसार क्रम से)
1	महापात्रा, बी. के.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भुवनेश्वर
2	मैत्रा, विश्वनाथ	बंगाल रसायन एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कोलकाता
3	बसु, के. सी.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कोलकाता
4	पी. के. टेकचन्दानी	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली
5	गौरीशंकर, पी.	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, चेन्नई
6	बन्दोपाध्याय, ए. एस.	सी.ए.पी.ई.एक्स.आई.एल., कोलकाता
7	लाल, किशोरी	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की
8	मीणा, रणजीत सिंह	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर
9	राजपूत, आर. एस.	केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, नई दिल्ली
10	देव, एस. के.	केन्द्रीय शीशा एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
11	नाईक, सी. एस.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, बंगलोर
12	गुरुप्रसाद, एस.	केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, बंगलोर
13	जगत नारायण	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एण्ड एरोमैटिक प्लांट्स, लखनऊ
14	कुप्पुस्वामी, जी.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
15	मिश्रा, भोला	सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइक्याट्री, कांके, रांची
16	श्रीधर, के. एम.	केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
17	हलधर, सुप्रकाश	केन्द्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर
18	शर्मा के. के.	केन्द्रीय संदर्भ ग्रन्थागार, कोलकाता
19	जून, आर. सी.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
20	राय, जसवन्त	केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़
21	पट्टाभिरमण ए.	अग्रिम प्रौद्योगिक केन्द्र, इंदौर
22	भजन्तरी, बी. पी.	अ.जा./ अ.ज.जा. अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र, बंगलोर
23	नारुका, एम. एस.	तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली
24	नायर, बी. अरविंदाक्ष	कोचीन पत्तन न्यास, विलिंग्टन द्वीप, कोची
25	पिल्लै, रामास्वामी	कोचीन पत्तन न्यास विलिंग्टन द्वीप, कोची
26	नागैया, डी.	कॉफी बोर्ड, बंगलोर
27	रामकृष्ण, एच.	कॉफी बोर्ड, बंगलोर
28	पोरवाल, एम. सी.	परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई
29	दास, एस.	वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली
30	इन्द्रजीत	उर्वरक विभाग, नई दिल्ली
31	जडेजा, डी. एस.	प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाशपोत विभाग, नोयडा
32	कुमार, सुदेश	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली

33. Shankar Lal
34. Gajendra, G.
35. Rajagopalachari, H.
36. Devdasan, V.
37. Mishra, Vishva Mohan
38. Ghosh, Onkar Prasad
39. Kerketta, Noel
40. Bijalwan, D.C.
41. Jain, Sarvendra Kumar
42. Verma, Ganesh Lal
43. Meena, R.C.
44. Mathur, N.C.
45. Mitra, R.N.
46. Bhanja, B.
47. Gandla, Mahesh S.
48. Prakash, Raghubir
49. Balakrishanan, K.V.
50. Mohata, A.K.
51. Singh, A.K.
52. Joshi, Anant V.
53. Sanjeev Kumar, N.
54. Bhuyan, G.C.
55. Bhushaiah, L.
56. Kumar, Sanjay
57. Ngahanshang, K.
58. Agarwal, Amrish
59. Chakroborty, Subhra
60. Joseph, P.A.
61. Vergese, M.K.
62. Prakash, Raghubir
63. Franklin, T. Henry
64. Nagpal, K.N.
65. Prabhakaran, M.
66. Purushothaman, K.
67. Acharya, S.K.
68. Bhanja, P.P.
69. Das, L.
- Department of Posts, New Delhi.
Department of Space, Bangalore.
Department of Space, Bangalore.
Department of Space, Liquid Propulsion System Centre, Thiruvananthapuram.
Directorate General of CRPF, New Delhi.
Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata.
Directorate General of Foreign Trade, New Delhi.
Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.
Directorate General of Supplies and Disposals, Chennai.
Directorate of Census Operations Rajasthan, Jaipur.
Directorate of Marketing and Inspection, Jaipur.
Directorate of Millet Development, Jaipur.
Directorate of Quality Assurance, Kolkata.
Proof and Experimental Establishment, Research and Development Organization (Ministry of Defence), Balasore.
Directorate of Construction Services and Estate Management, Department of Atomic Energy, Mumbai.
Electronic Test and Development Centre, Chandigarh.
FACT Management Development Centre, Kalamassary (Kochi).
Family Welfare Training Research Centre, Mumbai.
Ganga Flood Control Commission, Patna.
Hindustan Organic Chemicals Ltd, Raigad
Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal.
India Tourism, Kolkata, Kolkata.
Indian Railways Institute of Signal Engineering and Telecommunication, Secunderabad.
Industrial Toxicology Research Centre, Lucknow.
Institute of Himalayan Bioresource Technology (CSIR), Palampur.
Institute of Pesticide Formulation Technology, Gurgaon.
Institute of Serology, Kolkata.
ISRO Satellite Centre (Department of Space), Bangalore.
Kandla Port Trust, Gandhidham.
Labour Bureau, Chandigarh.
Madras Export Processing Zone, Chennai.
Ministry of Environment and Forests, New Delhi.
National Aerospace Laboratories, Bangalore.
National Aerospace Laboratories, Bangalore.
National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar.
National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar.
National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar.

33	शंकर लाल	डाक विभाग, नई दिल्ली
34	गजेन्द्र, जी.	अन्तरिक्ष विभाग, बंगलोर
35	राजगोपालचारी, एच.	अन्तरिक्ष विभाग, बंगलोर
36	देवदासन, वी.	अन्तरिक्ष विभाग, लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर, तिरुवनन्तपुरम
37	मिश्र, विश्वमोहन	सी. आर. पी. एफ. महानिदेशालय, नई दिल्ली
38	घोष, ओंकार प्रसाद	व्यापारिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता
39	केरकेट्टा, नोइल	विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली
40	विजलवान, डी. सी.	पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली
41	जैन, सर्वेन्द्र कुमार	पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, चेन्नई
42	वर्मा, गणेश लाल	जनगणना आपरेशन राजस्थान निदेशालय, जयपुर
43	मीणा, आर. सी.	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, जयपुर
44	माथुर, एन. सी.	बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर
45	मित्रा, आर. एन.	गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय, कोलकाता
46	भांजा, बी.	प्रमाण एवं प्रायोगिक स्थापना अनुसंधान तथा विकास संगठन, (रक्षा मंत्रालय), बालासोर
47	गांडला, महेश एस.	निर्माण सेवाएं तथा सम्पदा प्रबन्धन निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई
48	प्रकाश, रघवीर	इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, चण्डीगढ़
49	बालकृष्णन, के. वी.	फैक्ट प्रबंधन विकास केन्द्र, कालामस्सारी, (कोची)
50	मोहता, ए. के.	परिवार कल्याण प्रशिक्षण अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई
51	सिंह, ए. के.	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना
52	जोशी, अनन्त वी.	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़
53	संजीव कुमार, एन.	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, अम्बालमुगल
54	भुयां, जी. सी.	भारतीय पर्यटन, कोलकाता, कोलकाता
55	भुशैया, एल.	भारतीय रेलवे सिग्नल अभियांत्रिकी तथा दूरसंचार संस्थान, सिकन्दरबाद
56	कुमार, संजय	इंडस्ट्रीयल टैक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, लखनऊ
57	न्नाहंशांग, के.	इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी (सी.एस.आई.आर.), पालमपुर
58	अग्रवाल, अमरीश	इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव
59	चक्रवर्ती, शुभ्र	इंस्टीट्यूट ऑफ सेरोलाजी, कोलकाता
60	जोसफ, पी. ए.	इसरो सैटेलाइट सेंटर, (अंतरिक्ष विभाग), बंगलोर
61	वर्गीज, एम. के.	कांडला पत्तन न्यास, गांधीधाम
62	प्रकाश, रघवीर	श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़
63	फ्रेंकलिन, टी. हैनरी	मद्रास निर्यात प्रसंस्करण अंचल, चेन्नई
64	नागपाल, के.एन.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली
65	प्रभाकरण, एम.	नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज, बंगलोर
66	पुरुषोत्तम, के.	नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज, बंगलोर
67	आचार्य एस के	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
68	भांजा, पी. पी.	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
69	दास, एल.	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर

70. Mitra, S.M. National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar.
71. Mohanty, N.K. National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar.
72. Mohanty, N.K. National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar.
73. Murmu, P.C. National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar.
74. Panda, P. National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar.
75. Rajan, K.K. National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar.
76. Sahay, Ms. S. National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar.
77. Sharma, Nand Gopal National Aluminium Company Ltd., Bhubaneswar.
78. Kanaujia, M. P. National Atlas and Thematic Mapping Organization, Kolkata.
79. Joshi, K.G. National Chemical Laboratory (CSIR), Pune.
80. Singh, Ram Ashray National Highways Authority of India, New Delhi.
81. Subramaniam, Smt. Susheela National Institute of Oceanography (CSIR), Goa.
82. Kittur, K.N. National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack.
83. Naik, Krishnappa National Institute of Technology Karnataka, Surathkal,
84. Ravindranath, K National Institute of Technology Karnataka, Surathkal,
85. Kumar, Alok National Metallurgical Laboratory (CSIR), Jamshedpur.
86. Salone, D.K. National Physical Laboratory (CSIR), New Delhi.
87. Murthy, O.S.N. National Remote Sensing Agency (NRSA), Hyderabad.
88. Bhol, P.L. Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar.
89. Warier, S.M. Office of the Chief Post Master General (Kerala Circle), Thiruvananthapuram.
90. Mishra, Sheo Shankar Office of the Director General Mines Safety, Dhanbad.
91. Abraham, Smt. A.J. Office of the Director of Supplies and Disposals, Mumbai.
92. Singh, Sampat Office of the Jute Commissioner, Kolkata.
93. Kuttan, K.V. Office of the Regional Commissioner (Central), Bangalore.
94. Ananda Rao, S.K. Office of the Registrar of Companies West Bengal, Kolkata.
95. Swamidason, V. Office of the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai.
96. Singh, Thavar, Office of the Salt Commissioner, Jaipur.
97. Das, M.S. R&D Organization, Interim Test Range, Chandipur.
98. Das, S.M. R&D Organization, Interim Test Range, Chandipur.
99. Panda, P. R&D Organization, Interim Test Range, Chandipur.
100. Das, J.K. Raja Rammohan Rai Library Foundation, Kolkata.
101. Panda, M.R. Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (District Ganjam).

70	मित्रा, एस. एम.	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
71	मोहन्ती, एन. के.	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
72	मोहन्ती, एन. के.	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
73	मुर्मू, पी. सी.	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
74	पांडा, पी.	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
75	राजन, के. के.	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
76	सहाय, सुश्री एस.	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
77	शर्मा, नंद गोपाल	राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
78	कनौजिया, एम.पी.	राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता
79	जोशी, के.जी.	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (सी.एस.आई.आर.), पुणे
80	सिंह, राम आश्रय	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली
81	सुब्रमण्यम, श्रीमती सुशीला	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (सी एस आई आर), गोवा
82	किट्टूर, के. एन.	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक
83	नाईक, कृष्णाप्पा	राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कर्नाटक, सूरतकल
84	रविन्द्रनाथ, के.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कर्नाटक, सूरतकल
85	कुमार, आलोक	राष्ट्रीय मेटलर्जीकल लेबोरेटरी, (सी एस आई आर), जमशेदपुर
86	सलोने, डी. के.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, (सी एस आई आर), नई दिल्ली
87	मूर्ति, ओ. एस. एन.	राष्ट्रीय सुदूर संवेदी अभिकरण (एन आर एस ए), हैदराबाद
88	भोल, पी. एल.	मुख्य महापोस्टमास्टर, (उड़ीसा सर्कल), भुवनेश्वर
89	वारियर, एस. एम	मुख्य महापोस्टमास्टर, (केरल सर्कल), तिरुवन्नतपुरम
90	मिश्र, शिव शंकर	खान सुरक्षा महानिदेशक कार्यालय, धनबाद
91	अब्राहम, श्रीमती ए.जे.	पूर्ति एवं निपटान निदेशक कार्यालय, मुम्बई
92	सिंह, सम्मत	पटसन आयुक्त कार्यालय, कोलकाता
93	कुट्टन, के. वी.	क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय), बंगलोर
94	आनन्द राव, एस. के.	कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय पश्चिम बंगाल, कोलकाता
95	स्वामीदासन, वी.	कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, तमिलनाडु, चेन्नई
96	सिंह, थावर	नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर
97	दास, एम. एस.	अनुसंधान तथा विकास संगठन, एकीकृत परीक्षण परिसर, चांदीपुर
98	दास, एस.एम.	अनुसंधान तथा विकास संगठन, एकीकृत परीक्षण परिसर, चांदीपुर
99	पांडा, पी.	अनुसंधान तथा विकास संगठन, एकीकृत परीक्षण परिसर, चांदीपुर
100	दास, जे. के.	राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता
101	पांडा, एम. आर	क्षेत्रीय कुष्ठनिवारण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, अस्का (जिला गंजाम)

- | | | |
|------|-------------------------|--|
| 102. | Pritam Chand | Regional Research Laboratory (CSIR), Jammu-Tawi. |
| 103. | Dewri, B.J. | Regional Research Laboratory (CSIR), Jorhat. |
| 104. | Satpathy, B.B. | Regional Research Laboratory, (CSIR), Bhubaneswar. |
| 105. | Venugopal, P. | Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad. |
| 106. | Bhoumik, Amitabha | Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd., Kolkata. |
| 107. | Paul, Boisen | Spices Board, Palarvattan (Kochi). |
| 108. | Rukmangathan, K. | Structural Engineering Research Centre, Chennai. |
| 109. | Kumar, Roop | Subsidiary Intelligence Bureau, Jaipur. |
| 110. | Bhattacharya, M.M. | Tea Board (India), Kolkata. |
| 111. | Das, Ganesh Ch. | Tea Board (India), Kolkata. |
| 112. | Ghosh, Rupendra Narayan | Tea Board (India), Kolkata. |
| 113. | Sarkar, Smt. Subhalaxmi | Tea Board (India), Kolkata. |
| 114. | Sengupta, Samaresh | Tea Board (India), Kolkata. |
| 115. | Chandrashekara, S. | Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Chennai. |
| 116. | Chariyan, P.K. | Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jaipur. |
| 117. | Pal, Chattar | Water and Power Consultancy Services (India) Limited, Gurgaon. |

102	प्रीतम चंद	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सी एस आई आर), जम्मू तवी
103	देवरी, बी. जे.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सी एस आई आर), जोरहाट
104	सतपथी, बी. बी.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सी एस आई आर), भुवनेश्वर
105	वेणुगोपाल, पी.	सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद
106	भौमिक, अभिताभ	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि., कोलकाता
107	पॉल, बायसन	मसाला बोर्ड, पालारवत्तन (कोची)
108	रुक्मिनागाथन, के.	संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई
109	कुमार, रूप	सहायक सतर्कता ब्यूरो, जयपुर
110	भट्टाचार्य, एम. एम.	चाय बोर्ड (इण्डिया), कोलकाता
111	दास, गणेश सीएच.	चाय बोर्ड (इण्डिया), कोलकाता
112	घोष, रूपेन्द्र नारायण	चाय बोर्ड (इण्डिया), कोलकाता
113	सरकार, श्रीमती सुब्बालक्ष्मी	चाय बोर्ड (इण्डिया), कोलकाता
114	सेनगुप्ता, समरेश	चाय बोर्ड (इण्डिया), कोलकाता
115	चन्द्रशेखर, एस.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चेन्नई
116	चेरियन, पी. के.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चेन्नई
117	पाल, छत्तर	जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड, गुडगांव

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

Scanned
18-9-2023